खण्ड-272, अंक-2
सोमवार, 29 ज्येष्ठ, शक संवत् 1889
(19 जून, 1967 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 272 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, १९ जून, १९६७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री जगदीश शरण अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य-४१८

अंगनेलाल, श्री
अख्तर अली खां, श्री
अजीत प्रताप, श्री
अठईराम, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम, श्री
अब्दुल खालिक, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री (झांसी)
अयोध्याप्रसाद, श्री (मिर्जापुर)
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अर्जुन, श्री
अवधेशप्रताप मल, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
आरिफ अली खां, श्री
आशर्फीलाल, श्री
आशुबनीकुमार, श्री
आशुबनीकुमार चतुर्वेदी "राकेश", श्री
आहमदउल्ला खां, श्री
आत्मा, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रबहादुरसिंह, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयप्रताप, श्री
उदयवीरसिंह, श्री
उदितनारायण, श्री
उमादत्त, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकार सरन, श्री
ओम्प्रकाश, श्री
ओमप्रकाशसिंह, श्री
कन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री (इटावा)
कन्हैयालाल, श्री (झांसी)
कन्हैयालाल बाल्मीकी, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलाप्रसाद, श्री (जौनपुर)
कमलाप्रसाद, श्री (बहराइच)
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याण सिंह, श्री
कामता सिंह, श्री
कालीचरण, श्री
काशीनाथ, श्री
किशन लाल, श्री
किशनलाल दिलेर, श्री
किशन सिंह, श्री
किशुन लाल, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदार राज जंगबहादुर राणा, श्री

केशरी लाल, श्री
केशव देव, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमा, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद, श्री (मथुरा)
गंगाभक्तसिंह, श्री
गंगाराम, श्री
गंगास्वरूप भटनागर, श्री
गजाधर, श्री
गयाप्रसाद, श्री (उपनाम मास्टर साहब)
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाशंकर, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गिरिराज सिंह, श्री
गिरीशचन्द्र तिवारी, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गैदासिंह, श्री
गोपालदत्त ओझा, श्री
गोपालराम दास, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
गौरीराम, श्री
गौरीशंकर सराफ, श्री
गौरीसिंह राठौर, श्री
घनश्याम गिरि, महन्त
घनश्याम दास, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रकिशोर, श्री
चन्द्रकुमार, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखरसिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह श्री
चेतराम पचपेड़ा, श्री
चेतराम वर्मा, श्री
जंगबहादुर, श्री
जगतसिंह, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण त्रिपाठी, श्री
जगन्नप्रसाद रावत, श्री

जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगपतसिंह, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुरहमान, श्री
जयनारायणसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह, श्री
जवहरलाल, डाक्टर
जवाहरलाल जाटव, श्री
जवाहिरलाल, श्री
जसोदानन्द, श्री
जानकीप्रसाद, श्री
जितेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
जियाउरहमान, श्री
जी० एस० चौधरी, श्री
जुगलकिशोर, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
जैदत्तसिंह, श्री
जैनूराम, श्री
झारखण्डेराय, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकमसिंह, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तेजसिंह, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलबहादुरसिंह, श्री
दलसिंह, श्री
दशरथ, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
दृगराजसिंह, श्री
देवराम, श्री
देवीचरण अग्निहोत्री, श्री
देवीदयाल सेन, श्री
देवी सहाय बाजपेयी, श्री
देवीसेवक, श्री
देवेन्द्रसिंह, कुंवर
देशराजसिंह, श्री
धनराज यादव, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मगजसिंह, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीरसिंह, श्री

धर्मसिंह, श्री
ध्रुवकुमार, श्री
नन्हेलाल, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरवदेश्वर , श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन, श्री
निहालसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेमपालसिंह, श्री
नौनिहालसिंह, श्री
पब्बरराम, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतमसिंह, श्री
प्यारेलाल, श्री (अलीगढ़)
प्यारेलाल, श्री (मेरठ)
प्रतापनारायण तिवारी, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रभुदयाल, श्री
प्रेमदत्त, श्री
फारूक चिश्ती, श्री
फूलसिंह, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बजरंगबली, ब्रह्मचारी
बदनसिंह, श्री
बदलराम, श्री
बद्रीप्रसाद अवस्थी, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री (मेरठ)
बलवीरसिंह, श्री (फतेहगढ़)
बसन्तलाल, श्री (जालौन)
बसन्तलाल, श्री (लखनऊ)
बसन्तसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बिशनलाल, श्री
बुधिराम, श्री
बृजकिशोर, श्री
बृजपालसिंह, श्री
बृजमोहनदास अग्रवाल, श्री
बेचनराम, श्री (मिर्जापुर)
बेचनराम, श्री वाराणसी)
बेनीबाई, श्रीमती
बेनीसिंह अबस्थी, श्री
बैजनाथ, श्री (बलिया)
बैजनाथ, श्री (वाराणसी)
ब्रह्माश्रम, स्वामी
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भग्गूराम, श्री (उपनाम भृगुनाथ)
भारतसिंह चौहान, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भुवनेशभूषण, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भैरवदत्त धूलिया, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलाप्रसाद तिवारी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मकसूद हुसैन, श्री
मदनमोहन मिश्र, श्री
मदनमोहनसिंह, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्सादीन, श्री
मलिखानसिंह, श्री
महरमसिंह, श्री
महिपालसिंह, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्रप्रतापसिंह, कुंवर
महेशकुमार, श्री
माताप्रसाद, श्री
मानसिंह, श्री
मारकण्डे, श्री
मुंशीलाल चमार, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुन्शीलाल, श्री
मुरलीधर, श्री
मुलायमसिंह, श्री
मुल्कीराज, श्री
मुल्तानसिंह, श्री

मुहम्मद असरार अहमद, श्री
मुहम्मद महमूद अली खाँ, श्री
मुहम्मद रऊफ, श्री
मुहम्मद रफी खाँ, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (उपनाम लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद, श्री
रईसउद्दीन, श्री
रघुनाथसिंह, श्री (आगरा)
रघुनाथसिंह, श्री (कानपुर)
रघुनाथसिंह, श्री (झाँसी)
रघुनाथसिंह वर्मा, श्री
रघुराज, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मैनपुरी)
रफी मुहम्मद खाँ, श्री
रमाकान्त, श्री
रमावल्लभ मिश्र, श्री
रमाशंकर अग्रवाल, श्री
रवीन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथ, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबली, श्री
राजबहादुर, श्री (जौनपुर)
राजबहादुर, श्री (सीतापुर)
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबहादुर द्विवेदी, श्री
राजराजेश्वर, श्री
राजाराम, श्री (आगरा)
राजाराम, श्री (देवरिया)
राजाराम, श्री (बलिया)
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम कपूर, श्री
रामअंजोर, श्री
रामअचलसिंह सेन्गर, श्री
रामअधार, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामआसरे, श्री
रामकरन, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर, श्री
रामकुमार, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र जोशी, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरन दोहरे, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदत्त, श्री
रामदास, श्री
रामदुलार पटेल, श्री
रामदुलारे, श्री (गोंडा)
रामदुलारे, श्री (रायबरेली)
रामदेव, श्री (गोंडा)
रामदेव, श्री (प्रतापगढ़)
रामनरेश पांडेय, श्री
रामनरेश शुक्ल, श्री
रामनाथ, श्री (मिर्जापुर)
रामनाथ, श्री (शाहजहांपुर)
रामनारायण, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्यारे शुक्ला, श्री
रामप्रकाश त्रिपाठी, श्री
रामप्रसाद, श्री (आगरा)
रामप्रसाद, श्री (गढ़वाल)
रामप्रसाद, श्री (रायबरेली)
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति "अंचल", श्री
रामरतन, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामश्री राजपूत, श्री
रामसजीवन, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसरनसिंह, श्री
रामसिंह, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप, श्री (देहरादून)

रामस्वरूप, श्री (प्रतापगढ़)
रामस्वरूप, श्री (मैनपुरी)
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरसिंह, श्री
रुस्तम सैटिन, श्री
रूपनाथ, श्री
रूपनरायन, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर, श्री
लटरीसिंह, श्री
लाखन, श्री
लालकृष्ण कुमार पाल, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
वरमेश्वर पांडेय, श्री
वसी नकवी, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विपिनबिहारी तिवारी, श्री
विशनप्रतापसिंह, श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री (उपनाम झींगन साहू)
विश्वनाथसिंह, श्री
विष्णुस्वरूप, श्री
वीरबहादुर, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेश्वर त्यागी, श्री
शंकरसिंह, चौधरी
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शफकत जंग, श्री
शब्बीर हसन, श्री
शमीम आलम, श्री
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवलाल, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलादीन, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्याम सिंह, श्री
श्रीनाथ, श्री
श्रीनारायण तिवारी, श्री
श्रीपति मिश्र, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
श्री शंकर शर्मा, श्री (उपनाम लालो शर्मा वकील)
सईद अहमद, श्री
सत्यवीर कुंवर
सन्तू, श्री
सरजू प्रसाद, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेव सिंह, श्री
सालिक राम, श्री
सियाराम, श्री
सीताराम डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेव, श्री
सुखदेव प्रसाद, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशील कुमार विद्यार्थी, श्री
सोहनलाल, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरिगेनराम, श्री
हरिहरनाथ अग्रवाल, श्री (उपनाम हरी बाबू)
हरिहर बख्श सिंह, राजा
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीशचन्द्र, श्री
हरीशचन्द्रसिंह, श्री
हरीसिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरीसिंह, श्री (मेरठ)
हिम्मत बहादुर, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकमसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--उप मुख्य मंत्री, श्री रामप्रकाश, उद्योग मंत्री, श्री प्रभु नारायण सिंह, परिवहन मंत्री, श्री मान सिंह वर्मा भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, १९ जून, १९६७

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

लखनऊ महापालिका द्वारा सवारियों पर कर वृद्धि

*१—श्री चन्द्रबली (जिला देवरिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगरपालिका के प्रशासक ने साइकिल, इक्का, तांगा, रिक्शा तथा ठेलों पर १०० फीसदी टैक्स व रिक्शा-चालकों पर डुप्लीकेट फीस ६ गुना बढ़ा दी है जो १ अप्रैल, १९६७ से लागू होगा ? यदि हां, तो पिछले और वर्तमान लगे टैक्सों की सूची सदन की मेज पर रखते हुये मंत्री जी उपरोक्त विधि से टैक्स बढ़ाने के औचित्य को बतायेंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री बरमेश्वर पाण्डेय)—

प्रशासक नगर महापालिका ने इन सवारियों पर कर की दरों में १-४-६७ से वृद्धि की थी, किन्तु बाद में कुछ दरों में कमी कर दी गई है। कर की पिछली दरें और जो दरें अब निश्चित की गई हैं उनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १९४-१९५ पर।)

कर की दरों में जो भी वृद्धि हुई है वह इसलिये की गई है ताकि महापलिका बढ़े हुए खर्चों का भार वहन कर सके।

रिक्शा चालकों से डुप्लीकेट लाइसेन्स फी रिक्शा बाइलाज के अनुसार ली जा रही है। उसे बढ़ाया नहीं गया है।

*२—श्री चन्द्रबली—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रिक्शा ओनर्स एसोसियेशन, लखनऊ की ओर से १ मार्च, १९६७ को प्रशासक नगरपालिका व सरकार को वर्तमान टैक्स २५ प्रतिशत को कम करने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हां, तो उस पत्र को सदन की मेज पर रखते हुये बताया जाय कि १६ मार्च, १९६७ का एक नोटिस शाया करके टैक्स बजाय कम करने के बढ़ा दिया गया ? इसके क्या कारण हैं ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

प्रशासक द्वारा निर्धारित कर की दरों में कमी करने के लिये दिनांक १ मार्च, १९६७ को एक पत्र रिक्शा ओनर्स एसोसियेशन, लखनऊ की ओर से प्राप्त हुआ था। उसकी एक प्रतिलिपि संलग्न है। १६ मार्च, १९६७ को कर बढ़ाने का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था।

प्रशासक ने २३ मार्च, १९६७ को एक आदेश जारी किया था जिसके द्वारा बढ़ाये हुए कर की कुछ दरों में कमी की गई थी।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १९६-१९७ पर।)

श्री चन्द्रबली--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जनवरी, १९६७ से पहले बाईलाज के होते हुये चार आना केवल लिये जाते थे जब कि बाईलाज में डेढ़ रुपये लेने की प्रावीजन है ? यदि हां, तो जिन लोगों से चार आने लिये हैं क्या उनसे डेढ़ रुपया के हिसाब से वसूल किया जायेगा ?

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री मुहम्मद असरार अहमद)--

नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री चन्द्रबली--

श्रीमन्, मंत्री जी कहते हैं कि नोटिस की आवश्यकता है जब कि कहां गया है कि चार आने वसूल किया जा रहा है और बाईलाज के हिसाब से डेढ़ रुपया वसूल होना चाहिये तो फिर नोटिस की क्या आवश्यकता है ? इसका जवाब देना चाहिये । दूसरा प्रश्न यह है कि जब नोटिस दी गयी तो सूचना क्यों नहीं आयी ?

श्री अध्यक्ष--

आप स्पेसिफिक प्रश्न कर लीजिये ।

श्री चन्द्रबली--

यह जो डेढ़ रुपया फीस वसूल की जा रही है कब से वसूल की जा रही है, किस तारीख से ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

१-१-७६ से वसूल की जा रही है । उसके पहले ऐसा था कि बाईलाज में एक रुपया पचास पैसे लेना चाहिये था लेकिन प्रशासक ने गलती से २५ पैसे ही लेना शुरू किया था । गलती मालूम होने के बाद सुधार कर लिया गया ।

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़) --

क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि रिक्शा और ठेला वालों ने सरकार के पास कोई प्रार्थना-पत्र पुनर्विचार के लिये दिया है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं है ।

श्री रामनरेश शुक्ल--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कर बढ़ाने के पहले नमूने के तौर पर रिक्शा वालों, ठेले वालों में से कुछ लोगों का आर्थिक सर्वे करवाया था ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

ऐसा नहीं हुआ है ।

श्री चन्द्रबली--

क्या माननीय मंत्री बतायेंगे, जैसा कि उत्तर में कहा गया है कि खर्चा बढ़ जाने के कारण यह टैक्स बढ़ाये गये, टैक्स दूने बढ़े हैं तो क्या नगरपालिका, लखनऊ का खर्चा दूना हुआ है जिसके कारण दूना टैक्स बढ़ाया गया ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

नगरपालिका लखनऊ में किसी का भी दूना टैक्स नहीं किया गया है । यह जो टैक्स बढ़े हैं ऐसा नहीं है कि दूना हुआ हो । सिर्फ पांच रुपये रिक्शा लाइसेंस पर टैक्स बढ़ा है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह रिक्शा, ठेले और एक्के वालों का आर्थिक सर्वे करवाने का विचार रखती है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

इसकी आवश्यकता अभी महसूस नहीं हो रही है ।

श्री चन्द्रबली—

प्रश्न संख्या २ का जवाब नहीं आया ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री ने दोनों का जवाब पढ़ा था ।

श्री चन्द्रबली—

दो नहीं पढ़ा । कार्यवाही देख लीजिये ।

श्री वरमेश्वर पांडेय—

दोनों को पढ़ा था ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सुन रहा था । जब दूसरा पढ़ रहे थे तो मैंने बीच में टोका । मैंने कहा था कि जो मौखिक कह रहे हैं वह लिखित पढ़िए । तो लिखित पढ़ा ।

श्री चन्द्रबली—

दूसरा पेश नहीं हुआ है, न पढ़ा है । संलग्न पत्र पढ़ा था ।

श्री अध्यक्ष—

दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर आपने पढ़ा था या संलग्न पत्र पढ़ा था ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

मैंने उसको पढ़ा था, न सुना हो . . .

श्री अध्यक्ष—

मैंने आपको कुछ पढ़ते सुना । मैंने समझा कि प्रश्न दो का उत्तर है । मेरे सामने उस समय लिखित उत्तर नहीं था । तो आपने पढ़ा ?

श्री वरमेश्वर पांडेय—

जी हां ।

श्री अध्यक्ष—

तो यह हो गया ।

श्री चन्द्रबली—

मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं । माननीय मंत्री ने दूसरा सवाल पढ़ा नहीं है । सदन में गलतबयानी की है ।

[१९ जून, १९६७ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

[दूसरे शुक्रवार के लिए प्रश्न सं० २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

केन्द्र से प्राप्त अन्न

*२—श्री रामकरनसिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के अन्न संकट का सामना करने के लिये १९६६-६७ वित्तीय वर्ष के कितना टन अनाज केन्द्रीय सरकार से मांगा गया ?

खाद्य मंत्री (श्री झारखण्डे राय)—

वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में राज्य सरकार न केन्द्रीय सरकार से १४,९०,००० टन खाद्यान्न की मांग की थी।

श्री रामकरनसिंह—

*३—क्या खाद्य मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितना टन मिला ?

श्री झारखण्डेराय—

केन्द्रीय सरकार ने वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में ६,४७,००० टन विदेशी गेहूं तथा १,८६,५०० टन माइलो एलाट किया।

श्री राम करनसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब १४ लाख टन की मांग की गयी और केन्द्र से केवल ६ लाख टन ही दिया गया है तो क्या इससे उन्हें यह आभास नहीं होता है कि चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है और यहां पर जन कांग्रेस सरकार है, इसलिये वहां की सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार कर रही है। जबकि उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले पूरी तरह से अभावग्रस्त हैं ?

श्री झारखण्डेराय—

यह सरकार केन्द्रीय सरकार की नीतियों पर सदैव निगाह रख रही है, किन्तु अभी तक तथ्यों और आधारों के अनुसार कोई ऐसा आभास नहीं मिला है, जिससे प्रश्नकर्ता का सन्देह ठीक समझा जाए।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

अभी कुछ महीने पहले सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों का खाद्य समस्या पर एक सम्मेलन हुआ था जिसमें यह विचार हुआ था कि किस प्रदेश का कितना अन्न दिया जाए, तो उसमें राज्य सरकार ने कितने अन्न की मांग की थी और उसने कितने अन्न पर अपनी सहमति दी थी ?

श्री झारखण्डेराय—

हमारी तरफ से दो लाख टन की मांग रही, लेकिन कभी भी हमें उतना नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपने सहमति कितने अन्न पर दी, यह प्रश्न है।

मुख्य मन्त्री (श्री चरणसिंह)—

हमारी तरफ से कोई ऐसी सहमति नहीं दी गयी।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन्, मैं खाद्य मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि खाद्य मंत्री जी ने पूर्वी जिलों की विषम खाद्य परिस्थिति को देखते हुए वहां पर प्रति व्यक्ति कितने छटांक अन्न देने का सरकार ने निश्चय किया है ?

श्री झारखण्डेराय--

इसके लिये विशेष रूप से सूचना की आवश्यकता पड़ेगी। चूंकि जो मुख्य प्रश्न है उसमें पूर्वी जिलों के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

क्या माननीय खाद्य मंत्री बताएंगे कि उन्होंने मास अप्रैल और मई में केन्द्र से अलग-अलग कितने अन्न की मांग की थी और उन्हें कितना मिला?

श्री झारखण्डेराय--

अप्रैल, ६७ में ६१ हजार टन विदेशी गेहूं का एलाटमेंट हुआ था और ६५ हजार टन माइलो का एलाटमेंट हुआ था, जिसमें से क्रमशः हमें ६१,७४० टन विदेशी गेहूं और ६४,४२३ टन माइलो प्राप्त हुआ। मई, १६६७ में ५४,१६६ टन विदेशी गेहूं और ४५ हजार टन माइलो का एलाटमेंट हुआ जिसमें से ३६,४१६ और ४६,३१३ टन क्रमशः हमें मिला है। इस सम्बन्ध म मैं यह और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह आंकड़े अभी फाइनल नहीं हैं। मांग हमारी ओर से २ लाख टन की हमेशा रही है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)--

अभी माननीय कल्पनाथ सिंह के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने कहा है कि इसके लिये सूचना की आवश्यकता पड़ेगी जो कि पूर्वी जिलों को अन्न की मात्रा के बारे में था। तो क्या मंत्री जी पूरे प्रदेश को एक समान गल्ला न देकर प्रदेश के विभिन्न भागों के लिये अलग-अलग मात्रा तय करेंगे, जिसक लिये उन्हें पूर्व सूचना मंगने की आवश्यकता पड़ी है?

श्री झारखण्डेराय--

गल्ले का एलाटमेंट किसी जिले की आवश्यकता और जो हमें प्राप्त होता है उसके अनुसार किया जाता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

माननीय सदस्य कल्पनाथ सिंह जी ने पूछा....

श्री अध्यक्ष—

माननीय खाद्य मंत्री जी, माननीय बहुगुणा जी ने पूछा कि क्या सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करने की सोच रही है जिससे प्रदेश के विभिन्न अंचलों में विभिन्न मात्रा में अनाज वितरित हो सके?

श्री चरणसिंह—

अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न मात्रा में पहले से अन्न दिया जाता रहा है, पहाड़ों में, पूर्वी भागों में, पश्चिमी भागों में सब में भिन्न-भिन्न होता रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन ऐसा होता रहा है। अगर आज नहीं हो रहा है तो कहा नहीं जा सकता। उनकी आवश्यकता के अनुसार हर स्थान पर गल्ला दिया जाता है लेकिन अभी गवर्नमेन्ट के सामने तत्काल कोई प्रोपोजल नहीं है कि कहां-कहां कितना कितना गल्ला प्रति व्यक्ति दिया जाय।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा--

मेरा प्रश्न यह है कि प्रत्येक जिले में प्रति व्यक्ति कितना गल्ला दिया जाता है?

श्री अध्यक्ष—

आप जवाब पर विवाद न करें। प्रश्न करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मैं जानना चाहता हूं कि हर जिले में जहां भी जितना गल्ला कम या अधिक दिया जाता है उसमें प्रति व्यक्ति का भी कोई औसत है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय बहुगुणा जी, इसका उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी के उत्तर में आ गया है कि ऐसा होता रहा है और अब भी हो सकता है कि विभिन्न अंचलों में विभिन्न आवश्यकतानुसार विभिन्न मापदंड गल्ले के वितरण का हो सकता है।

श्री फूलसिंह (जिला सहारनपुर)—

क्या जो गल्ला केन्द्रीय सरकार से प्रान्तीय सरकार को मिलता है उसके अतिरिक्त भी केन्द्रीय सरकार कुछ जिलों में स्वयं भी गल्ला बांट रही है ? यदि हां, तो उसकी मात्रा कितनी है ?

श्री झारखण्डे राय—

केन्द्रीय सरकार हमारे प्रदेश में जो भी गल्ला बांटती है वह राज्य सरकार की मार्फत बांटती है, सीधे किसी प्रकार का गल्ला वितरित नहीं करती है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस बात को देखते हुये कि प्रदेशीय सरकार केन्द्रीय सरकार से लगातार तीन-चार महीने से अपनी अभावग्रस्त स्थिति को दिखाते हुए जितना गेहूं या दूसरा अनाज मांगती है उतना वह नहीं दे रही है क्या खाद्य मंत्री जी जैसे केरल के खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री इसके लिये बहुत जोरदार संघर्ष का कार्यक्रम बना रहे हैं उसी प्रकार से क्या यह सरकार भी कोई जोरदार कदम उठाने की सोच रही है ?

श्री झारखण्डे राय—

केन्द्रीय सरकार से हम बराबर मांग उठा रहे हैं और गल्ले और चीनी के विषय में बातचीत कर रहे हैं। हमारे एक सहायक सचिव भी गये थे। मैंने स्वयं भी श्री जगजीवनराम जी से बातचीत की थी और माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक बार उनसे टेलीफोन पर आग्रह भी किया था कि हमारे यहां गल्ले और चीनी का कोटा बढ़ाया जाय। इस बात को देखते हुये कि आज जो गल्ला वसूली हो रही ह उसमें हमें चीनी की विशेष जरूरत पड़ रही है, लेकिन उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है सिवाय इसके कि चीनी का कोटा कुछ बढ़ाया गया है और वह भी हमारे तीन महीने के कोटे में से काट लिया जायगा। अब भी प्रयास जारी है और मैं स्वयं चाहता हूं कि अपने सचिव को लेकर दिल्ली जाकर उन पर जोर डालूं कि हमारे प्रदेश का कोटा बढ़ाया जाय।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चुनाव के बाद सस्ते गल्ले की दूकानें बन्द हो गई हैं और जब कि श्री कल्पनाथ सिंह जी के उत्तर में मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि खाद्यान्न की पूर्वी जिलों में कमी है ? उन दूकानों के बन्द होने के कारण जनता परेशान है और चीनी ४ रुपये किलो बिक रही है ?

श्री झारखण्डे राय—

गल्ले की दूकानों के बन्द होने के बारे में यह सम्भव है कि रबी की फसल बाजार में आने के कारण कुछ दूकानें बन्द हो गई हों। हमको केन्द्र से गल्ला मिला है वह भी कम है और आगे भी कोई निश्चित मात्रा में वचन वहां से नहीं मिला है। इसलिये सम्भव है कुछ जगहों पर दूकानें बन्द हो गई हों। किसी खास दूकान के बारे में यदि माननीय सदस्य बतायें तो जांच कराई जा सकती है।

गोंडा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानों में अनाज न होना

*४---श्री सखदेवप्रसाद (जिला गोंडा), श्री रामदुलारे पांडे (जिला गोंडा) तथा श्री प्रताप नारायण तिवारी (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सत्य है कि गोंडा जिला में वर्तमान चुनाव के पश्चात् सस्ते गल्ले की दुकानों में अनाज नहीं है ? यदि हां, तो क्यों और कब तक वहां गल्ला पहुचाने की व्यवस्था की जायगी ?

श्री झारखण्डेराय---

गोंडा जिले में पिछले चुनाव के पश्चात् शहरी क्षेत्र की सस्ते गल्ले की दूकानों पर अनाज बराबर निर्धारित मात्रा में उपलब्ध होता रहा। मार्च म बन्दरगाहों स माइलो के विलम्ब से आन के कारण मोटे अनाज की उपलब्धता देहाती क्षेत्र में कुछ कम हो गई थी, परन्तु बाद में उसमें सुधार हुआ और अप्रल तथा मई में एलाटमेंट के अनुसार गल्ला उपलब्ध रहा।

ग्राम पंचायत मंत्रियों की मांगें

*५---श्री भगवतीसिंह विशारद (जिला उन्नाव)---

सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि क्या उसे प्रदेश की ग्राम पंचायतों के मन्त्रियों की ओर स हाल में कोई ऐसा मांग-पत्र प्राप्त हुआ है, जिसमें उन्होंने अपनी सेवाओं और वेतन-क्रम में सुधार की मांग की है ?

कृषि उप मंत्री (श्री महीलाल)---

जी हां।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज मंत्री संघ की विभिन्न जिलों की शाखाओं से सेवाओं और वेतन-क्रम में सुधार की मांग की गई है।

श्री भगवतीसिंह विशारद---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पंचायत राज मन्त्रियों की ओर से जो मांग की गई है उसकी पूर्ति के सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक क्या निश्चय किया है ?

श्री महीलाल---

पंचायत राज मन्त्रियों का जहां तक सम्बन्ध है वह ग्राम पंचायत की सर्विस में आते हैं। शासन से उनकी सेवाओं का कोई सम्बन्ध नहीं है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि संयुक्त विधायक दल ने यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया है कि समान कार्य के लिये समान वेतन दिया जायगा। इस सिद्धान्त के अनुसार ही वे वहां पर जा कर बैठे हैं। ऐसी हालत में पूर्व की सरकार की तरह से उत्तर न देकर पंचायत मन्त्रियों की मांगों पर विचार करते हुये वी० एल० डब्लू० जो इसी तरह का काम करते हैं उनको समान वेतन दिया जायगा ?

कृषि मंत्री (श्री जयराम वर्मा)---

पंचायत राज मन्त्री पंचायत के कर्मचारी हैं और यह शुरू से ही इसी सदन में चला आ रहा है और हमारे देश में भी ऐसी ही स्थिति है। बार-बार उनके सम्बन्ध में मांग आई लेकिन कभी सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। साथ ही सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि उन को सरकारी कमचारियों की श्रेणी में घोषित कर दें और उन पर जितना पैसा खर्च होता हो वह अपने आप वहन करे। शुरू से ही उनके ऊपर जो वेतन में खर्च होता है

और मंहगाई भत्ते में खर्च होता है उनके लिये सरकार पंचायतों को अनुदान देती है और उसमें ही वह काम करते हैं। अब पंचायतों के पास इतना पसा नहीं ह कि वह इस काम को स्वयं कर सकें। दूसरी बात यह है कि आज विकेन्द्रीयकरण के जमाने में यह उचित भी नहीं है कि जो पंचायत राज की संस्थायें हैं उनके कमचारियों को सरकार अपने हाथ में ल ले और सारा शासन उसके हाथ में हो जाय। यह विकेन्द्रीयकरण के नियम के प्रतिकूल है। लेकिन इन सब कठिनाइयों के होते हुये भी हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उनके संबंध में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं।

श्री मोहनलाल गौतम (जिला अलीगढ़)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब यह मंत्री ग्राम सभा के मुलाजिम हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है, उन का ट्रान्सफर कौन करता है, उन को सजा कौन देता है इन पर प्रशासन कौन करता है और जब यह दूसरी ग्राम सभा म ट्रान्सफर हो जात हैं तो किसके मुलाजिम रहते हैं?

श्री जयराम वर्मा---

इनकी नियुक्ति और इस पर प्रशासन का अधिकार तो क्षेत्र समिति, उत्तर प्रदेश और जिला परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत विकास समितियों और जिला परिषद् का होता है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिले में जो असिस्टेंट पंचायत राज अफसर और प्लानिंग अफसर हैं वे इनका स्थानान्तरण नहीं करते?

श्री जयराम वर्मा---

वह तो विकास खंडों के अन्तर्गत सहायक विकास अधिकारी भी हैं और उनके अन्तर्गत रहते हुए वे ऐसी कार्यवाही करते रहते हैं।

श्री मोहनलाल गौतम---

प्वाइंट आफ आर्डर। मेरे पहले सवाल का पूरा जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष---

आपने बहुत देर बाद प्रोटेक्शन मांगा है। अगर किसी प्रश्न का पूरा उत्तर न मिल तो आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि सहायक विकास अधिकारी और असिस्टेंट पंचायत राज अफसर किसी पंचायत के नौकर हैं या उत्तर प्रदेश सरकार के नौकर ह?

श्री जयराम वर्मा---

ये सरकार के नौकर हैं लेकिन जिला परिषदों के अधीन हैं और उनके अधीन रह कर काम करते हैं। आदेश तो जिला परिषद् के अध्यक्ष या अन्य अधिकारी का होता है और उसके आदेशों के अनुसार वे काम करत हैं।

श्री मोहन लाल गौतम---

जब यह गांव पंचायत के मुलाजिम हैं तो उन को सजा कोई दूसरा आदमी दे सकता है और वह सजा कहां तक मुनासिब है तथा इस क अलावा जब उनका ट्रान्सफर होने के बाद वे दूसरी गांव सभा म चले जाते हैं तो क्या दूसरी गांव सभा उन पर कोई नियत्रण रख सकती है जब कि व दूसरी गांव सभा के मुलाजिम ह?

श्री जयराम वर्मा--

जब से इनकी स्थापना हुई है तभी से इसी तरह की प्रणाली चल रही है और उसके अनुसार कार्यवाही हो रही है। अब यह हमको देखना है कि इसमें हम क्या सुधार कर सकते हैं।

श्री भगवतीसिंह विशारद--

क्या मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब पंचायत राज मंत्रियों को सरकारी खजाने से अनुदान के रूप में पैसा दिया जाता है तनख्वाह के लिये और उन की सेवाओं की नियुक्ति भी सरकारी कर्मचारियों द्वारा की जाती है तो क्या सरकार उनकी सेवाओं को राजकीय सेवा में शामिल करने की कृपा करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--

मैंने बताया कि यह थ्री टायर सिस्टम चल रहा है जिसमें पंचायतें, जिला परिषदें और क्षेत्र समितियां शामिल हैं वह इसी तरह से काम करता है और ये कर्मचारी उन संस्थाओं के कर्मचारी हैं। इसके साथ ही मैंने यह भी कहा कि विकेन्द्रीकरण के जमाने में यह उचित नहीं है कि इन कर्मचारियों पर सरकार का प्रशासन हो जाय और सरकार कोई नियंत्रण अपना रखे।

श्री चन्द्रबली--

पंचायत मंत्रियों की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं जिन पर सरकार ने विचार करने का आश्वासन दिया है ?

श्री महीलाल--

पंवायत मन्त्रियों का प्रदेश में कोई मान्यता प्राप्त संगठन तो नहीं है और मैं यह भी अर्ज कर दूं कि तत्कालीन सरकार ने भी मान्यता नहीं दी थी। जो अलग-अलग उनके संगठन हैं उनकी निम्नलिखित मुख्य-मुख्य मांगें आयी हैं :--

१--पंचायत मंत्रियों को सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाय।

२--पंचायत मन्त्रियों का वेतन-क्रम कम से कम १२०-२०० रुपया तक हो जो वर्तमान समय में ग्राम सेवक का वेतन-क्रम है।

३--पंचायत मन्त्रियों की योग्यता एवं ज्येष्ठता के आधार पर सहायक विकास अधिकारी पद पर पंचायत मन्त्रियों को ही पदोन्नत किया जाय।

४--पंचायत मन्त्रियों की सेवाएं प्राचीन मान कर स्थायी की जायं।

५--अन्य शासकीय कर्मचारियों की भांति सुविधायें भी पंचायत मन्त्रियों को प्रदान की जायं।

६--पंचायत राज विभाग को सामुदायिक विकास विभाग से अलग करके उसे सर्वोपरि घोषित किया जाय।

श्री त्रिवेणी (जिला आजमगढ़)--

क्या सरकार बतायेगी कि पंचायत मंत्रियों की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनती है उसका चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है ?

श्री जयराम वर्मा--

इसकी सूचना नहीं है कि उसका चेयरमैन जिलाधिकारी होता है या नहीं।

नगर महापालिकाओं का चुनाव

*६—श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिकाओं का चुनाव कब तक कराने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

अक्तूबर-नवम्बर, १९६७ तक चुनाव करा दिये जायेंगे ।

श्री ऊदल—

अक्तूबर, नवम्बर में जो चुनाव होगा तो उसके संबंध में क्या सारी कार्यवाहियां जैसे कि दो मेम्बरों की, तीन की या सिंगिल मेम्बर सीट होगी, वोटर्स लिस्ट वगैरह, यह कार्यवाही शुरू हो गयी है ? यदि हां, तो कब से और यदि नहीं हुई तो क्या जल्दी से जल्दी कार्यवाही शुरू कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

इस संबंध में सभी कार्यवाही हो रही है ।

डाक्टर राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

क्या मंत्री जी स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि इन चुनावों में सिंगिल मेम्बर कांस्टीट्यूएंसी होगी या डबल मेम्बर ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह सरकार के ज़ेर गौर है ।

श्री मोहनलाल गौतम—

कुछ खराबियों की वजह से ५ नगरमहापालिकाएं सुपरसीड हुईं, मैं यह जानना चाहता हूं कि ये खराबियां दूर हो गयीं तब हो रहे हैं चुनाव या उन खराबियों के होते हुये हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न की सीमा में वही प्रश्न आ सकते हैं जो चुनाव की तैयारी से संबंधित हैं, यह प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मोहनलाल गौतम—

अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष—

मेरी व्यवस्था के बाद अब आप कुछ उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते । अगर कोई माननीय सदस्य मेरी व्यवस्था से असंतुष्ट हैं तो वे या तो मेरे कक्ष में आकर मुझे समझा दें या मुझसे समझने का मुझे अवसर दें ।

गांव समाजों, क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों के चुनाव

*७—श्री मधुकर दिघे (जिला गोरखपुर) तथा श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों एवं जिला परिषदों का अगला चुनाव कब होगा ?

श्री महीलाल---

यह चेष्टा की जा रही है कि गांव सभाओं के आम चुनाव दिसम्बर, १९६७ तक क्षेत्र समितियों के आम चुनाव मई, १९६८ तक तथा जिला परिषदों के आम चुनाव जुलाई, १९६८ तक करा दिये जायं ।

श्री अश्वनीकुमार---

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि यह चनाव गांव सभा तथा क्षेत्र समितियों का फिर से परिसीमन कराने के बाद होंगे या पहले ?

श्री जयराम वर्मा---

गांव सभाओं का परिसीमन होगा क्योंकि चुनाव सीक्रेट बैलेट द्वारा होगा ।

श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)---

क्या चुनाव से पूर्व जिला परिषदों को सुपरसीड करने का भी कोई इरादा सरकार का है ?

श्री जयराम वर्मा---

चुनाव से पूर्व जिला परिषदों को आम तौर से सुपरसीड करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है ।

श्री नरेन्द्रसिंह बिष्ट (जिला पिथौरागढ़)---

क्या सरकार इन चुनाव को उत्तराखंड में भी करायेगी ?

श्री जयराम वर्मा---

इसके लिये नोटिस चाहिये ।

श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव पहले की ही तरह, अप्रत्यक्ष होंगे या प्रत्यक्ष ?

श्री जयराम वर्मा---

जिस तरह की व्यवस्था आज है उसी के अनुसार चुनाव होंगे । हम इसमें कुछ संशोधन करने का इरादा रखते हैं ऐक्ट में, मगर जब वह संशोधन यहां से पास हो जायेगा तभी वह हो सकेगा । अभी तो अप्रत्यक्ष ही प्रथा है ।

श्री राममूर्ति (जिला बरेली)---

क्या मंत्री महोदय को यह ज्ञात है कि इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बिठाई थी जिसकी रिपोर्ट के अनुसार यह चुनाव इन्डायरेक्ट ही होने चाहिये ?

श्री जयराम वर्मा---

जी हां, अभी तक तो इनडायरेक्ट है सारे देश में इनडायरेक्ट चुनाव लागू हैं, और हमारे यहां भी वही व्यवस्था रही है उस समिति की रिपोर्ट के आधार पर, इसी विधान सभा में पहिले कुछ हिस्सा डायरेक्ट चुनाव कराने के लिये पास किया था, और बाद में तब्दील किया गया था । यह सोच रहे हैं कि वही करना ठीक होगा या तब्दीली की गुंजाइश है ।

श्री मोहनलाल गौतम---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि क्या टैक्स नेदे वाले को जिला परिषदों में अपना प्रतिनिधि सीधा भेजने का अधिकार होगा या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा--

यह तो टैक्स देने वाले को ही अधिकार है चाहे डायरेक्ट हो या इन्डायरेक्ट हो।

श्री मोहनलाल गौतम--

मैं तो यह जानना चाहता हूं कि टैक्स देने वाले कैन्डीडेट से सीधे जवाब तलब कर सकेंगे यानी सीधा रिप्रेजेन्टेशन का अधिकार होगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में अब तक जो रास्ता है, उसका जिक्र किया और कहा कि हम इस व्यवस्था को चेन्ज करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री जयराम वर्मा--

हम सुधार करना चाहते हैं, अगर हम तय कर लिये होते तो....

श्री अध्यक्ष--

वे जानना चाहते हैं कि इस बात पर भी विचार कर रहे हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

अभी सारी बातों पर तो विचार किया नहीं गया है इसलिये यह हमारे लिये कहना मुश्किल है।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)--

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जैसा कि अभी माननीय राममूर्ति ने अपने प्रश्न में यह बात उठाई कि उस रिपोर्ट में इन्डायरेक्ट चुनाव करने की आवश्यकता है, दूसरी बात माननीय मोहनलाल गौतम ने कही कि टैक्सपेयर को सीधे मेम्बर भेजने का अधिकार है, इस पर बड़ा कान्फ्लिक्ट है क्या मंत्री जी संशोधन लाकर सदन में विचार करने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह उत्तर आ चुका है कि आप विचार कर रहे हैं। इस पर व्यवस्था भी आ चुकी।

गगहा ब्लाक में कुओं में पानी की कमी

*८--श्री कल्पनाथ सिंह--

क्या सरकार को इस बात की सूचना है कि भींटी न्याय पंचायत, ब्लाक गगहा, जिला गोरखपुर के गांवों के कुओं में पानी कम हो रहा है और पीने के लिये पानी की दिक्कत पैदा हो गई है ? यदि हां, तो इसके लिये क्या प्रबन्ध हो रहा है ? यदि नहीं, तो इसकी जांच किस प्रकार और किस-किस गांव में की गई और किसके द्वारा ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद--

गर्मी के कारण कुंओं में पानी की कमी अवश्य हो गई है, परन्तु इसके कारण पीने के पानी की कठिनाई नहीं हुई है। इसकी जांच तहसीलदार तथा परगनाधिकारी, बांसगांव द्वारा भींटी के लोगों से की गई।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं मंत्री जी जानना चाहता हूं कि इस न्याय पंचायत में कुल कितने गांव हैं और इन गांवों में से प्रत्येक कुवें में पानी पीने की क्या-क्या रिपोर्ट शासन को प्राप्त हुई है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय कल्पनाथ सिंह जी, यह तो बहुत व्यापक प्रश्न हो गया है ।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

जिन गांवों का इस प्रश्न में जिक्र है उन गांवों में पानी की कमी नहीं है । जिलाधीश की रिपोर्ट के अनुसार वहां कुओं की सफाई कराकर पानी की व्यवस्था की गई है और पेय जल की अब कभी नहीं रही और जितने गांव, ब्लाक या पंचायत हैं सबके बारे में जिला मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट है ।

श्री कल्पनार्थसिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने कुओं में इस प्रकार की सफाई की गई और प्रयास किया गया क्योंकि शासन ने कबूल किया है कि पानी की कमी अवश्य हो गई है ?

श्री अध्यक्ष—

कृपया यह बतायें कि कितनी जगह ऐसा हुआ है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

इसकी सूचना तो डिटेल में नहीं है लेकिन यह मंगाकर दी जा सकती है ।

श्री चन्द्रबली—

श्रीमन्, जिन गांवों में पानी की किल्लत है वहां की औरतें चार बजे से पहिले ही सारा पानी खींच लेती हैं और फिर एक लोटा पानी भी बाद में उनको उन कुओं से नहीं मिलता है ।

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

सरकार को कोई ऐसी इत्तला नहीं है ।

श्री रामनरेश शुक्ल—

क्या सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी गांवों में भेजकर यह जानने की कोशिश की है कि उन कुओं में पानी की कमी क्यों हो गई है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

पूर्वी जिलों में कमी नहीं है ।

श्री गेंदासिंह—

क्या यह बात सही है कि केवल गगहा में ही पानी की कमी है या पूर्वी जिलों में जहां-जहां वर्षा कम हुई है वहां सब जगह पानी कम है ?

श्री मुहम्मद असरार अहमद—

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न उठता है या नहीं, यह मेरा अधिकार है तय करने का ।

श्री बरमेश्वर पांडेय—

सरकार को जानकारी नहीं है कि आम तौर से पानी की कमी है । हो सकता है कि कहीं तालाब वगैरह सूख गये हों ।

अनाजों की सरकारी खरीद

*९—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि सरकार रबी में गल्ले का प्रोक्योरमेंट करने जा रही है ? यदि हां, तो प्रोक्योरमेंट के लिये क्या भाव निश्चित किये गये हैं ?

श्री झारखण्डेराय—

रबी अनाजों की खरीदारी सीधे कृषकों से निम्नलिखित भावों पर की जा रही है :

गेंहूं सफेद	..	..	८५ रु०	प्रति क्विन्टल
गेंहूं लाल	..	..	८० रु०	,, ,,
चना	..	..	७२ रु०	,, ,,
जौ	..	..	६२ रु०	,, ,,
गोचनी	..	..	७५ रु०	,, ,,
गोजई	..	..	७० रु०	,, ,,
बेझड़	..	..	६५ रु०	,, ,,

उपरोक्त दरें उचित औसत किस्म के खाद्यान्नों के लिये हैं। क्षम्य सीमाओं से अधिक सम्मिश्रण अथवा अशुद्धता के लिये उपरोक्त दरों में कटौती की व्यवस्था है।

मुरादाबाद में पकड़ा गया आटा

*१०—श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में मार्च, १९६७ में पुलिस ने ९० बोरी विदेशी गेंहूं का आटा पकड़ा है ? यदि हां, तो यह आटा किसका था और इसके खिलाफ अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री झारखण्डेराय—

मुरादाबाद की पुलिस द्वारा मार्च, १९६७ में ९० बोरा नहीं बल्कि ९५ बोरा गेंहूं का आटा पकड़ा गया। परन्तु अभी तक यह नहीं पता चल सका है कि आटे का असली मालिक कौन है। इस संबंध में पुलिस अभी जांच कर रही है।

*११—श्री महेशकुमार—

क्या खाद्य मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पकड़ा हुआ आटा पुलिस ने एम० एम० आई० को उठवा दिया है ? यदि हां, तो इस आटे को किस दर से बेचा गया है और पुलिस ने इस आटे का कोई नमूना भी रख लिया है ?

श्री झारखण्डेराय—

इस आटे को रीजनल फूट कन्ट्रोलर के गोदाम में भेज दिया गया था और बाद में राशन विक्रेताओं के द्वारा जनता में ६४ पैसे प्रति किलो की दर से बिकवा दिया गया। पुलिस ने इस आटे का नमूना रख लिया है।

श्री महेशकुमार—

मार्च में पकड़े हुये आटे की सही जानकारी सरकार अभी तक क्यों नहीं प्राप्त कर सकी है, क्या मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखण्डेराव—

पुलिस की जांच जारी है । एक आदमी पकड़ा था लेकिन उसने इन्कार कर दिया कि वह मालिक है ।

श्री महेशकुमार—

क्या यह सही है कि यह आटा सड़क पर रखा हुआ नहीं पाया गया बल्कि एक सस्ते गल्ले की दूकान के मालिक के गोदाम में पाया गया और पुलिस ने उसे पकड़ने से इन्कार कर दिया और कुछ कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट पर कार्यवाही जारी की गई ?

श्री झारखण्डेराय—

सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है । जिस मकान में वह आटा पकड़ा गया वह लावारिस है और ऐसी सूचना नहीं है कि वह आटा किसी राशन शाप से अटैच्ड मकान में मिला है ।

श्री सोहनलाल धुसिया—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिस घर में आटा पकड़ा गया उसका मालिक कौन था और उससे पूछा गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मंत्रीजी ने घर लावारिस बताया है ।

श्री सोहनलाल धुसिया (जिला बस्ती)—

इस समय वह मकान किसके कब्जे में है ?

श्री झारखण्डेराय—

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

जिस मकान को पुलिस ने लावारिस बताया है उसे मंत्री जी ने वैसे ही मान लिया या स्वविवेक लगाकर लावारिस माना है ?

श्री झारखण्डेराय—

पुलिस अभी जांच कर रही है इसकी ।

श्री महेशकुमार—

क्या यह सही है कि उस समय के नेताओं के दबाव से राशन के आटे के नमूने को बदल कर बाजार के आटे का नमूना रख दिया गया है ?

श्री झारखण्डेराय—

सरकार को जानकारी नहीं है । लेकिन प्रश्नकर्ता की बात से पता चलता है कि उन्हें काफी जानकारी है । वह पूरी बात लिखकर हमें दे दें तो जानकारी करा ली जायगी ।

*१२—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

[पहले बुधवार के लिये प्र० सं० १८ के अन्तर्गत स्थानातन्रित किया गया ।]

सगनपुरा बाई पास के निर्माण का स्थगन

*१३—श्री भुवनेशभूषण (जिला इटावा) तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत इटावा जिले में मुरादगंज से ऊंचा तक जो सड़क बनाई जा रही है उसमें कोई बाई पास ग्राम सगनपुरा है, जो बनाया जा रहा है ?

कृषि उपमंत्री (श्री रूपनाथ यादव)—

जी हां, मुरादगंज दिविजापुर नाम की ग्रामीण जन शक्ति योजना में स्वीकृत सड़क पर ग्राम सगनपुरा में बाई-पास बनाया गया है ।

*१४—श्री भुवनेशभूषण तथा श्री मन्नालाल—

क्या सरकार यह बतायेगी कि अध्यक्ष, जिला परिषद् इटावा ने बाई-पास बनाने से होने वाले नुक्सान को बताते हुये हाल में एतराज किया है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री रूपनाथ यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री भुवनेशभूषण—

हमको उत्तर ही नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे देखूंगा और चेष्टा करूंगा कि उसकी पुनरावृत्ति न हो ।

श्री भुवनेशभूषण—

इसे स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

आपने प्रारम्भ में यह बात नहीं कही । अब पूरक प्रश्न कर लें ।

श्री भुवनेशभूषण—

इस सड़क के इंजीनियर ने कोई रिपोर्ट दी है या नहीं कि यह बाई-पास बनाया जाय या नहीं ?

श्री जयराम वर्मा—

पहले इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन अब आ गई है । बाई-पास तो सगनपुरा में बनाने का पहले निश्चय हुआ था । लेकिन जिला परिषद् के अध्यक्ष ने लिखा कि उस गांव से होकर बाई-पास न बनाया जाय, बल्कि सड़क ही उस गांव से होकर जाय । इसकी जांच अल्प सिंचाई विभाग के सुपरिटेंडिंग इंजीनियर और पी० डब्ल्यू० डी० के चीफ इंजीनियरों ने की और यह राय दी कि सड़क नहीं बन सकेगी । इसलिये बाई-पास ही बनाने का निश्चय किया गया । इसके बाद जिला परिषद् के अध्यक्ष ने लिखा कि यह बात सही नहीं है ।

उन्होंने कहा कि यह सड़क जो गांव से होकर जा रही है, चौड़ी थी लेकिन उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया, मकान वगैरह बना लिये । उन लोगों में से कुछ से वह कब्जा हटवा दिया है, बाकी से भी जल्दी ही हटवा दूंगा । इसलिये बाई-पास बनाने का निर्णय अभी स्थगित कर दिया गया है । अब इस बात की जांच करायी जा रही है कि वह रास्ता काफी चौड़ा है अथवा नहीं । अगर ऐसा न हुआ तो जो बाई-पास बनाने का निर्णय लिया गया था, उसी के अनुसार बाई-पास बना दिया जायगा ।

श्री सहदेव सिंह (जिला इटावा)—

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इस बाई-पास के लिये किसानों की जमीन एक्वायर की जा चुकी है और उनको कम्पेन्सेशन भी दिया जा चुका है ?

श्री जयराम—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री भुवनेशभूषण शर्मा—

क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बाई-पास की जमीन एक्वायर की जा चुकी है और बाई-पास करीब-करीब बन कर तैयार भी हो चुका है ?

श्री जयराम वर्मा—

पहले हमारे पास कोई सूचना नहीं आयी थी, लेकिन अब भी जो सूचना आयी है उसमें इसके बारे में कोई सूचना दी हुई नहीं है ।

श्री सहदेव सिंह—

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिनों दिन ट्रैफिक बढ़ता ही जा रहा है, गांव के बाहर से सड़क निकालना हितकर होगा ?

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, इसके बारे में जांच की जा रही है, सारे तथ्य मालूम हो जाने पर निर्णय लिया जायगा ।

उन्नाव जिले में मैदा व सूजी का वितरण

*१५—श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि गत ईद और होली के अवसर पर उन्नाव जिले को कितना मैदा और कितनी सूजी वितरण हेतु रीजनल फूड कंट्रोलर द्वारा दी गई ?

श्री झारखंडेराय—

ईद के अवसर पर मैदा का कोई अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया बल्कि मासिक कोटे से ही सेवई वालों को तथा राशन कार्ड वालों को मैदा दिया गया । जहां तक सूजी देने का प्रश्न है २० बोरी सूजी मासिक कोटे के अतिरिक्त ईद के वास्ते दिया गया ।

होली व बकरीद के अवसर पर ७५ बोरी मैदा तथा ३ बोरी सूजी मासिक कोटे के अतिरिक्त वितरण हेतु दिया गया ।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय खाद्य मंत्री जी यह बतायेंगे कि ईद के मौके पर अतिरिक्त मैदा का कोटा क्यों नहीं दिया गया था ?

श्री झारखण्डे राय—

ईद के अवसर पर मैदा की कमी के कारण अतिरिक्त कोटा नहीं दिया गया था लेकिन होली और बकरीद के अवसर पर पोजीशन अच्छी हो गयी थी इसलिये अतिरिक्त कोटा दे दिया गया ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या खाद्य मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि यह कोटा उन्नाव में ही नहीं और जिलों में भी नहीं दिया गया था ?

श्री झारखंडे राय—

प्रश्न केवल उन्नाव के बारे में ही था, इसलिये इसकी सूचना नहीं है।

श्री भगवतीसिंह विशारद—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि होली और बकरीद के अवसर पर ३ बोरा मैदा बांटने के लिये दी गयी थी, क्या उसका कोई आधार बताया गया कि जिले में किस प्रकार से बांटी जाय ?

श्री झारखंडे राय—

इसके बारे में आदेश जिला पूर्ति अधिकारी को भेज दिये गये थे। चूंकि उस समय भी कोई बहुत मात्रा नहीं थी, इसलिये केवल ३ बोरा ही दे पाये।

श्री ए० सी० जाइस (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)—

क्या माननीय मंत्री जी सूजी और मैदा ईसाइयों के त्यौहारों पर देने की कृपा करेंगे ?

श्री झारखंडे राय—

माननीय सदस्य का प्रश्न उचित ही है, इस पर अवश्य विचार किया जायगा।

डी० आर० एम० ओ०, अलीगढ़ व एम० आई०, सोमना के बीच मारपीट

*१६—श्री हरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ फरवरी, १९६७ को रीजनल फूड कंट्रोल बैरियर सोमना, अलीगढ़ में आर० एम० ओ०, अलीगढ़ ने एम० आई० को मारा ? यदि हां, तो क्या कारण था ?

श्री झारखंडे राय—

जी नहीं। परन्तु २४ जनवरी, ६७ को डि० आर० एम० ओ०, अलीगढ़ व एम० आई०, सोमना के बीच मारपीट की शिकायत अवश्य आई है, जिसकी जांच हो रही है।

*१७—श्री हरी सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एम० आई० रीजनल फूड कंट्रोल, अलीगढ़ ने अपनी पिटाई के संबंध में आर० एम० ओ०, अलीगढ़ के खिलाफ अदालत में जाने के लिये स्वीकृति मांगी थी ? यदि हां, तो स्वीकृति क्यों नहीं दी गई ?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। एम० आई० की प्रार्थना विचाराधीन है।

केन्द्र से प्राप्त अनाज

*१८—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, १९६७ के तृतीय सप्ताह में प्रदेश की खाद्य स्थिति पर केंद्रीय सरकार से मुख्य मंत्री की बातें हुई हैं ? यदि हां, तो कितना गल्ला निकट भविष्य में प्रदेश को केंद्र से मिलने जा रहा है ?

श्री झारखंडे राय—

जी हां। प्रदेश की आवश्यकता को देखते हुए केंद्र से २ लाख टन खाद्यान्न प्रतिमाह की मांग की गई थी परन्तु केंद्र ने इस प्रदेश को अप्रैल, १९६७ में १,२६,००० टन, मई में १,११,००० टन तथा जून में १,१०,००० टन खाद्यान्न का कोटा एलाट किया। यह नहीं कहा जा सकता कि आगामी महीनों में केंद्र से कितना कोटा मिलेगा।

नोट—तारांकित प्रश्न १५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*१९—श्री रमाकान्त द्विवेदी (जिला फतेहपुर)—

[१ ले बुधवार के लिये प्र० सं० १९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सहारनपुर जिले में पकड़ा गया अनाज

*२०—श्री मुल्कीराज (जिला सहारनपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर नगर में १५–१६ मार्च, १९६७ को रात्रि में जो छापे गल्ला व्यापारियों के यहां पर डाले गये उसमें कितना-कितना गल्ला किस-किस दूकानदार के पास बरामद हुआ ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आर० एफ० सी०, मेरठ ने सहारनपुर के अधिकारियों को १५–१६ की रात्रि में पड़े छापों के बारे में सूचित किया कि उन्होंने व्यापारियों को अतिरिक्त गल्ला रखने की अनुमति दे दी है तथा व्यापारियों के सब गोदाम इत्यादि के रजिस्टर तथा लाइसेंस आर० एफ० सी०, मेरठ ने अपने पास ले रखे हैं ?

श्री झारखंडे राय—

सहारनपुर नगर में १५ मार्च, १९६७ की और १६ मार्च, १९६७ को दरम्यानी रात्रि में गल्ला व्यापारियों के यहां कोई छापे नहीं डाले गये और न १५ मार्च, १९६७ और १६ मार्च, १९६७ की दरम्यानी रात्रि में आर० एफ० सी०, मेरठ ने इस विषय में ऐसी कोई सूचना सहारनपुर के जिला अधिकारियों को दी ।

*२१—श्री मुल्कीराज—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि १ जनवरी, १९६७ से २० मार्च, १९६७ तक सहारनपुर नगर से बिना लाइसेंस अनाज ले जाते कितने ट्रक पकड़े और कितने लोग हिरासत में लिये गये और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री झारखंडे राय—

१ जनवरी, १९६७ से २० मार्च, १९६७ तक सहारनपुर नगर से बिना लाइसेंस अनाज ले जाते हुये केवल दो ट्रक पकड़े गये और एक आदमी हिरासत में लिया गया । अभियुक्तों के विरुद्ध दोनों मुकदमें दर्ज रजिस्टर करके जांच की जा रही है।

अध्यक्ष, जिला परिषद्, झांसी के विरुद्ध जांच

*२२—श्री उग्रसेन तथा श्री रघुनाथ (जिला झांसी)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि सन् १९६६ में झांसी जिला परिषद् के अध्यक्ष के विरुद्ध मुख्य मंत्री के आदेश पर भ्रष्टाचारों के संबंध में प्रांतीय सी०आई० डी० द्वारा जांच प्रारम्भ की गई ? क्या यह भी सत्य है कि सी० आई० डी० अधिकारी द्वारा १६ जुलाई, १९६६ को तथा १५ मार्च, १९६७ को बड़े पैमाने पर जिला परिषद से कागजात छापा मार कर पकड़े गये ?

*२३—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि जिला परिषद्, झांसी के अध्यक्ष द्वारा उपरोक्त कागज पकड़े जाने के पश्चात् सरकार से सी० आई० डी० इन्क्वायरी समाप्त कर देने का आग्रह किया गया ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सी० आई० डी० इन्क्वायरी समाप्त करा देने का आदेश दिया गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

मई, १९६६ में अध्यक्ष, जिला परिषद् झांसी के विरुद्ध एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था और मामला सी० आई० डी० को जांच के लिये सौंप दिया गया था, अध्यक्ष द्वारा इस जांच को स्थगित कराने के लिये प्रार्थना की गई थी जो अस्वीकृत कर दी गई और जांच अभी चल रही है । इसके अलावा इस संबंध में इस समय और सूचनायें देना जनहित में न होगा ।

गोरखपुर जिले में मजदूरी के रूप में वितरित अनाज

*२४—श्री अश्वनीकुमार (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि वर्ष १९६६-६७ में ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में मजदूरी के रूप में देने के लिये कितना गल्ला दिया गया था ? क्या उस गल्ले को वितरित कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार यह बतायेगी कि उस गल्ले में कितना सड़ गया है ?

श्री जयराम वर्मा—

वर्ष १९६६-६७ में ग्रामीण जन-शक्ति योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में मजदूरी के रूप में देने हेतु ८०८ क्विंटल गल्ला दिया गया । जिसमें से केवल १६६-०९ क्विंटल गल्ला वितरित हुआ । कोई गल्ला सड़ा नहीं ।

*२५—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[१ले शुक्रवार को प्र० सं०४० के अन्तर्गत उत्तर दिया गया ।]

मेंहदावल में सस्ते अनाज की दुकानों की जांच

*२६—श्री चन्द्रशेखरसिंह—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि बस्ती जिले की मेंहदावल टाउन एरिया में सस्ते गल्ले की दूकानों के द्वारा गल्ला चोरबाजारी से बेचा जा रहा है ? इसकी जांच करा कर तुरन्त उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री झारखण्डे राय—

मेंहदावल टाउन एरिया की सस्ते गल्ले की दुकानों की जांच कराये जाने पर दो दुकानों द्वारा वितरण में त्रुटियां तथा अनियमितायें पाई गईं । इन दोनों दुकानों को रद्द (कैंसिल) कर दिया गया है तथा अन्य दुकानों के संबंध में जांच जारी है ।

महापालिकाओं का निर्वाचन

*२७—श्री रमाशंकर अग्रवाल (जिला आगरा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश की पांचों नगर महापालिकाओं का आगामी निर्वाचन की दृष्टि से परिसीमन पूर्ण हो चुका है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

पांचों नगर महापालिकाओं में एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर परिसीमन पूरा हो गया है । शासन के समक्ष यह प्रश्न विचाराधीन है कि महापालिकाओं के निर्वाचन एक सदस्यीय अथवा द्विसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर कराये जायें ।

*२८—श्री रमाशंकर अग्रवाल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश की महापालिकाओं के वर्तमान प्रशासकों की कार्यकाल की क्या अवधि है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

प्रशासकों का कार्यकाल दिनांक १ फरवरी, १९६६ से २ वर्ष या अधिनियम की धारा ९ के अनुसार महापालिकाओं के पुनर्गठन इसमें जो भी पहले हों, तक है ।

लखनऊ महापालिका को बिलों के भुगतान का आदेश

*२९—श्री रामप्यारे शुक्ल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या यह सत्य है कि लखनऊ नगर महापालिका के कानूनी सलाहकारों तथा अधिवक्ताओं के शुल्क के बिलों का भुगतान काफी समय से महापालिका द्वारा नहीं किया गया है ? यदि हां, तो कितने समय से नहीं किया गया है तथा भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

जी नहीं । वित्तीय वर्ष १९६६-६७ में रु० २९,५७०-७० पैसे तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में ११,९४४-८५ पैसे का भुगतान किया गया है। ५५ बिलों का भुगतान नहीं हुआ है। बिलम्ब से प्राप्त होने, उचित विभाग को न भेजे जाने तथा उचित चेकिंग में समय लगने से भुगतान में बिलम्ब होता है । महापालिका को इन जिलों के शीघ्र भुगतान करने के आदेश भेजे जा रहे हैं ।

लखनऊ महापालिका के निलम्बित कर्मचारी

*३०—श्री रामप्यारे शुक्ला—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगरमहापालिका के कौन-कौन कर्मचारी ६ मास से अधिक समय से निलंबित हैं ? इन निलम्बित कर्मचारियों में से किस-किस को चार्जशीट दिया जा चुका है ? जिसे चार्ज शीट नहीं दिया गया है, उसे न देने का कारण क्या है ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

नगर महापालिका में ६ मास से अधिक समय से निलम्बित कर्मचारियों की सूची संलग्न है । इनमें ४ को चार्जशीट दी गई है । शेष ६ को नहीं दी जा सकी है क्योंकि जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १९८ पर)

भूमि भवन-कर

*३१—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार भूमि व भवन कर के उस चार्ज को खत्म करने की कृपा करेगी जो १९६४-६५ में बढ़ाया गया था ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री बरमेश्वर पांडेय—

इस कर की दरें १ अक्टूबर, १९६५ से बढ़ाई गई थीं और इन बढ़ी हुई दरों पर जो कर ३१ मार्च, १९६७ तक देय होगा, उसे वसूल किया जायेगा । सरकार ने १ अप्रैल, १९६७ से इस कर को बिल्कुल समाप्त कर दिया है ।

सुल्तानपुर जिले में विकास अधिकारियों का स्थानान्तरण रोकना

*३२—श्री रवीन्द्र प्रतापसिंह (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सुल्तानपुर जनपद के विकास क्षेत्र, अमेठी व भादर के विकास क्षेत्र अधिकारियों का तीन-तीन, चार-चार बार स्थानान्तरण होने के बाद भी उन्हें वहीं रखा गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--

विकास खंड अमेठी, जिला सुल्तानपुर के क्षेत्र विकास अधिकारी श्री महारुद्र सिंह का स्थानान्तरण केवल एक बार उप विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा किया गया था परन्तु प्रशासकीय दृष्टिकोण से श्री सिंह का स्थानान्तरण स्थगित कर दिया गया था।

विकास खंड भादर, जिला सुल्तानपुर के क्षेत्र विकास अधिकारी श्री एजाज अहमद फारूकी का स्थानान्तरण केवल एक बार उप विकास आयुक्त, फैजाबाद द्वारा जयसिंहपुर विकास क्षेत्र को किया गया था परन्तु मंडलायुक्त के आदेशानुसार उक्त स्थानान्तरण आदेश में संशोधन किया गया तथा श्री फारूकी का स्थानान्तरण विकास क्षेत्र गौरा, जिला प्रतापगढ़ को कर दिया गया चूंकि श्री फारूकी को भादर क्षेत्र में कार्य करते केवल डेढ़ वर्ष ही हुआ था इसलिये उनके स्थानान्तरण आदेश रद्द कर दिये गये।

विकास खंड़, अमेठी में ब्लाक प्रमुख का त्याग-पत्र

*३३--श्री रवीन्द्रप्रताप सिंह--

सुल्तानपुर जिले के विकास खंड, अमेठी के ब्लाक प्रमुख का स्थान कब से रिक्त है? अब तक चुनाव न कराने का कारण क्या है, तथा चुनाव कब तक करा दिया जायगा ?

श्री जयराम वर्मा--

क्षेत्रसमिति अमेठी के प्रमुख के विरुद्ध लगाये गये कतिपय आरोपों के संबंध में फैजाबाद मंडल के आयुक्त द्वारा उनके विरुद्ध वैभागिक कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच में उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दे दिया, जिसे अध्यक्ष, जिला परिषद, सुल्तानपुर ने दिनांक २५-५-६६ को स्वीकार कर लिया।

२--अध्यक्ष द्वारा उनके त्याग पत्र को स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही की वैधानिकता के संबंध में कुछ विवाद था। अतः इस संबंध में कानून विभाग से परामर्श किया जा रहा था। अब कानून विभाग की राय प्राप्त हो गई है और शीघ्र ही चुनाव कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।

बांदा जिले में सस्ते गल्ले की दुकानें

*३४--श्री इन्द्रपाल (जिला बांदा)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के विकास खंड मार्शिकपुर, रामनगर तथा मऊ में सस्ते गल्ले की दूकानें किस-किस ग्राम में किस-किस व्यक्ति के पास हैं, तथा जनवरी तथा फरवरी, १९६७ में कितना-कितना गल्ला वितरण के लिये दिया गया ?

श्री हारखंडेराय--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १९९-२०१ पर)

बड़ागांव ब्लाक तोड़ना

*३५--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी को तोड़ कर उसे ब्लाक पिंडरा में और कुछ हिस्सा ब्लाक सेवापुरी में मिलाया गया है ? यदि हां, तो पिंडरा ब्लाक जो आर० एम० पी० स्कीम में पहले ही से हैं तो क्या वे सड़कें जैसे बड़ागांव से अनेई, बसनी से वरही नेवादा तथा बड़ागांव से कठिरांव व अनेई से थाने रामपुर की सड़कें आर० एम० पी० स्कीम में ले ली गई हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां, परन्तु उच्च न्यायालय में रिट पेटीशन्स दायर हो जाने के फलस्वरूप पुनर्गठित विकास खंड अभी कार्य नहीं कर रहे हैं और स्थिति पूर्ववत् है। जब तक बड़ागांव विकास खंड ग्रामीण जन शक्ति योजना में शामिल नहीं हो पाता इन सड़कों को इस योजनान्तर्गत स्वीकृति करना संभव न हो सकेगा।

मुरादाबाद तथा सम्भल में सस्ते गल्ले की दुकानों का एलाटमेन्ट

*३६--श्री महेशकुमार (जिला मुरादाबाद)--

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद के नगर मुरादाबाद, नगर संभल में एक ही आदमी के नाम कई-कई सरकारी राशन की दुकानें एलाट की गई हैं और इन लोगों ने ये दुकानें दूसरे लोगों को ठेके पर उठा रखी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री झारखण्डेराय--

नगर मुरादाबाद तथा सम्भल में एक ही व्यक्ति को एक से अधिक सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें एलाट नहीं की गई हैं और न किसी व्यक्ति ने अपनी दुकान दूसरे व्यक्ति को ठेके पर दी है।

राठ तहसील में पेय-जल कष्ट

*३७--श्री रामश्री राजपूत (जिला हमीरपुर)--

क्या सरकार को विदित है कि राठ तहसील, जिला हमीरपुर के ग्राम धौहलबुजुर्ग, महाराजपुर, बंगरा, छेड़ीवेनी, टेहरी, ममना, गहुली तथा बीलपुर आदि पानी न मिलने से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या व्यवस्था की है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

प्रत्येक ग्राम की पेय चल स्थिति तथा उसके संबंध में की गई व्यवस्था का उल्लेख संलग्नक में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २०२ पर)

गाजियाबाद का विकास

*३८--श्री प्यारेलाल (जिला मेरठ)--

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद नगर को सुन्दर बनाने के लिये हजारों एकड़ भूमि ली गई है जिसमें बड़ी-बड़ी मिलें व श्रमिकों की कोठियां बनाने का प्लान है ? क्या इस प्लान में गरीबों, मजदूरों के रहने के लिये ५ रुपये से १० रुपये मासिक तक के किराये के मकानों की व्यवस्था की गई है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय--

गाजियाबाद क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिये जो भूमि ली गई है उसमें छोटी बड़ी हर प्रकार की मिलें तथा हर वर्ग के लोगों के मकान बनाने के प्लाट तथा उनके रहने के मकान बनाने का प्लान है। श्रम विभाग द्वारा गाजियाबाद में सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत मजदूरों के लिये १११८ मकान बनाने की योजना है जिसमें से ४३२ मकान बन चुके हैं जिनका किराया १३.५० रुपये प्रतिमाह है। निम्न आय वर्ग के लोगों को मकान बनाने के लिये ऋण देने की भी योजना चालू की जा रही है।

*३९–४०––श्री मुनीन्द्रपालसिंह (जिला पीलीभीत)––

[१ले बुधवार के लिये प्रश्न सं० २०–२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

प्रधान, गांव पंचायत, उसावां के विरुद्ध आरोप की जांच

*४१––श्री बृजपालसिंह (जिला बदायूं)––

क्या सरकार को ज्ञात है कि ग्राम सभा उसावां, जिला बदायूं के प्रधान के विरुद्ध लगभग १६ हजार रुपये के गबन के आरोप की दिसम्बर, १९६६ में डी० पी० आर० ओ० बदायूं, के आदेश पर कोई जांच हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी तथा बतायेगी कि उक्त प्रधान के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री जयराम वर्मा––

प्रधान, गांव पंचायत उसावां, जिला बदायूं के विरुद्ध लगाये गये गबन के आरोपों के संबंध में जांच जारी है।

ईंट भट्ठों का लाइसेन्स संबंधी रिट पर निर्णय

*४२––श्री बदलराम (जिला फैजाबाद)––

क्या खाद्य मंत्री को ज्ञात है कि फैजाबाद जिले की दो रिट अर्जियों का हाल ही में निर्णय देते हुये माननीय उच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि कोल कन्ट्रोल आर्डर, १९५९ की धारा ४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत जिला पूर्ति अधिकारियों को बागों को क्षति से बचाने हेतु ईंट-भट्ठे का लाइसेंस अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है ?

श्री झारखंडेराय––

जी हां।

गाजियाबाद क्षेत्र का विकास

*४३––श्री प्यारेलाल––

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गाजियाबाद मास्टर प्लान में सरकार ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के वास्ते जो भूमि १९६२ में दफा ४ के अन्तर्गत गजट की थी उसमें से कितने एकड़ भूमि नोटीफाइड आज तक पड़ी है और कब तक उक्त भूमि को दफा ४ में रखा जायगा ? क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गाजियाबाद मास्टर प्लान के अन्दर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के इक्जीक्यूटिव इंजीनियरों की संख्या क्या है ?

श्री वरमेश्वर पांडेय––

गाजियाबाद क्षेत्र के सुनियोजित विकास हेतु सरकार ने गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के लिय जो भूमि १९६२ में लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट, १८९४ की धारा ४ के अन्तर्गत विज्ञापित की थी उसमें से लगभग २,१५० एकड़ भूमि अब भी धारा ४ में विज्ञापित है। इस भूमि में से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को अपनी योजनाओं के लिये जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी वह २० जनवरी, १९६९ से पहले उक्त ऐक्ट की धारा ६ के अन्तर्गत विज्ञापित कर दी जायेगी।

गाजियाबाद इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और पांच सहायक इंजीनियर हैं। इनके अतिरिक्त गाजियाबाद में स्थित स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग के प्रथम व द्वितीय खंडों में दो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर व ६ सहायक इंजीनियर हैं जिनका खर्चा इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट वहन करता है।

जैतीपुर ब्लाक का सिंचाई अनुदान

*४४—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला शाहजहांपुर के ब्लाक जैतीपुर में ३१ मार्च, १९६७ तक कितना अनुदान ६६–६७ में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत दिया गया और कितना अनुदान का पैसा राज्य सरकार को सरेन्डर कर दिया गया ?

श्री जयराम वर्मा—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बहराइच जिले को गल्ले का कोटा

*४५—श्री गयाप्रसाद (जिला बहराइच)—

क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा दिया जाने वाला गल्ले का कोटा मार्च, १९६७ में जिला बहराइच को नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री झारखण्डे राय—

यह सत्य नहीं है । सरकार द्वारा दिया जाने वाला गल्ले का कोटा मार्च, ६७ में जिला बहराइच को दिया गया था ।

जिला परिषद् कर्मचारियों का वेतन

*४६—श्री मारकण्डे (जिला आजमगढ़)—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् के लिपिकों को सरकारी चपरासियों से भी कम वेतन मिलता है और क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत होने के बावजूद भी जिला परिषद् के कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन और महंगाई नहीं दिया जा रहा है ?

श्री जयराम वर्मा—

(१) जिला परिषद् के तृतीय ग्रेड लिपिकों का प्रारम्भिक वेतन सरकारी चपरासियों को प्राप्त प्रारम्भिक वेतन से ५ रु० कम है । वैसे इन लिपिकों का वेतन-क्रम सरकारी चपरासियों के वेतन क्रम से अधिक ही है ।

(२) जिला परिषद् के कर्मचारियों के वेतन संशोधन का सामान्य प्रश्न शासन के विचाराधीन है ।

इलाहाबाद में गन्दी बस्तियां तथा मेहतरों के क्वार्टर

*४७—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बतलावेंगे कि इलाहाबाद महानगरपालिका के अन्तर्गत गन्दी बस्तियों को हटाने की सरकार की योजना में कितनी बस्तियों को हटाया गया तथा कितनी नई बस्ती अब तक बसाई गयीं ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

इलाहाबाद में नगर महापालिका द्वारा अब तक न तो कोई गन्दी बस्ती हटाई गई और न कोई नई बस्ती बसाई गई ।

*४८—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महापालिका के अन्तर्गत कितने क्वार्टर अब मेहतरों तथा सरकारी कर्मचारियों को बसाने हेतु बनवाये गये हैं और उनमें कितने सरकारी कर्मचारी तथा मेहतर रह रहे हैं ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

नगर महापालिका, इलाहाबाद के अन्तर्गत १४२ क्वार्टर मेहतरों को बसाने हेतु बने हैं और इनमें मेहतरों के परिवार रहते हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई क्वार्टर नहीं बने हैं।

सीमर बाजार टाउन एरिया को चार्ज न मिलना

*४९—श्री शिवलाल (जिला बलिया)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि जिला बलिया के अन्तर्गत सीमरबाजार (बिलथरा रोड) को टाउन एरिया घोषित हुये लगभग एक वर्ष व्यतीत हो रहे हैं किन्तु जिला परिषद् बलिया ने अभी तक उक्त टाउन एरिया को अपना चार्ज नहीं दिया है ? यदि हां तो इसका क्या कारण है ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

जी हां। जिला परिषद् का कहना है कि टाउन एरिया बन जाने के बाद भी बिलथरा रोड बाजार से जो आय होती है, वह उसे मिलती रहना चाहिये।

अध्यक्ष, नगरपालिका देवबन्द का निलम्बन

*५०—श्री विष्णुस्वरूप (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि अध्यक्ष, नगरपालिका देवबन्द, जिला सहारनपुर के विरुद्ध १६३ बोरी सीमेंट के गबन का मुकदमा अदालत के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उनको अभी तक क्यों नहीं निलम्बित किया गया ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

अध्यक्ष, नगरपालिका, देवबन्द (सहारनपुर) के विरुद्ध सीमेन्ट संबंधी मुकदमा, अदालत के विचाराधीन है। उन्हें ७ मई, १९६७ से निलम्बित कर दिया गया है।

गांव सभा, सेहुद का प्रार्थना-पत्र

*५१—श्री सहदेवसिंह—

क्या विकास मंत्री बतायेंगे कि इटावा जिले की औरैया तहसील की ग्राम सभा सेहुद ने २८ सितम्बर, १९६१ को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव द्वारा संचालक पंचायतराज से उस ग्राम सभा को चार ग्राम सभाओं में विभक्त करने की प्रार्थना की थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा क्या आगामी पंचायत निर्वाचन से पूर्व यह व्यवस्था हो सकेगी ?

श्री जयराम वर्मा—

तहसील औरैया जिला इटावा की गांव सभा सेहुद को तीन गांव सभाओं में विभक्त करने का प्रस्ताव वर्ष १९६१ से प्रस्तावित है किन्तु गांव सभा सेहुद में केवल एक ही माल का गांव सेहुद सम्मिलित होने के कारण इसका विभाजन नहीं किया जा सका है।

रेंट कण्ट्रोल इविक्शन ऐक्ट में संशोधन करने का विचार

*५२—श्री गोपालराम दास (जिला अल्मोड़ा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य के शहरों की विकट आवास की समस्या को देखते हुये रेंट कन्ट्रोल इविक्शन ऐक्ट में संशोधन करके १९६५ तक के निर्मित मकानों को रेंट कन्ट्रोल में लायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

श्री झारखण्डेराय—

प्रश्न विचाराधीन है ।

*५३-५४—श्री कृष्णानन्द राय—

[१ले गुरुवार के लिये प्र० सं० ५०-५१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*५५—श्री रघुनाथसिंह—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिया गया ।]

तालबेहट के ब्लाक प्रमुख तथा क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोप

*५६—श्री रघुनाथसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ब्लाक तालबेहट, जिला झांसी के ब्लाक प्रमुख और बी०डी०ओ० के विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में कार्यवाही करने को पुलिस द्वारा १९६५ में विकास विभाग से सिफारिश की गई थी और दिनांक २८ अप्रैल, १९६५ को विधान सभा में उप सहायक सामुदायिक विकास मंत्री ने इस ब्लाक में भ्रष्टाचार तथा गबन के धन का दुरुपयोग आदि होना स्वीकार किया था ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस गबन तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध अब तक क्या कानूनी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा—

ब्लाक तालबेहट जिला झांसी के ब्लाक प्रमुख और क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध गबन और भ्रष्टाचार के आरोप में १९६५ में विकास विभाग से पुलिस द्वारा कार्यवाही करने की कोई सिफारिश नहीं की गई ।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा इस संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में २८-४-६५ को सदन को बताया गया था कि श्री बाबू लाल सरीफ द्वारा लगाये गये आरोप की जांच परगना अधिकारी ललितपुर तथा जिला अधिकारी झांसी द्वारा कराई गई थी और जांच द्वारा यह पता लगा कि अनुदान के लिये स्वीकृत धनराशि का दुरुपयोग हुआ, जिसके लिये ब्लाक प्रमुख तथा क्षेत्र विकास अधिकारी उत्तरदायी पाये गये। सरकार की ओर से सदन को यह बतलाया गया था कि उक्त जांच के फलस्वरूप विकास अधिकारी के खिलाफ उनकी चरित्र पुस्तिका में भर्त्सनात्मक उल्लेख करने के आवश्यक आदेश दिये गये हैं, ब्लाक प्रमुख के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने के लिये कमिश्नर को लिख दिया गया है और जिन अनुदानों का दुरुपयोग हुआ है उससे संबंधित धनराशि को वसूल करने की उचित कार्यवाही करने के लिये जिला अधिकारी झांसी को लिख दिया गया है ।

सदन को दिये गये उपरोक्त आश्वासन के आधार पर निम्नलिखित कार्यवाही की गई ।

(क) जिस समय के अनुदान के दुरुपयोग के आरोप हैं उस समय तालबेहट विकास खंड में श्री राज बंश सिंह क्षत्र विकास अधिकारी थे जो इस समय कृषि विभाग में जिला कृषि अधिकारी

हैं। निदेशक कृषि विभाग को श्री राजवंश सिंह की चरित्र पुस्तिका में भर्त्सनात्मक उल्लेख करने के लिए आदेश दे दिये गये हैं।

(ख) श्री केशव दास भट्ट, प्रमुख तालबेहट के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने के लिये आयुक्त, झांसी मंडल झांसी को पंचायत राज विभाग द्वारा आदेश दे दिये गये थे। मंडल आयुक्त की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी कि चूंकि प्रमुख के विरुद्ध लाये गये आरोप उनके प्रमुख होने के पूर्व के थे अतएव उनके विरुद्ध क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम की धारा १६ के अन्तर्गत कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकी।

(ग) जिला अधिकारी झांसी की जांच रिपोर्ट के आधार पर जो व्यक्ति अनुदान की इंगीकृत धनराशि के दुरुपयोग के लिये दोषी पाये गये उनसे वसूली करने के आदेश जिला अधिकारी झांसी को दे दिये गये।

आजमगढ़ जिले में धान के बीज की व्यवस्था

*५७—श्री मुक्तिनाथ राय (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में किसानों को धान की देर से पकने वाली (लेट पैडी) व जल्द पकने वाली (अर्ली पैडी) फसली के बीज देने की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो क्या?

श्री जयराम वर्मा—

जी हां, कृषि विभाग द्वारा उन्नत बीज जिसमें हाई ईल्डिंग जातियां भी सम्मिलित हैं, के वितरण की व्यवस्था की जाती है। आजमगढ़ जिले में खरीफ, १९६७ के लिये कृषि विभाग के पास ५५० क्विंटल जल्दी पकने वाला तथा २३० क्विंटल देर से पकनेवाला धान का बीज उपलब्ध है।

किसानों से प्राप्त अनाज की विक्रय व्यवस्था

*५८—श्री रईसउद्दीन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि गल्ला जो काश्तकारों से हासिल किया जायगा क्या वह सस्ते गल्ले की दूकानों पर कार्ड से दिया जायेगा? उसके वितरण की क्या प्रणाली होगी?

श्री झारखण्डेराय—

जी हां।

अभी विचाराधीन है।

हल्द्वानी तहसील में तेजपुर नेगी नलकूप

*५९—श्री इन्द्रलाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला नैनीताल के तहसील हल्द्वानी में पेयजल योजना के अन्तर्गत निर्मित, तेजपुर नेगी' ट्यूबवेल अर्से से खराब पड़ा है? यदि हां, तो इसके खराब होने का कारण क्या हुआ?

श्री वरमेश्वर पाण्डेय—

यह नलकूप खराब नहीं है। सूखा पड़ने के कारण इस क्षेत्र में पानी का धरातल (Sub-Soil water leve, ४०–५० फीट नीचा हो जाने से मशीन द्वारा पानी नहीं खींचा जा सकता था। पानी का धरातल ऊंचा हो जाने के पश्चात् तुरन्त ही जनवरी, १९६७ से नलकूप पुनः चालू किया गया।

अतारांकित प्रश्न

१—श्री मारकण्डे—

[२ रे बुधवार के लिये प्र० सं० ९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

लखनऊ में वजीरगंज नाले पर पुल

२—श्री रामप्यारे शुक्ल (जिला सुल्तानपुर)—

क्या सरकार यह बतायेगी कि लखनऊ में वजीरगंज नाले पर शर्राफखाना तथा बाल्दखाना को मिलाने वाला पुल जो कि काफी समय से टूटा पड़ा है वह कब तक बन कर तैयार हो जायगा ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

वजीरगंज नाले पर शर्राफखाना तथा बाल्दखाना को मिलाने वाला पुल जून, १९६७ के अन्त तक बनकर तैयार हो जायेगा ।

वाराणसी जिले में सड़कों का निर्माण

३—श्री ऊदल—

क्या विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले से आर० एम० पी० स्कीम के अन्तर्गत कौन-कौन सी कच्ची सड़कों को लिया गया है और कितना रुपया अब तक खर्च हुआ है तथा कितना बाकी है ?

श्री जयराम वर्मा—

५६ कच्ची सड़कों को (संलग्न सूची के अनुसार) पक्का कराने के लिये लिया गया है । इन तमाम सड़कों पर ३१ मार्च, १९६७ तक २८,०५,९७३ रुपया व्यय हो चुका है तथा १,१८,६१,९३५ रुपये की अनुमानित लागत का कार्य होना शेष है । सड़कवार यह सूचना संलग्नक में भी दी गई है ।

(देखिये परिशिष्ट 'ब' आगे पृष्ठ २०३–२०६ पर)

४—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

[१ ले बुधवार के लिये प्र० सं० १ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

सरकारी प्रबंध में नगरपालिकायें

५—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों की पालिकाओं तथा नगरमहापालिकाओं को सरकार अपने कब्जे में कर प्रशासकों द्वारा प्रबन्ध करवा रही है ?

श्री बरमेश्वर पाण्डेय—

प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में उनके सम्मुख दी गई नगरपालिकाओं तथा महापालिकाओं का प्रबन्ध इस समय प्रशासकों द्वारा किया जा रहा है:—

जिले का नाम	नगर पालिका/महापालिका का नाम
१—मुरादाबाद	मुरादाबाद
२—बदायूं	सहसवान
३—शाहजहांपुर	शाहजहांपुर

जिले का नाम	नगर पालिका/महा नगरपालिका का नाम
४—मेरठ	गाजियाबाद
५—बुलन्दशहर	डिबाई
६—मिर्जापुर	मिर्जापुर
७—जौनपुर	जौनपुर
८—अलीगढ़	अलीगढ़
१०—फैजाबाद	फैजाबाद
११—सहारनपुर	गंगोह
१२—लखनऊ	लखनऊ
१३—आगरा	आगरा
१४—कानपुर	कानपुर
१५—बनारस	वाराणसी
१६—इलाहाबाद	इलाहाबाद

इलाहाबाद में जलकर में वृद्धि

६—श्री कल्याणचन्द्र मोहिले—

क्या सरकार बतायेगी कि इलाहाबाद नगरपालिका ने १ अप्रैल, १९६७ से मकान तथा उस पर जल-कर बढ़ा कर दुगुना कर दिया है? यदि हां, तो प्रदेश की और किन-किन महापालिकाओं ने ऐसा किया ?

श्री परमेश्वर पाण्डेय—

नगर महापालिका इलाहाबाद ने गृह कर में कोई वृद्धि नहीं की है। जलकर की दर अवश्य बढ़ाई है पर यह वृद्धि २ प्रतिशत से अधिक नहीं है। ६० व० से १८० व० के वार्षिक मूल्यांकन वाले मकानों पर जल कर की दर ५ प्रतिशत से बढ़ाकर १३ प्रतिशत रखी गई है क्योंकि अधिनियम के अन्तर्गत जल कर की दर सब के लिये एक ही रखना आवश्यक है। लेकिन प्रशासक ने अपने १८ मई, १९६७ के एक प्रस्ताव द्वारा इन मकानों को जलकर की दर में ८ प्रतिशत की छूट दे दी है जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे मकानों के मालिकों को पुरानी ही दर पर जो ५ प्रतिशत थी जल कर देना होगा। शासन ने प्रशासक के इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी है।

बाजपुर व किच्छा की विकास योजना

७—श्री रामदत्त (जिला नैनीताल)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नैनीताल जिले के बाजपुर व किच्छा कस्बों के लिये प्रयोजित मास्टर प्लान के लिये आवश्यक भूमि सरकार द्वारा अधिगृहीत की जायगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री परमेश्वर पाण्डेय—

बाजपुर व किच्छा के प्रयोजित मास्टर प्लान के लिये भूमि अधिगृहीत करने का कोई प्रस्ताव शासन के पास अभी तक नहीं आया है।

प्रश्न ही नहीं उठता है।

प्रश्न का उत्तर न मिलने के सम्बन्ध में शिकायत

श्री प्यारेलाल—

मेरा एक विशेषाधिकार का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

उसका समय आयेगा तब....

श्री प्यारेलाल—

मेरा प्रश्न १६ जून का था और उसका लिखित उत्तर हमें २४ घंटे पहले नियमानुसार नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं इस की व्यवस्था मुझे करनी होगी, मैं इसको देखूंगा।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अध्यक्ष—

अब आज के कार्यक्रम का दूसरा आइटम है उपाध्यक्ष पद के लिये नाम-निर्देशित अध्यक्षियों के नामों की घोषणा।

न्याय मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

एक सूचना, इस संबंध में कि सदन कब तक बैठेगा....

श्री अध्यक्ष—

यह विषय बाद में लिया जायगा।

मेरे पास ३ नाम आये थे,। एक श्री श्रीपति मिश्र का है जिसके प्रस्तावक श्री टम्बेश्वर प्रसाद हैं और श्री जयराम वर्मा हैं और समर्थक श्री प्रताप नारायण तिवारी हैं और श्री राम नारायण त्रिपाठी हैं। दूसरा नाम आया था श्री केदार बहादुर राणा का, इनके प्रस्तावक थे श्री जयेन्द्र सिंह तथा समर्थक श्री शशि भूषण सिंह, तीसरा प्रस्ताव आया श्री रघुनाथ सिंह का जिन के प्रस्तावक थे श्री बनारसी दास और समर्थक थे श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम ९ के उपनियम ४ में यह उपबंधित है कि निर्वाचन के पूर्व किसी भी समय कोई अभ्यर्थी, जो नाम-निर्देशित हुये हों, पीठासीन अधिकारी को इस विषय में मौखिक या लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम निर्वाचन से वापस ले सकते हैं। श्री रघुनाथ सिंह ने लिखित रूप से सूचना देकर अपना नाम वापस कर लिया। इस प्रकार अब हमारे सामने केवल २ नामों के प्रस्ताव हैं। वे इस प्रकार हैं :—श्री श्रीपति मिश्र तथा श्री केदारराज जंग बहादुर राणा।

उक्त नियम ९ के उपनियम (४) के अनुसार अब मैं माननीय प्रस्तावक महोदयों को बुलाऊंगा कि वे अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करें। पहले श्री टम्बेश्वर प्रसाद जी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उपाध्यक्ष पद के लिये श्री श्रीपति मिश्र, सदस्य जयसिंहपुर, जिला सुल्तानपुर को निर्वाचित किया जाय।

श्री प्रतापनारायण तिवारी (जिला गोंडा)—

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

अब दूसरा नाम श्री केदार राज जंग बहादुर राणा का है, उनके प्रस्तावक महोदय हैं, श्री जयेन्द्र सिंह। वह प्रस्ताव करें।

श्री केदारराज जंग बहादुर राणा (जिला बहराइच)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समय माननीय जयेन्द्र सिंह सदन में उपस्थित नहीं हैं उनको कहीं ले जाया गया है।

श्री अध्यक्ष—

आपका क्या मतलब है ?

श्री केदार राज जंग बहादुर राणा—

उधर के लोगों द्वारा उन्हें कहीं ले जाया गया है।

(शेम-शेम की आवाजें)

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

श्री जयेन्द्र सिंह ने साढ़े ९ बजे मुझे मौखिक रूप से कहा था कि अगर मुझे देर हो जाय तो उन की तरफ से मैं प्रस्ताव पेश कर दूं। इसलिये मैं श्री केदार राज जंग बहादुर राणा का नाम प्रस्तावित करता हूं।

स्वास्थ्य मंत्री (श्री प्रतापसिंह)—

श्री राणा को माननीय बनारसी दास ने अपनी कस्टडी में आधे घंटे से रखा है और जब मैंने उनसे कहा कि इस तरह का काम उन को नहीं करना चाहिये तो उन्होंने मुझे थ्रेट दी थी। मैं कहना चाहता हूं कि यह सब उनके कहने से किया जा रहा है। (शेम-शेम की आवाजें)

श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, (शोर) माननीय राणा जी मौजूद हैं और इन लोगों ने इन को.... (शोर)

श्री अध्यक्ष—

मैं चाहूंगा कि सदन में शांति रहे। इस हालत में सदन की कार्यवाही नहीं चल सकेगी। अगर इस तरह से सारे लोग एक साथ बोलने लगेंगे तो फिर सदन स्थगित करने के सिवा और कोई चारा नहीं होगा।

(शोर)

मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान से बोलेंगे तो सदन की कार्यवाही अच्छी तरह से चल नहीं सकती। माननीय बहुगुणा खड़े हुए लेकिन वह बैठ गये। माननीय बनारसी दास का नाम माननीय प्रताप सिंह ने लिया, वह संभवतः स्पष्टीकरण के लिये खड़े हुये। माननीय बनारसी दास के खड़े होने पर माननीय बहुगुणा बैठ गये इसलिये मैंने माननीय बनारसी दास को बुलाया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मान्यवर, आप ने माननीय बनारसी दास का नाम नहीं लिया।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

यह ठीक है कि माननीय बनारसीदास का नाम मैंने उस समय तक नहीं पुकारा था। लेकिन मैं पुकारने जा रहा था। चारों तरफ से आप लोग अपने स्थान से बोलने लगे। माननीय बनारसी दास, केवल आप स्पष्टीकरण तक सीमित रखेंगे।

श्री बनारसी दास—

श्रीमन्, माननीय प्रतापसिंह ने सदन के सामने गलत बयानी की····

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, एक सूचना है। माननीय शशि भूषण सिंह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं। मैंने उनको पार्टी सचेतक के नाते कहा था कि आप ने कृषक विधायक परिषद् के कैंडीडेट श्री राणा के नाम का जो समर्थन किया है उसको वापस ले लें। उन्होंने लिख कर दे दिया है कि श्री केदार राज जंग बहादुर राणा कृषक पार्टी के कैंडीडेट नहीं हैं और मैं उनके नाम को विदड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं केवल यह कहता हूं कि मेरे पास कई सूचनायें विभिन्न सदस्यों की आयी हैं, वह मैं अगर आप चाहेंगे तो उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले पढ़ कर सुना दूंगा।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मुझे यह कहना है कि माननीय प्रताप सिंह ने अभी सदन के सामने गलत बयानी की है। माननीय राणा यहां मौजूद हैं इसलिये माननीय प्रताप सिंह का यह कहना कि मैंने उन्हें अपने कस्टडी में कर लिया है यह गलत बयानी है। इसलिये मैं इन के खिलाफ ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष—

(माननीय उग्रसेन के खड़े होने पर) मैंने माननीय डाक्टर रमा बल्लभ को बुलाया है।

श्री रमाबल्लभ मिश्र (जिला बरेली)—

जब श्री केदार राज जंग बहादुर राणा के प्रस्तावक यहां पर नहीं हैं और उन्होंने प्रस्ताव नहीं किया तो आप अपनी रूलिंग दे कर इस विषय को समाप्त कीजिये। सदन का कीमती समय क्यों खराब किया जा रहा है ?

(शोर)

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

मैं महाराजधिराज श्री जयेन्द्र सिंह का वक्तव्य पढ़ देना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मुझे यह बताया कि संयुक्त विधायक दल अभी उपाध्यक्ष पद के लिये कोई उम्मीदवार तय नहीं कर पाया। अतः कृषक विधायक परिषद को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिये। हम लोग संविद को अनुरोध करेंगे कि वह हमारे उम्मीदवार को स्वीकार कर लें। इस विचार को मान कर मैंने श्री केदार राज जंग बहादुर राणा के नाम का प्रस्ताव किया। किन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि श्री राणा किसी कारण कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं। पिछले २४ घंटे से मुझे मिले तक नहीं अथवा उन्हें कांग्रेस का समर्थन न मिल सकता। (शोरगुल)

(श्री उग्रसेन के उपरोक्त वक्तव्य की प्रति को सदन में फेंकने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय उग्रसेन जी, इस तरह आपका कागज फेंकना सर्वथा अनुचित है।

*श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

श्रीमन्, जिन परिस्थितियों में आज सदन श्रीमन् के सामने आया है उसके संबंध में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं और मैं यह चाहता हूं कि इस संबंध में नियमों पर विचार करके तब आप कोई निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इस विषय में मैं सब लोगों को सुन कर ही अपना कोई निर्णय दूंगा। यह एक गंभीर विषय है जो कि सदन के सामने उपस्थित है। अगर माननीय सदस्य सुनेंगे नहीं या सुनने नहीं देंगे इधर के या उधर के तो फिर कार्यवाही नहीं चल सकेगी।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, नियम ९(४) के अन्तर्गत इस प्रकार का प्राविधान है "यदि एकाधिक सदस्यों का नाम निर्देशन शेष रहता है तो अध्यक्ष उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये एक एक कर के पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे।" दुर्भाग्य से एक माननीय सदस्य ने जिनका नाम प्रस्तावित हुआ था आपको सूचना दी कि उनके प्रस्तावक को यहां से जबरदस्ती ले जाया गया है। इसके साथ मैं आपके सामने एक दूसरी स्थिति रखना चाहता हूं और उनको जबरदस्ती ले जाने के बजाय प्रस्तावक महोदय को हार्ट अटैक हो गया होता या यहां आने के वे अयोग्य हो गये होते या कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी होती कि वे यहां आ न सकते तो उस परिस्थिति में आप क्या करते? इस संबंध में मैंने नियमों को आद्योपान्त देखने की चेष्टा की। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में दो चीजें थीं। एक तो यह थी कि कोई अधिकृत व्यक्ति श्रीमन् के सामने इस संबंध में सूचना देता कि प्रस्ताव क्या था? दूसरी परिस्थिति के लिये कोई नियम नहीं है। धारा ३१३ में श्रीमन् के सामने पढ़ दूं :

"ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनको इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय समय पर निदेश करें।" मेरा श्रीमन् से निवेदन है कि एक असाधारण परिस्थिति है और इस सत्र के प्रारम्भ से ही हम असाधारण परिस्थितियों में बैठे हैं। इससे अधिक और क्या शोचनीय होगा कि प्रस्तावक महोदय यहां से ले जाये जायं। मुझे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स का भी स्मरण है और मौजूदा जिला परिषदों का भी तजुरबा है जबकि प्रस्तावक महोदय दूसरे कोई हों उनसे कहा जाय कि चलिये, हम आपको हाउस में ले चलते हैं और फिर ५० मील की दूरी पर ले जा कर छोड़ दिया जाय। यदि आज की परिस्थितियों में श्रीमन् अधिकृत प्रस्तावक महोदय के प्रस्ताव को स्वीकार करें तो आप ऐसा निश्चित रूप से कर सकते हैं। जब चरखारी के राजा साहब नहीं हैं, जैसा कि राणा साहब का कहना है कि उनको ले जाया गया है, तो मैं यही कहूंगा कि आज यह चुनाव नहीं किया जाना चाहिये और यदि इसको प्रस्ताव न समझा जाय तो कोई दूसरी तिथि रखी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात माननीय सदन को बता देना चाहता हूं कि एक बड़ा गंभीर प्रश्न सदन के सामने उपस्थित है। उपाध्यक्ष का पद एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है। उसके लिये प्रयत्क्ष है कि दो नाम निर्देशन हुये। उनमें से एक प्रस्तावक आज नहीं उपस्थित हैं। तो अब प्रश्न यह है कि ऐसी दशा में क्या चुनाव में वह व्यक्ति जिनका नाम उन्होंने निर्देशित किया था वह भाग ले सकते हैं या नहीं। यह एक कठिन प्रश्न है और मैं नहीं जानता, मैं ढूंढ़वा रहा हूं कि पिछली रूलिंग्स हैं। जहां तक नियम है, उनका मैंने अध्ययन किया है वह मेरे सामने है। मैं पहले तो जो न्याय मंत्री हैं उनसे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]

कहूंगा कि वे इस विषय में अपनी सम्मति देनेकी कृपा करें जिससे मैं कुछ लाभान्वित हो सकूं और भी जो सदस्य चाहेंगे मैं उनकी भी बात सुन कर तब अपना निर्णय दूंगा।

श्री श्यामलाल यादव—

मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय आचार्य जी ने जो प्रश्न प्रस्तुत किया वह मेरी सम्मति में सही प्रतीत नहीं होता। जिन कल्पनाओं के आधार पर उन्होंने अपनी बहस आधारित की मैं समझता हूं कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने के लिये वह आधार केवल काल्पनिक हैं। यह भी हो सकता है कि श्री जयेन्द्रसिंह इस प्रस्ताव से सहमत न हों और उन्होंने परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् यह निर्णय किया हो कि सदन में उपस्थित हो कर इस प्रस्ताव को प्रस्तुत न करें। इसके विपरीत कोई दूसरा उद्देश्य सदन के सम्मुख नहीं आया जबकि माननीय सदन के सम्मुख श्री जयेन्द्रसिंह का वक्तव्य भी पढ़ दिया गया जिसमें उन्होंने यह कहा:—

श्री जयेन्द्र सिंह सदस्य, विधान सभा का वक्तव्य

"कुछ लोगों ने मुझे यह बता कर कि संयुक्त विधायक दल अभी उपाध्यक्ष पद के लिये कोई उम्मीदवार तय नहीं कर पाया अतः कृषक विधायक परिषद् को अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहिये। हम लोग संविद को अनुरोध करेंगे कि वह हमारे उम्मीदवार को स्वीकार कर लें इस विचार को मान कर मैंने श्री केदार राज जंग बहादुर राणा के नाम का प्रस्ताव किया। किन्तु अब स्पष्ट हो गया है कि श्री राणा किसी कारण कांग्रेस के हाथों खेल रहे हैं....."

श्री सुरेन्द्रविक्रम—

व्यवस्था का प्रश्न है। राजा जयेन्द्रसिंह का जो वक्तव्य पढ़ा जा रहा है उसमें उनके हस्ताक्षर नहीं हैं। क्या बिना हस्ताक्षर का कोई पत्र माननीय है ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय न्याय मंत्री जी, क्या इस पर उनके हस्ताक्षर हैं ?

श्री श्यामलाल यादव—

(शोर)—अगर माननीय सदस्य न सुनना चाहते हों तो बात दूसरी है लेकिन मेरी जानकारी में उनका यह सही वक्तव्य है।

श्री अध्यक्ष—

मैं जानना चाहता हूं कि आपके हाथ में जो स्टेटमेंट है उस पर उन्होंने अपना हस्ताक्षर करके दिया हुआ है या वैसे ही है ?

श्री श्यामलाल यादव—

यह वक्तव्य साइक्लोस्टाइल किया हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

देखिये माननीय न्याय मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि इस बात पर प्रकाश डाला जाय-यह जो हमारा एलेक्शन होता है अध्यक्ष का या उपाध्यक्ष का, इसका प्रोसेस वैसा नहीं है जैसा कि साधारण एलेक्शन सदन के किसी रेजोल्यूशन या प्रस्ताव के द्वारा होता है। इसकी कुछ अन्य प्रक्रिया है।

नियम ९३ में लिखा है—कार्यसूची में जिन सदस्यों के नाम में संकल्प हो वे अथवा कोई दूसरे सदस्य, जिनको उन्होंने अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पुकारे जाने पर संकल्प को प्रस्तुत करेंगे और उस दशा में कार्य-सूची में दिये हुये शब्दों में औपचारिक प्रस्ताव

के साथ अपना भाषण देंगे अथवा यदि वे संकल्प प्रस्तुत करना न चाहें तो उस दशा में वे अपना कथन उस बात तक ही सीमित रखेंगे ।

परन्तु अध्यक्ष स्वविवेक से उस सदस्य को संक्षेप में यह वक्तव्य देने की अनुज्ञा दे सकेंगे कि संकल्प को क्यों प्रस्तुत करना नहीं चाहते ।

वर्तमान स्थिति यह है कि अगर प्रस्ताव के रूप में यह प्रश्न यहां उपस्थित न होता, नाम निर्देशन ही होता तो नाम निर्देशन तो हो चुका है, लेकिन अगर एलेक्शन होता है तो प्राधिकृत प्रस्तावक से अपेक्षा की जाती है कि वह यहां प्रस्ताव को उपस्थित करे । कई राज्य सभाओं में ऐसा हुआ है कि वायस वोट से ही उसका निश्चय हो गया है । लेकिन मैं समझता हूं कि यह प्रश्न तो उपाध्यक्ष के चुनाव का है, साधारण प्रश्नों से भिन्न है, फिर क्यों नहीं इसमें नियम ९३ की प्रक्रिया अपनायी जाय, जिसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावक या दूसरे सदस्य जिनको उन्होंने अपनी ओर से प्राधिकृत किया हो संकल्प को प्रस्तुत कर सकते हैं । तो जैसा कि माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि उनको मौखिक रूप से इसके लिये अधिकृत किया गया है, तो इस पर प्रकाश डाला जाय कि क्या मौखिक रूप से प्राधिकृत कर देना काफी है या नहीं ?

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है कि.....

श्री अध्यक्ष--

मैं अभी यह बात माननीय न्याय मंत्री जी से पूछ रहा हूं ।

श्री श्यामलाल यादव--

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा ध्यान इस तरफ दिलाया गया है कि यदि प्रस्तावक सदस्य सदन में उपस्थित न हों तो क्या हो सकता है । श्रीमन्, अनुपस्थित सदस्यों के प्रश्न के संबंध में प्रक्रिया नियमावली के नियम ३९ में दिया हुआ है --"जब समस्त प्रश्न जिनका मौखिक उत्तर अभिप्रेत है, पुकारे जा चुके हों, तब अध्यक्ष यदि समय हो, किसी प्रश्न को पुनः पुकार सकेंगे जो उस सदस्य को अनुपस्थिति के कारण न पूछा गया हो जिसके नाम में वह प्रश्न हो तथा अध्यक्ष किसी सदस्य को अन्य किसी सदस्य के नाम में रखे हुए प्रश्न को पूछने की अनुज्ञा दे सकेंगे यदि वे उनके द्वारा इस प्रकार, प्राधिकृत किये गये हों या यदि अन्य कोई सदस्य उसमें अभिरुचि रखते हों ।"

तो यह प्रश्नों के संबंध में हुआ ।

नियम ९३ में संकल्प के संबंध में दिया हुआ है कि कार्य सूची में जिन सदस्य के नाम में संकल्प हो वे अथवा कोई दूसरे सदस्य, जिनका उन्होंने अपनी ओर से कार्य करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पुकारे जाने पर संकल्प को प्रस्तुत करेंगे । और नियम ३१३ में दिया हुआ है कि ऐसे समस्त प्रश्नों का जिनकी इन नियमों में विशेष रूप से व्यवस्था नहीं की गयी है और इन नियमों के सविस्तार कार्यान्वित करने से संबद्ध समस्त प्रश्नों का ऐसे ढंग से विनियमन किया जायेगा, जैसा कि अध्यक्ष समय-समय पर निर्देश करें ।

मैं समझता हूं कि यदि यह व्यवस्था ठीक होती तो किसी अन्य सदस्य को नियम ९३ के अन्तर्गत प्राधिकृत करने की व्यवस्था न की जाती । और जब इस नियम के अन्तर्गत दो प्रकार की व्यवस्थायें हैं तो नई व्यवस्था नियम ९ के अन्तर्गत नहीं बन सकती है जब संकल्प प्रस्तुत करने की बात है । इसलिये नाम निर्देशित कोई व्यक्ति हो जाय तो यह पर्याप्त हो जाता है और सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की बात नहीं मानी जाती है । इस लिये बिना प्रस्ताव के नियमित उम्मीदवार नहीं रह जायेगा । इसलिये मेरा यह अनुरोध है कि प्राधिकृत करने की बात जैसा कि कहा गया है कि वह कहीं भगा दिये गये हैं या बन्द कर दिये गये हैं, यदि ऐसा है तो प्राधिकृत करने की बात असंभव हो जायेगी क्योंकि यह कैसे मान लिया जाय कि प्राधिकृत किया जब कि

[श्री श्यामलाल यादव]

उनकी किसी से मुलाकात नहीं हुई और छिपाये गये हैं तो फिर प्राविडेन्ट करने की बात इसके विपरीत जाती है। इसलिये मेरा विनम्र अनुरोध यह है कि जो विशेष परिस्थिति प्रस्तुत है उसमें प्रस्तावक का होना आवश्यक है। कोई दूसरा व्यक्ति इसको प्रस्तुत नहीं कर सकता है और न यह नियमित रूप से सही माना जायेगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

आप क्या संकल्प और प्रस्ताव को दो चीज मानते हैं ?

श्री श्यामलाल यादव--

श्रीमन्, निश्चय ही जब ये दो शब्द रखे गये हैं तो भेद जरूर है। संकल्प प्रश्न के संबंध में होता है और केवल तात्कालिक रूप से कोई चीज हो वह है और प्रस्ताव वह है जो कार्यान्वित किया जायेगा और बजट सदन में होगी और संकल्प से केवल विचारों को प्रकट करना होगा। यह भेद उत्पन्न होता है।

*श्री प्रतापसिंह--

अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न विचाराधीन हैं। जो नियम है उसके अन्तर्गत सदन में वेरीफिकेशन के लिये नाम पुकारा जाता है। यह चुनाव १७८ के अनुसार होता है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। जैसा कि माननीय आचार्य जी ने अभी कहा है कि अगर किसी का हार्ट अटैक हो जाय तब क्या होगा ? इसी प्रकार की परिस्थिति के लिये २/४ प्रस्ताव होते हैं। इसलिये कि उसको मीट किया जा सके। (व्यवधान)

दूसरी चीज यह है कि जो तथ्य सामने आये हैं उन्हीं के ऊपर निर्णय होगा। राना साहब को सत्तापक्ष विधायक समाज की ओर से खड़ा किया गया था और नाम पुकारने से पहले ही माननीय शशिभूषण सिंह जी ने लिखकर दे दिया है कि वे वापस ले रहे हैं दूसरी बात यह है कि जब कोई और प्रस्ताव नहीं है तो माननीय मिश्र जी को ही मान लेना चाहिये। उनका कहना जो है वह कपोल कल्पित है। जो डाक्यूमेंटरी प्रूफ आपके सामने हैं और अनुच्छेद १७८ संविधान का आपके सामने है। उसी के अनुसार निर्णय होना चाहिये। मैं निवेदन करूंगा कि जब प्रस्ताव आपके सामने नहीं है तो इस बहस को यहीं समाप्त किया जाय और हम आपके निर्णय के सामने मस्तक नवायेंगे। उन्होंने लिखकर दे दिया है और राजा साहब कोई बच्चा नहीं है जो उनका कोई उठाकर ले जायेगा। उन्होंने लिख कर दिया है कि मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं। इस तरफ से सिवाय बनारसीदास जी के कहने के कोई प्रूफ नहीं दिया गया है। इसलिये इसका निर्णय हो जाना चाहिये।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक भयानक स्थिति और परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। इससे पहले इस तरह की कोई स्थिति इस सदन के सामने नहीं आई थी। आपके सामने संविधान है, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है, यह बात सही है। लेकिन मान्यवर, इसके साथ-साथ एक वस्तुस्थिति है जिसको उम्मीदवार ने आपके सामने पेश की है, जो इस माननीय सदन का सदस्य है जिस माननीय सदन ने अपनी परम्परायें बनायी हैं कि जो कोई माननीय सदस्य बयान करेगा उसको सच माना जायगा और अगर कोई माननीय सदस्य गलत बात करता है तो परम्परा और नियम यह है कि ऐसा मानने वाला सदस्य संबंधित सदस्य के ऊपर ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस दे। परन्तु तत्काल उसकी सत्यता को चुनौती नहीं दी जा सकती। जहां तक बैंक का है वहां इस बात में दो रायें आ सकती हैं। अपनी अपनी जानकारी और समझ के अनुसार उसको रखने का हर माननीय सदस्य को मौलिक अधिकार है और इस सदन ने यह परम्परा स्वीकार की है कि इस सदन में कोई माननीय सदस्य असत्य नहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोलता है, अपने विवेक से बाहर कोई नहीं बोलता। उधर से दो बातें कही जा रही हैं। माननीय न्याय मंत्री जी ने जो राजा जी ने कहा उससे आगे बात कही। उन्होंने यह बात नहीं कही कि माननीय जयेन्द्र सिंह को भगाया गया है या बन्द कर रखा गया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें कहीं ले जाया गया है। ले गया कोई, किसी को कहीं, यह नहीं कह सकते कि भगाने की दृष्टि से ले गया या मित्रता की दृष्टि से ले गया या यकायक कोई सूचना पा कर जाने की आवश्यकता पड़ गयी, किसी प्रकार का लांछन जैसी चीज नहीं है। ले जाया जाना एक तथ्य है जिसकी जानकारी माननीय उम्मीदवार सदस्य ने दे दी है। एक बात है जो स्पष्ट हो जानी चाहिये कि माननीय उम्मीदवार सदस्य ने जो सूचना दी है, इसके सिवाय कोई रास्ता नहीं है कि उसको स्वीकार किया जाय भले ही उसके संबंध में breach आफ प्रिविलेज का नोटिस दे दें। नम्बर दो, जहां तक माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिन स्वस्थ परम्पराओं के आधार पर तुरन्त आपसे निर्णय करवाना चाहते हैं मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। उन्हें बहुत सारी बातें हम से भी सीखना चाहिये। इधर के लोग जब उधर बैठते थे तो बहुत सारी बातें पसन्द नहीं आती थीं। आज यहां बैठने के बाद हमको भी लगता है कि बहुत सारी बातें जो उधर से कही गयीं, उनके बारे में उच्च धारी करना उचित होता। आज कुछ लोग ट्रेजरी बेन्चेज में बैठे हैं लेकिन याद रखें वहां से आने में कितनी देर लगती है। उतनी ही देर जितनी कि १६ आदमियों के उधर से इधर आने में। इसका मतलब यह है कि पांच मिनट भी नहीं लगते और ऐसा कांड यहां हो भी चुका है इसलिये इस तरह से शोर गुल से इस तरह के पेचीदा सवाल को तय करवाना उचित नहीं है। जहां तक संविधान और नियम हैं, उनको इन्टरप्रिटेशन का नियम है वह यह है कि नियम जहां स्पेसिफिक दिये हों वह लागू होंगे जब तक दूसरे नियमों के साथ कांस्ट्रक्शन एबसर्ड न हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

एक स्पष्ट नियम दिया हुआ कि प्रस्तावक को बुलाया जायगा और प्रस्तावक प्रस्ताव उपस्थित करेगा। जब प्रस्ताव उपस्थित करेगा तब नाम कैन्डीडेट के रूप में आयेगा। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जब वह नहीं है तो मेरे लिये क्या चारा है, मौखिक प्रस्ताव कैसे मान लें?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

मैं निवेदन इसी बात पर कर रहा था। जहां पर नियम ९ का वर्णन किया है, उसमें लिखा है कि जिन्होंने नाम निर्देशित किया है, वह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। उसके संबंध में दो माननीय सदस्यों ने बातें कहीं। एक तो उम्मीदवार ने कहा और माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने। माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा कि मुझे इस संबंध में नियमों के अन्तर्गत माननीय प्रस्तावकर्ता द्वारा अधिकृत किया गया है कि वे इस संकल्प को इस सदन के सामने प्रस्तुत करें। लिखित रूप से अधिकृत करने की व्यवस्था जो हमारे नियम हैं उनमें कहीं दी गयी है। चूंकि मैं पहले कह चुका हूं कि इस माननीय सदन में एक बात रखी गयी है। इस माननीय सदन में कोई सदस्य जो बोलता है उस पर विश्वास करना पड़ेगा। सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी ने कहा है कि माननीय प्रस्तावकर्त्ता को कहीं ले जाया गया है, उन्होंने भगाने की बात नहीं कही है। भगाने की बात कही जाती तो शायद उनके संबंध में कुछ कहना न्यायसंगत होता, उन्होंने ले जाने की बात कही है भगाने की बात नहीं कही है---

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

हमने स्वयं बोलने के लिये इनका आह्वान किया है, इसलिये उनकी बात सुनने दीजिये, शोरगुल न करें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---

जिनको सदा दूसरों की बात सुनना पसन्द नहीं आता वे ही इस तरह से बोलने में बाधा डालते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में ही यह होता है, प्रजातन्त्र में कहा जाता है और सुना जाता है। किन्तु सरकारी पक्ष का विश्वास डेमोक्रेसी में नहीं है, उनका मस्तिष्क डेमोक्रेटिक नहीं है इसलिये वे दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सुरेन्द्र विक्रम सिंह जी यह

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा
संकल्प पेश करने का अधिकार ले कर आये हैं और हमारी प्रक्रिया नियमावली में इसका प्रावि धान है कि यदि कोई दूसरे सदस्य को प्राविकृत करता है इस सदन में, इसलिये माननीय राना जी का जो नाम पेश किया गया है वह साधु है। इसके संबंध में यह निवेदन करूंगा कि इस हाउस की जो परम्पराएं हैं और जो प्रक्रिया नियमावली में है उसके अनुसार इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष---
मेरे पास एक नई सूचना आयी है, जिससे मैं समझता हूं कि बाद विवाद का सब बिलकुल बदल जाता है, वह यह है---
सेवा में,
माननीय अध्यक्ष महोदय,
उत्तर प्रदेश विधान सभा, लखनऊ।

मान्यवर,
उपाध्यक्ष पद के लिये मैंने श्रीमान् केदार राज बंग बहादुर राणा के नाम का प्रस्ताव किया था, किन्तु मैं इस पद के लिये उनके प्रस्तावक के रूप में बने रहना उचित नहीं समझता। मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

भवदीय,
जयेन्द्र सिंह,
महराजा चरखारी।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---
यह जो पत्र आपने पढ़कर सुनाया उससे साबित होता है कि महाराजा चरखारी सत्तारूढ़ दल के हाथों में हैं, वह वास्तव में बरबस ले जाये गये हैं। मान्यवर, अगर चरखारी साहब स्वतन्त्र होते तो वह स्वयं आकर यहां पर अपनी बात कहते किन्तु चूंकि पत्र उनका लिखवा कर लाया गया है इससे स्पष्ट है कि उन्होंने स्वतंत्र रूप से यह पत्र नहीं लिखा उन पर प्रेशर डाल कर लिखाया गया है। श्रीमन्, मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि अभी महाराजा चरखारी हाउस में नहीं थे और जब एक माननीय सदस्य ने उधर से उनका एक वक्तव्य पढ़ा और उस पर उनके हस्ताक्षर होने की सत्यता पर आशंका की गयी और उस पर प्रश्न उठाया गया तो उस स्थिति से बचने के लिये उन्होंने एक दूसरी चाल चली और ऐसा पत्र लाकर उन्होंने अध्यक्ष महोदय को दिया। इस पर भी उनके हस्ताक्षर जबतक कन्फर्म न हो जाएं तब तक इसे वास्तविक मानना ठीक नहीं है। आपको याद होगा एक घंटा पहले मैंने आपसे टेलीफोन पर बात की थी और आपको सूचित किया था कि सत्तारूढ़ दल के लोग दारूलशफा में घूम घूम कर केदारजंग बहादुर मुर्दाबाद', 'राणा मुर्दाबाद' के उग्र नारे लगा रहे हैं और उन्होंने उनके कमरे को घेर लिया है। उनके कमरे के सामने डिमान्स्ट्रेशन किया गया। इस वास्ते मैं आपसे कह रहा हूं कि इस सदन के माननीय मेम्बरों के स्वतंत्रता पूर्वक काम करने और विचार व्यक्त करने के मार्ग में बाधा पहुंचाई जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि सत्तारूढ़ दल कौन सी नई परम्पराएं और मान्यताएं आज इस सदन के सामने और प्रदेश के सामने पेश करना चाहता है। मान्यवर, मेरा बिलकुल निश्चित मत है कि महाराजा चरखारी को ले जाया गया है और अगर यह चिट्ठी सही भी है तो यह अन्डर प्रेशर है, जब तक वह स्वयं न आकर इसकी ताईद करें, इसको नहीं मानना चाहिये। अभी यह केवल मात्र एक कागज का टुकड़ा है, इसका कोई मतलब नहीं है।

श्री टण्डैश्वरप्रसाद---
मैंने पत्र दिया है, मैं लाया हूं, उनके उस पर हस्ताक्षर हैं।
(व्यवधान)

उन्होंने प्राधिकृत किया है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि एक सदस्य ने कहा कि माननीय राजा साहब को ले जाया गया और दूसरे कहते हैं कि उनको अधिकृत किया गया कि वे प्रस्ताव को रख दें। वे दोनों झूठ बोलते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह "झूठ" शब्द उचित नहीं है।

श्री टम्बरेश्वरप्रसाद—

खैर मैं यह शब्द वापस लेकर कहता हूं कि यह दोनों ही सत्य से परे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल एक ही प्रस्ताव अब तक प्रस्तुत हुआ है। हम संविधान के अन्तर्गत यह प्रस्ताव ले रहे हैं और हमारी प्रक्रिया नियमावली उसी संविधान के अन्तर्गत है। इसी प्रक्रिया नियमावली के अनुच्छेदों के अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होता है। इसलिये निवेदन है कि जो प्रक्रिया नामनिर्देशन के समय से चल रही है अब नये प्रस्ताव को लाकर हो नहीं सकती। इसलिये मैंने जो पत्र आपको दिया है उसको देखते हुये अब केवल एक ही प्रस्ताव है और उसके अतिरिक्त अब कोई दूसरा प्रस्ताव आ नहीं सकता।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

श्रीमन्, अब तो बातें और भी स्पष्ट हो गयीं। हम लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि हमारा अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति है जिनको नियमों से ही सम्बन्ध है और जो ला ग्रेजुयेट हैं।

श्री अध्यक्ष—

वहीं से तो मेरी कठिनाई और भी है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

कठिनाई नहीं, उससे कार्य सरल हो जाता है।

Circumstances are stronger piece of evidence and direct evidence.

जब से सदन आरम्भ हुआ है तब से राजा साहब सदन में नहीं आये। इससे यह सिद्ध है कि उनको कहीं रोक लिया गया और कहीं ले जाया गया और उनको यहां आने नहीं दिया जाता। हमारे माननीय न्याय मंत्री जी ने कुछ यहां पर पढ़ने की कोशिश की और नियम ३९ का हवाला दिया। लेकिन इस संबंध में नियम ३९ नहीं, नियम ९३ लागू होता है। यह संकल्प के विषय में है। जहांतक अधिकृत की बात है उसमें लिखित अधिकार का कोई जिक्र नहीं है। केवल अधिकार की बात है। अगर हमारे माननीय मित्र इस तरह गलत बात कहते हैं तो वे विशेषाधिकार के दंड के भागी हो सकते हैं लेकिन मैं इस समय श्रीमन् के सामने एक नया चित्र रखना चाहता हूं कि हमारे माननीय सदस्य जो पढ़कर सुना रहे थे उसपर किसी के हस्ताक्षर नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास हस्ताक्षर वाला आ गया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

इसके अर्थ यह हैं कि वह माननीय सदस्य राजा साहब चरखारी यहीं कहीं आप पास हैं। उनको क्यों नहीं सदन के सामने लाया जाता, क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण यह है कि उनको रोककर उनके साथ जबर्दस्ती की जा रही है। (शेम, शेम की आवाजें) मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस सदन में एक इतिहास का निर्माण हो रहा है और यदि श्रीमान् इस माननीय सदन में मर्यादा की रक्षा कर सकें तो वह इतिहास के लिये एक विशेष सामग्री होगी अन्यथा हमारे मित्र अपने कार्य से सदा के लिये जनतन्त्र की प्रतिष्ठा को कुंठित करने के लिये प्रस्तुत हैं। मैं आवेश में आकर कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं केवल यह कहना चाहता

[श्री लक्ष्मीरमण आचार्य]

हूं कि यदि राजा साहब चरखारी स्वयं आकर कुछ कहते तो उचित था लेकिन उनके विषय में हमारी ओर से कहा गया कि उनको रोक लिया गया है। इसके बाद उनकी ओर से कागज आ गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि वह स्वयं क्यों नहीं आये? इसलिये यह निश्चित है कि वह यहां पर हैं आसपास ही कहीं पर। उनको हाउस के समक्ष उपस्थित किया जाय।

*श्री श्री शंकर शर्मा (उपनाम श्री लालो शर्मा, वकील) (जिला लखनऊ)—

श्रीमन्, आज यह इस विधान सभा के सामने जो सवाल उपस्थित है वह बहुत अहम सवाल है। अभी हमारे सामने एक कागज पेश किया गया जिसमें राजा साहब चरखारी के हस्ताक्षर बताये गये हैं कि उन्होंने उसको स्वयं भेजा है। दूसरी तरफ से इस बात पर एतराज किया गया कि कोई सबूत इस बात का नहीं है कि हस्ताक्षर उनके हैं या नहीं। मैं आपके सामने यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कागज को हटाकर हमको इस पर गौर करना चाहिये कि हमें किस प्रकार से हमको इस पर बरतना चाहिये। जैसा कि श्रीमान् ने शुरू में कहा है कि डिप्टी स्पीकर के एलेक्शन और उसके प्रोसीजर का तरीका आम चुनाव की तरह से नहीं होता। इसमें सब से ज्यादा महत्व की बात यह है कि यहां पर जब कोई एलेक्शन होता है तो उसके लिये एक प्रस्ताव होता है और प्रस्तावक इस सदन के सामने मौजूद होता है। वह प्रस्ताव करता है। वह मौजूद इस समय नहीं है। अब सवाल यह है जैसा कि उधर से कहा गया कि वह किसी आदमी को अथोराइज कर सकता है। वह लिखित दे या मौखिक रूप से कहे तो वह उसकी तरफ से प्रस्ताव पेश कर सकता है। मेरी समझ में उनके वरबल इंस्ट्रक्शन का सवाल पैदा नहीं होता। इस पर एतराज उधर से किया जा रहा है। इससे यह मालूम पड़ता है कि शायद वह अपने प्रस्ताव को सदन में पेश करने के लिये आना नहीं चाहते हैं और उनको कोई साहब किसी वजह से बुलाकर ले गये और उनको सदन के समक्ष आने का मौका नहीं मिला। वह मजबूर हो गये और न आने पर उन्होंने लिखकर भेज दिया। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं उधर की ओर से यह कहा जाना कि उन्होंने किसी को वरबल इंस्ट्रक्शन दे दी हैं और वह उनकी तरफ से प्रस्ताव मूव कर दें, बिलकुल गलत है। अगर किसी मजबूरी की वहज से उनको कोई बुलाकर ले गया या किसी काम से वह चले गये तो उनको वह लिखकर अथिकृत कर सकते थे। लिहाजा जो भी आदमी इस बात के लिये सवाल पैदा करता है कि जबानी तौर पर उनको उन्होंने अधिकृत कर दिया है यह बिलकुल गलत है। अब वह इस समय सदन के समक्ष मौजूद नहीं हैं और हमारे रूल्स के अन्दर यह दिया हुआ है कि यदि प्रस्तावक मौजूद न हो तो उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जाय। ऐसी दशा में मेरा निवेदन है कि अब आप आगे मुनासिब कार्यवाही करें।

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल संक्षेप में एक दो बात निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपका ध्यान नियम ९३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें शब्द आया है "संकल्प"। तो उस समय यह प्रश्न उठने की आशंका थी कि संकल्प और प्रस्ताव में कोई अंतर तो नहीं है। इस संबंध में मैं आप का ध्यान प्रस्ताव की परिभाषा की ओर आकर्षित करूंगा। नियम ३ में दिया है कि "प्रस्ताव" का तात्पर्य किसी सदस्य द्वारा सभा के विचारार्थ की गयी प्रस्थापना से है और उस में संकल्प तथा प्रस्ताव के संशोधन भी सम्मिलित हैं। इसलिये आज जो प्रपोजल या मोशन है यह संकल्प की परिभाषा में आता है और संकल्प के सिलसिले में लफ्ज यह लिखे हैं कि सदस्य अगर उस को किसी दूसरे सदस्य को नियमित रूप से अथराइज करेंतब कोई दूसरा सदस्य उसे प्रस्तुत कर सकता है। तो उसमें शब्द "नियमित रूप से" हैं और इसलिये मैं समझता हूं कि इन राइटिंग अथराइजेशन होना चाहिये। अगर यह कहा जाय कि नियमित शब्द की कुछ और परिभाषा है तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन 'फार्मली' से उसका अर्थ लगाया जाना चाहिये, या ड्यूली या लीगली भी कह सकते हैं। मैंने तो यही समझा है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक तरफ यह कहा जा रहा है कि उनको ले जाया गया, भगाया नहीं गया। इसमें डिफरेंस कितना है यह दूसरी बात है, लेकिन वे उन को एक्जेक्युबिल नहीं हैं, और अगर वे अवेलेबिल नहीं हैं तो वह किसी को आथराइज नहीं कर सकते, न ओरली, न राइटिंग में। तो इसलिये आप का यह केस कि आप आथराइज्ड हैं उन की एबसेंस में इस मोशन को भूव करने केलिये, मैं समझता हूं कि ठीक नहीं है और यह सवाल भी उठता नहीं।

श्री प्रेमदत्त (जिला फतेहपुर)---

अध्यक्ष महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय आप के सामने विचाराधीन है। इस में नियम ९ की उपधारा (४) के अन्तर्गत दिया है कि "यदि एकाधिक सदस्यों का नाम निर्देशन शेष रहता है तो अध्यक्ष उन सदस्यों को, जिनके नाम में प्रस्ताव विद्यमान हों, प्रस्तावों को प्रस्तुत करने के लिये एक-एक करके पुकारेंगे और प्रस्तावक अपने को एतद्विषयक कथन तक ही सीमित रखेंगे। मेरा कथन है कि कानून के दो भाग होते हैं। मान लीजिये कि किसी के यहां चोरी हो गयी है उस की लापरवाही से तो उसे चोरी के लिये दंडित नहीं किया जा सकता, उसे लापरवाही के लिये ही दंडित किया जायगा। चोरी करनेके लिये जिस ने चोरी की है उसे ही दंडित किया जायगा और उस पर दूसरी धारा लागू होगी। मेरा सबमिशन यह है कि जिस बात का प्राविधान इन नियमों में नहीं किया गया है उस का इंटरप्रेटेशन जो दूसरी पार्टी को माफिक हो, वह लिया जाना चाहिये। नियमों का जो इन्टरप्रेटेशन हमारे हक में होगा उसे आपको स्वीकार करना चाहिये और प्रश्न और प्रस्ताव में तो फर्क होता है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के समक्ष प्रस्तुत है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का इस आसन पर पीठासीन होना सदन के गौरव का विषय है, किन्तु आज जो परिस्थिति है उस में अगर आप, मान लीजिये कि उन के अभ्यर्थी को घोषित कर दें और वे विजयी हो जायं तो क्या सदन में शान्तिपूर्ण वातावरण रह सकेगा ?

(व्यवधान)

मैं माननीय नेता सदन और नेता विरोधी दल का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बड़ी गम्भीर समस्या है। आप सदन को स्थगित करें और उसके बाद बैठकर कोई रास्ता निकालें जिससे यह सदन सुचारु रूप से चल सके। जहांतक लीगल प्रश्न का ताल्लुक है, मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के पृष्ठ २२२ को देखें। इस सदन में परम्परा रही है कि कोई माननीय सदस्य जो बात कहता है वह सही मानी जाती है। जब राणा साहब ने कहा कि मेरे प्रस्तावकर्ता को पकड़ ले गये हैं और वह घेरे में हैं, तो इस बात का खंडन किया गया कि ऐसी बात नहीं है। थोड़ी देर बाद टम्बरेश्वर जी एक लिखित पत्र लाते हैं। अब यह हस्ताक्षर सही हैं या नहीं यह निर्णय इस वक्त यहां से नहीं हो सकता, उसके लिये भी सदन को स्थगित करना पड़ेगा। इससे साबित होता है कि राजासाहब किसी की कस्टडी में हैं.....

(श्री जयेन्द्रसिंह ने सदन में प्रवेश किया)

श्री अध्यक्ष—

नेकराम जी, अब आप बैठ जायं।

जयेन्द्रसिंह जी, आपने मेरे कार्यालय में एक प्रस्ताव दिया था और उनके द्वारा माननीय राणा को आपने नाम-निर्दिष्ट किया था। अगर आप उसको प्रस्तुत करना चाहें तो मैं आपको आह्वान करता हूं, आप प्रस्तुत करें।

श्री जयेन्द्रसिंह (जिला हमीरपुर)—

मान्यवर, मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

राजा जयेन्द्रसिंह ने प्रस्ताव वापस किया है तो सदन से पहले अनुमति लेनी होगी। अगर वापस लिया है तो इसके माने यह हैं कि उन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया है और वह सदन की प्रापर्टी है और यह उनके बस की बात नहीं है कि वह उसको वापस लें।

श्री अध्यक्ष—

यह स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ उद्वेग स्वाभाविक है, लेकिन आखिर सदन का कार्य चलना है। माननीय बहुगुणा जी ने एक आपत्ति यह उठायी कि जो प्रस्ताव माननीय राजा साहब ने अभी किया उसके लिये पहले सदन की अनुज्ञा चाहिये। उसमें जरा सा फर्क है। बहुगुणा जी का ध्यान मैं दिलाना चाहूंगा, नियमों में बड़ा स्पष्ट है, अब अगर कोई प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत हो जाय और प्रस्तुत होने के बाद कोई माननीय सदस्य उसे वापस लेना चाहें तब सदन की अनुज्ञा लेना आवश्यक है। नाम निर्देशन का जो प्रस्ताव आया वह केवल एक अग्रिम सूचना होती है। माननीय सदस्य जिन्होंने नाम निर्देशन का प्रस्ताव भेजा था, वे उसे यहां प्रस्तुत करते और प्रस्तुत करने के बाद, वाद-विवाद होने के पश्चात् अगर वे उसे वापस लेते, तब उसके लिये सदन की अनुज्ञा लेना पड़ती। राजा साहब ने अब अपना प्रस्ताव वापस ले लिया है.....

श्री रामनरेश शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

मेरा एक कानूनी प्रश्न है। (व्यवधान) श्रीमान्, को पता है कि नामांकन पत्र १७ तारीख को उनके यहां दाखिल हुआ और वही उसके लिये अंतिम तिथि थी। नामांकन पत्र दाखिल होने से बाद उसकी जांच होती है कि वह ठीक है अथवा नहीं। जांच के बाद वह नामांकन पत्र सही मान लिया गया। अब उसके दो भाग हो जाते हैं। एक तो यह जैसा प्रक्रिया में है कि जिस-जिस का नाम होगा उनको एक-एक करके पुकारा जायेगा और प्रस्तावक अपना प्रस्ताव सदन के समक्ष रखेंगे। प्रस्ताव १७ तारीख को आया और वह स्वीकार हुआ। एक तो यह उसका रूप हुआ। दूसरा रूप यह हुआ कि उस प्रस्ताव को सदन के समक्ष रखना पड़ेगा। यह दो रूप हैं, इसके आगे कोई चीज नहीं है कि अगर प्रस्तावक न रखे, प्रस्तावक मिला लिया जाय, प्रस्तावक भय के कारण उसे पेश न कर सके तो क्या होगा.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया अब बैठें।

श्री रामनरेश शुक्ल—

दो दिन से सैकड़ों आदमी दारुलशफा में धूम रहे हैं, आर० एस० एस० के लोग आ आकर बताया करते हैं, तानाशाही तरीके से ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है.....

श्री अध्यक्ष—

अब आप कृपया बैठ जायं। अब अगर कोई माननीय सदस्य कुछ कहना चाहते हैं तो केवल कानूनी बात ही कहें।

श्री जगनप्रसाद रावत (जिला आगरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, चुनाव का यह विषय जो सबेरे से चल रहा है साधारण नहीं कहा जा सकता। यह चुनाव शुद्ध तथा क्लीन होना चाहिये जिससे कि चुनाव के बाद भी यहां सदन का कार्य सुचारु रूप से चल सके। चुनाव के बाद दोनों ही पक्ष से उपाध्यक्ष तथा अध्यक्ष को मुबारकबाद दिया जाता है। उसमें अपना विश्वास प्रकट करते और उसके साथ सहयोग करने की प्रतिज्ञा भी करते हैं। यदि कोई भी उपाध्यक्ष संदिग्धावस्था में चुना जायेगा तो लोगों के मन में शंका रहेगी। इस प्रकार क्या आप समझ सकते हैं कि वह कुर्सी पर बैठकर मुबारिकबाद पाने का हकदार हो सकता है? मेरा यह निवेदन है कि इस मामले में पुनः गौर करें और जो वैधानिकता का प्रश्न है वह तो आप हल करेंगे। सदन में वह परिपाटी डालें और उस प्रकार का वातावरण तैयार करें जिससे सदन शान्तिपूर्वक और नियमपूर्वक चल सके।

दूसरी बात वैधानिकता के संबंध में है। चुनाव का प्रस्ताव पहिले आता है, उसके बाद वापिस लेने की तिथि और उसके बाद जाब्ते से सदन में आता है। अगर जाब्ते से ही सदन में आना ठीक होता तो पहिले दोनों स्थितियों की आवश्यकता न होती। पहली दो स्थितियां ज्यादा जरूरी होती हैं। इसलिये जाब्ते की बात पर जोर न देकर आप देखें कि चुनाव फैयर हो। इस कुर्सी पर बैठने का अधिकार तभी हो सकता है जब कि ऐसी स्थिति में दोबारा नामिनेशन पेपर लेकर दोबारा चुनाव करायें।

श्री अब्दुल मुईज खाँ (जिला बस्ती)—

सदन के सामने किसी भी मामले के आने के सिलसिले में कोई प्रस्ताव या कोई संकल्प अलग-अलग हैं और यहां पर जो नामजदगी चुनाव के सिलसिले में हुई है, इन तीनों में कानून की अलग अलग बाते हैं, उन को लिस्ट में रखकर विचार करें। जहां तक संकल्प का सवाल है वह एक मामूली प्रस्ताव से भिन्न है। संकल्प के लिये कुछ शर्तें हैं लेकिन प्रस्ताव एक साधारण चीज होती है। इसी तरह से नाम निर्देशन जो चीज होती है वह अलग होती है। उससे चुनाव से मतलब नहीं है। इसमें आप देखेंगे कि लोक सभा या विधान सभा में जो चुनाव होते हैं उसी तरह से यहां भी नियम ९ में दिया हुआ है कि नाम निर्देशन के बाद वापिसी का जहां सवाल है, उसका उल्लेख है कि उम्मीदवार स्वयं तो वापिस ले सकता है लेकिन वहां पर यह उल्लेख नहीं है कि कोई प्रस्तावक या समर्थक वापिस ले सकता है। ऐसी सूरत में एक दफा कम्प्लीकेशन हो गया तो हो गया। सदन में जब श्रीमान् पुकारें वह प्रस्तावक खड़ा हो या न हो। अगर नहीं खड़ा होता तो उस पर यह नहीं है कि प्रस्ताव गिर जायेगा। अगर विदड्रा कर लिया गया जैसा कि साथियों ने कहा.....

श्री अध्यक्ष—

मैं ज्यादा विस्तार नहीं चाहता.....

*श्री कमलापति त्रिपाठी (जिला जौनपुर)—

आज जो घटना इस माननीय सदन में घटी है मुझे स्मरण नहीं है कि, पिछले तीस वर्षों से तो मैं भी देख रहा हूं, इस सदन में कभी इस प्रकार की घटना घटी है। मैं आपके विधान, आपकी प्रक्रिया नियमावली और जो कुछ भी आप निश्चय करें उसके अलावा एक दूसरे पहलू की ओर आपका ध्यान और अपने आदरणीय भाई नेता सदन चौधरी साहब का ध्यान आकर्षित करना चहता हूं। कायदा कानून एक चीज है। लेकिन इस सदन की मर्यादा और उसका सम्मान' उसकी गरिमा, उसका गौरव सर्वोपरि है। श्रीमन्, मैं आपसे और हमारे मुख्य मंत्री जी से जो इस सदन के नेता हैं, यह उनके हाथ की बात है और उनकी विशिष्टता, उनकी दूरदर्शिता, उनकी उदारता पर यह आधारित है, वे ही इस सदन की मर्यादा की रक्षा कर सकते हैं। मान्यवर, मैं आपका भी ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं यद्यपि आपसे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समय जो परिस्थिति पैदा हो गयी है, उस पर विचार करें कि इससे किस प्रकार सदन की मर्यादाओं को ठेस पहुंच सकती है, लोकतंत्रात्मक विचारपद्धति की जड़ें हिल सकती हैं या नहीं। (शोर) कृपा करके सुनिये, शोर गुल करनेके लिये इधर भी बहुत से लोग हैं। मैं आपसे यह निवेदन करता हूं कि सदन की नियमावली कुछ भी भले ही कहती हो लेकिन आप यह देखें कि इससे हमारे सदन की मर्यादा को ठेस पहुंचती है या नहीं और अगर वह ठेस पहुंच गयी तो कोई भी उस ठेस का मूल्य चुका नहीं सकेगा।

आपको तीन नामांकन पत्र प्राप्त हुए थे। तीन आदमियों के नामजदगी के पर्चे दाखिल हुए और तीनों के अलग-अलग प्रस्तावक और समर्थक थे जहां तक इस एक दल के उम्मीदवार का प्रश्न है. ....

एक सदस्य—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैंने आरम्भ में ही यह कह दिया था कि मैं अपील करनेके लिये खड़ा हुआ हूं, यदि आप मुझे उसकी इजाजत दे दें। मैंने कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया। अगर आप इजाजत नहीं देंगे तो मैं बैठ जाउंगा। मैं यह कह रहा था कि एक उम्मीदवार का पर्चा वापस हो गया। दो के पर्चे रह गये और वे तीन दिन तक आपके पास बने रहे। इन तीन दिनों में जो घटनायें हुईं, उनका संबंध इस सदन से नहीं है। आज ग्यारह बजे यह सदन एकत्रित हुआ और हम सब जानते थे कि आज १२ बजे उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। जब हम ११ बजे यहां आज एकत्रित हुए तो मालूम हुआ कि एक प्रस्तावक यहां नहीं हैं। पता नहीं कहां थे और कहां रखे गये थे। १२ बजे जब यह सवाल उठा तो एक साइक्लोस्टाइल्ड पर्चा बांटा गया जिसमें उन प्रस्तावक महोदय ने यह कहा बताया गया कि वे उन सदस्य का नाम प्रस्तावित नहीं करते। जब यह प्रश्न उठा कि उस पर हस्ताक्षर हैं या नहीं क्योंकि साइक्लोस्टाइल में भी हस्ताक्षर हो सकते थे। लेकिन मालूम हुआ कि उस पर हस्ताक्षर नहीं थे। लेकिन उसका निराकरण करनेके लिये ३–४ मिनट में ही उनके हस्ताक्षर कराकर एक दूसरा पर्चा आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया। उसके बाद यह प्रश्न उठा कि वे हस्ताक्षर उनके हैं या नहीं अथवा उसमें यह लिखा है या नहीं कि उन्होंने प्रस्तावक की हैसियत से उनका नाम वापस लिया है अथवा नहीं। तब उस ऐतराज पर एक दूसरा पत्र आपके पास ३–४ मिनट में आ गया कि मैं उस नाम को वापस लेता हूं। लेकिन जब यह आपत्ति उठायी गयी कि उनको यहां उपस्थित होना चाहिये तब न जाने यहां बगल ही में बैठे थे और २–४ सदन के सदस्य उनको ले कर आगये। मालूम नहीं इतना नाटक इतना नखरा क्यों किया गया। यदि प्रस्तावक महोदय को अपना नाम वापस ही लेना था, उनको सीधे तौर पर सदन के सामने आना चाहिये था और कहना था कि मैं उस नाम को वापस लेता हूं और नियमावली के अनुसार और कोई चारा आपके सामने भी नहीं था, और आपको उस संबंध में जो निर्णय देना होता दे देते। जो आपत्तियां आतीं उन पर आप विचार करते। लेकिन आज जो यहां डेढ़ घंटे तक यह नाटक हुआ वह किसी विशेष परिस्थिति की ओर संकेत करता है और यह वह परिस्थिति है जो सदन की मर्यादा को निश्चित रूप से ठेस पहुंचाती है। मैं आप का और नेता सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करूंगा। जहांतक आप के और उपाध्यक्ष के चुनाव का संबंध है, यह ऐसे पद हैं जिन का स्वयं का एक विशेष गौरव होता है। जो व्यक्ति इस आसन पर बिठाया जाय वह तिकड़मों से और झगड़ों से और इधर-उधर के तरीकों से बिठाया जाय तो वह व्यक्ति सदन का आदर कहांतक प्राप्त कर सकेगा इस पर विशेष चिन्ता करनी चाहिये। मैं आप से और नेता सदन से प्रार्थना करूंगा कि इस सदन की मर्यादा की रक्षा की जाय, आज चुनाव को टाला जाय और दूसरे दिन इस पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

नेता सदन कुछ बोलना चाहते हैं, मैं अब जानना चाहूंगा ?

श्री चरणसिंह—

अब आप फैसला दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

इस विषय में मैंने स्वयं सदन की सहायता मांगी थी और मुझे इस संबंध में काफी प्रकाश मिल चुका है फिर भी अगर कोई माननीय सदस्य जो न बोले हों और बोलना चाहते हों तो बोल सकते हैं, अगर आग्रह होगा तो मैं उन को अवसर दे सकता हूं, वैसे अब मुझे अधिक प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं रह गई है।

वास्तव में जो स्थिति आज सदन के सामने आई उस के शायद कम उदाहरण कभी प्रजातन्त्र प्रणाली में आये होंगे। मैंने बहुत सी बातों पर, जो सम्भावित आपत्तियां उठ सकतीं थीं उन सब पर अपना ध्यान ले जाने की और प्रणाली के विषय में अध्ययन करने की चेष्टा की लेकिन जो स्थिति आज उत्पन्न हुई उसके विषय में मेरी कल्पना नहीं थी कि ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकेगी।

मैंने उसका अध्ययन भी नहीं किया था और इसी वास्ते अपनी अज्ञानतावश मैंने सदन के माननीय सदस्यों से स्थिति पर प्रकाश मांगा और स्वयं उनका आह्वान किया कि वे इस विशिष्ट परिस्थिति में मुझे अपनी बहुमूल्य राय दें और विचार व्यक्त करें ताकि मैं उन से प्रकाश लेकर इस विषम परिस्थिति में अपना निर्णय दे सकूं। मुझे माननीय सदस्यों से यथेष्ट प्रकाश मिला और उसके लिये मैं माननीय सदस्यों का अनुग्रहीत हूं। जो घटनाक्रम हुआ उसका रूप आप के सामने है। जो अन्ततोगत्वा हुआ वह है, उस पर मैं अपना निर्णय दूंगा लेकिन उसके पहले मैं दो एक बातें कहना चाहता हूं जिससे कुछ भ्रान्तियां जो व्याप्त थीं और जो विचार माननीय सदस्यगण ने व्यक्त किये वह दूर हो जायं।

जो प्रक्रिया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के संबंध में है और जो साधारण प्रक्रिया चुनाव से निहित हो चुकी है उसको अलग रखना पड़ेगा। कई माननीय सदस्यों ने ऐसा मत व्यक्त किया कि निर्वाचन में नाम वापसी का विदड्राल का, सूक्ष्म परीक्षा का स्क्रूटिनी का एक समय होता है और वह गुजर गया तो एक विशेष परिस्थिति पैदा हो गई है। इसमें न सूक्ष्म परीक्षा का, न बिदड्राल का, कोई समय एलेक्शन से पहले मुकर्रर होता है। नियम इस विषय में प्रत्यक्ष है, संविधान में साथ यह है कि सदन में ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। हमारे यहां जितनी भारतवर्ष की विधानसभायें हैं, सभी के नियम हमारे पास इस समय हैं, इन में से १२ विधान सभाओं में हमारी विधान सभा से मिलती हुई प्रक्रिया बैलट या शलाका द्वारा निर्वाचन की है। ४–५ विधान सभाओं ने डिवीजन से किया है। नामनिर्देशन और विदड्राल संविधान के अनुकूल होता है और सदन के प्रस्ताव पर चुनाव होता है। हाउस के प्रस्ताव के लिये एक विशेष प्रक्रिया है और वह यह है कि जब एक से अधिक प्रस्ताव हों और प्रस्तावकों ने प्रस्ताव वापस न किये हों। तब मैं प्रस्ताव करने वाले माननीय सदस्यों का नाम आह्वान करूंगा और अगर वह मेरे सामने प्रस्ताव आ जायगा तब फिर उस पर चुनाव चलेगा, शलाका द्वारा, जो नीति है। आज की परिस्थिति में मेरेसामने केवल एक प्रस्ताव उपस्थित हुआ। दूसरे प्रस्तावक महोदय, हैं नहीं। नैतिकता क्या होनी चाहिये इस आधार पर मैं नहीं देख सकता, मेरे सामने नियम हैं और उन नियमों की शृंखला से बंधा हूं और वही देख सकता हूं। राजा साहब को पहले आना चाहिये था, समय से क्यों नहीं आये, इस बीच में क्या हुआ, यह सब अलग बातें हैं, इस पर मैं कोई राय नहीं दे सकता। मेरे सामने नियम हैं, उन नियमों में स्थिति स्पष्ट है कि एक प्रस्ताव मेरे सामने आया। माननीय कमला पति त्रिपाठी जी ने जो अपील की उस के प्रभाव के अधीन पड़कर स्वयं प्रस्ताव किया, माननीय नेता सदन कोई काम करते, वह अलग चीज थी लेकिन मेरे सामने नियम हैं, और माननीय श्रीपति मिश्र का नाम उपाध्यक्ष के पद के लिये प्रस्तावित है। इसलिये एक प्रस्ताव होने की शकल में मैं उन्हें विधिवत् उपाध्यक्ष विधान सभा का निर्वाचित घोषित करता हूं।

श्री श्रीपति मिश्र के निर्वाचन के बाद मेरा यह औपचारिक और परम्परागत कर्त्तव्य भी है और मैं स्वयं आवश्यक भी समझता हूं कि मैं नव निर्वाचित उपाध्यक्ष को अपनी ओर से बधाई दूं। बधाई देने के बाद मैं कुछ देर के लिये इस सदन से चला जाऊंगा। अगर माननीय श्री पति मिश्र सदन में मौजूद हों तो मैं उनका आह्वान करूंगा कि वे आयें और इस पद पर आसीन हों। थोड़ी देर के बाद मैं फिर उन को रिलीव कर दूंगा।

(इस समय १ बज कर २२ मिनट पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री श्रीपति मिश्र पीठासीन हुये। इस समय सदन में शोर होने लगा और विरोधी दल के सदस्यों ने सदन का परित्याग किया।)

उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री श्रीपति मिश्र को बधाई

*मुख्य मंत्री (श्री चरणसिंह)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज इस अवसर पर आपको इस माननीय सदन का उपाध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस सदन का मान बढ़ाने में और इस सदन के माननीय सदस्यों के हितों की रक्षा करने में और इस प्रदेश में जनतंत्र का विकास हो इन सबके लिये जो प्रयास हो रहे हैं, उन्हें करेंगे। अच्छा तो यह होता कि हमारा जो विरोधी पक्ष है वहां, आज यहां मौजूद होता और जो प्रदर्शन उन्होंने किया है उसे न करके आपको बधाई देता लेकिन अफसोस की बात है कि उन्होंने इस प्रदर्शन को करना पक्ष के समझा। जब चुनाव की बात चल रही थी तो नाम निर्देशन से पहले हमारी विरोधी अच्छा सचेतक महोदय से बातचीत हुई और मैंने यह संकेत किया कि बड़ी खुशी होगी अगर सर्व-सम्मति से नाम पेश हो जाय और मैंने इस बात को भी उनसे कहा कि जिस प्रकार से जगदीश शरण अग्रवाल हम सबको ग्राह्य हैं उसी तरह से जो विरोधी पक्ष अब ट्रेजरी बेंच पर है उनकी तरफ से पेश किया हुआ नाम आपको ग्राह्य होना चाहिये। उन्होंने इससे इंकार नहीं किया बल्कि उन्होंने एक प्रकार से इस मेरे प्रस्ताव को उचित समझा। इसके बाद उन्हीं मेरे मित्र से मेरे एक सहयोगी से बातचीत हुई और उस समय उनकी बात का यह मतलब था कि अच्छा हो एक नाम सर्वसम्मति से हो जाय और वह नाम वह हो जो मेरे पक्ष की तरफ पेश किया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने इस पर अमल न करके अपना एक नाम पेश किया। अगर वह इस पर राजी हो जाते कि एक नाम सर्वसम्मति से हो जाय तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि इस पद के लिये आपसे बेहतर नाम हम लोगों के पास नहीं था। आपको सार्वजनिक जीवन का अनुभव है, मैजिस्ट्रेसी का काम भी आपने किया है, कचहरी में भी आपने काम किया है और विधान सभा के सदस्य भी आप रह चुके हैं। उन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुए आपका नाम उपाध्यक्ष पद के लिये हमारी तरफ से दिया गया और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पद पर आसीन हो कर आप विधान सभा के मान को ऊंचा करेंगे। मैं फिर आपको बधाई देता हूं।

*श्री उपाध्यक्ष—

माननीय नेता सदन तथा समस्त माननीय सदस्यगण, मुझे इस बात का अत्यन्त दुख है कि मेरे निर्वाचित घोषित किये जाने के पश्चात् सदन से माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य लोग बहिर्गमन कर गये। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया हुई उसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मैं आपको केवल इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गो यह मेरे लिये सर्वथा नवीन कार्य होगा, मैं यहां सदस्य रहते हुये भी अधिष्ठाता मंडल में नहीं था, और न मुझे कोई अवसर मिला था इस जगह से कोई कार्य करने का लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सुझाव से मैं पूर्ण या विवेक से और निष्पक्षता से इस सदन की गरिमा और गौरव को बढ़ाने के लिये, इसकी परम्पराओं का निर्वहन करने के लिये और सदा उनमें उन्नति करने के लिये प्रयत्न करूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर कभी भी मुझे यह एहसास हुआ कि मेरा कार्य निष्पक्षता रहित है तो मैं उसके बाद एक क्षण भी इस पद पर रहना स्वीकार नहीं करूंगा।

मैं पुनः आप माननीय सदस्यों से सहयोग की आशा करता हूं और हमारे वह माननीय सदस्य जो सदन से बहिर्गमन कर गये हैं उनसे भी मैं प्रार्थना करता हूं और आशा करता हूं कि वे सब मुझे अपना सहयोग देंगे और सहयोग देने के पश्चात् वे देखें कि मैं निष्पक्षता से कार्य करता हूं या नहीं। इसके अलावा और मुझे कुछ नहीं कहना है। मैं स्वतः ऐसी स्थिति में हूं कि मैं केवल आपके सहयोग की कामना करते हुये और निष्पक्ष रूप से कार्य करने का विश्वास दिलाते हुये और विशेष कुछ नहीं कहना चाहता।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सदन का प्रायामी कार्यक्रम

संसदीय कार्य मंत्री (श्री श्यामलाल यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निवेदन करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली, १९५८ के नियम २४ के उप-नियम (२) के अनुसार मुझे यह सूचना देनी है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक १९ जून, १९६७ से आरम्भ होने वाले सप्ताह का निम्नलिखित कार्यक्रम होगा:—

१९ जून—(१) विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन (जो हो गया)।

(२) १९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

२०–२१ जून—१९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

२१ जून (सायंकाल ५ बजे)—निम्नलिखित विधेयकों पर चर्चा एवं उनका पारण :-

(१) उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, १९६७,

(२) उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, १९६७।

२२,२३, २४ तथा २५ जून—बैठक नहीं होगी।

मुझे सदन को यह भी सूचना देनी है कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार १९६७–६८ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा २६ तथा २७ जून, १९६७ को भी होगी तथा २८ जून, १९६७ से उसकी मांगों पर विचार एवं मतदान होगा जो विनियोग विधेयक के पारण के साथ २५ जुलाई को समाप्त होगा।

(इस समय १ बजकर ३१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को यह सूचित करना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम अभी सरकार द्वारा घोषित किया गया उसके परिणामस्वरूप एक स्थिति यह आ गयी कि २१ तारीख को सदन जो नहीं होना था वह अब होगा, उसके बजाय छुट्टी २२ तारीख को रहेगी। पहले २१ तारीख को बारा-वफात की छुट्टी घोषित हुई थी। मैं चाहूंगा कि जो संबंधित मंत्रिगण हैं वे कृपया अपने प्रश्न मुझे भेजने की कृपा करें लेकिन उसके फलस्वरूप हो सकता है कि उस रोज कवेश्चन आवर पर उसका प्रभाव पड़े।

विभिन्न सदस्यों द्वारा विभिन्न दलों की सदस्यता ग्रहण करने के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब उसके बाद मुझे नियम ३१५ के खंड १४ व १५ के अन्तर्गत एक सूचना माननीय सदन को देनी है, वह मैं देता हूं। मुझे कांग्रेस पार्टी की ओर से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें १४ माननीय सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है, ऐसी सूचना दी है। मैं नाम पढ़ कर सुनाऊंगा। इन १४ माननीय सदस्यों ने अलग-अलग मेरे पास प्रार्थना-पत्र भेजे हैं जिनमें उन्होंने यह बताया है कि वे किस दल से चुन कर आये थे लेकिन अब वे विधान मंडल कांग्रेस दल के सदस्य हो गये हैं, यह उन्होंने सूचना दी है। इनमें निर्वाचित १२ हैं।

श्री इन्द्रमणि (उत्तर काशी), श्री वर्मराज सिंह (हरदोई), श्री लल्लन शर्मा (हरदोई), श्री जगदम्बा प्रसाद (फैजाबाद), श्री चन्द्रकुमार (बाराबंकी), श्री शीतलाबीन (इलाहाबाद),

[श्री अध्यक्ष]

श्री खेमा (मथुरा), श्री नेकराम शर्मा (अलीगढ़), श्री केशव देव (अलीगढ़), श्री नाराबच सिंह (सहारनपुर), श्री गौरीराम गुप्त (गोरखपुर) तथा श्री गिरिराज सिंह (सुल्तानपुर)।

इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य श्री हरिश्चन्द्र, जिला मुजफ्फरनगर के हैं और एक स्वतंत्र सदस्य श्री बाबूलाल, गोंडा जिले के हैं।

इसके अतिरिक्त मेरे पास जनकांग्रेस के मंत्री श्री राज बहादुर द्विवेदी ने एक सूचना भेजी है जिसमें यह बतलाया है कि उनकी पार्टी में २७ सदस्य सम्मिलित हुये हैं। इन २७ सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

श्री चौधरी चरण सिंह (मेरठ), श्री जयराम वर्मा (फैजाबाद), श्री उमिल नारायण शर्मा (झांसी), श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी), श्री राम नारायण त्रिपाठी (फैजाबाद), श्री राज-बहादुर द्विवेदी (फैजाबाद), श्री रामचन्द्र आजाद (फैजाबाद), श्री राम बचन यादव (आजमगढ़), श्री राज बहादुर यादव (जौनपुर), श्री हरी सिंह (मेरठ), श्री रामप्रसाद देशमुख (अलीगढ़), श्री राजेंद्र सिंह यादव (फर्रुखाबाद), श्री राजनारायण सिंह (मिर्जापुर), श्री ओम् प्रकाश सिंह (बरेली), श्री प्रीतम सिंह प्रधान (मेरठ), श्री किशन लाल (मुरादाबाद), श्री युगल किशोर (बदायूं), श्री राम किंकर (प्रतापगढ़), श्री किशन सिंह (मुरादाबाद।

इसके अलावा मैं सदन को इतना और बतला दूं कि ये माननीय सदस्य जिनका नाम मैं अभी पढ़ूंगा, मेरे पास कोई सूचना लिख कर नहीं भेजी है कि वे जन कांग्रेस में सम्मिलित हो गये हैं। मैंने उनको लिखा है कि वे लिख कर मेरे पास भेज दें। उनके नाम इस प्रकार हैं:—

श्री वीरेन्द्र वर्मा (मुजफ्फरनगर), श्री रामचन्द्र सिंह (मुजफ्फरनगर), श्री अयोध्या प्रसाद (झांसी), श्री राजाराम यादव (फीरोजाबाद), श्री जी० एस० चौधरी (मेरठ) और श्री जवाहर लाल।

एक माननीय सदस्य श्री राजाराम सिंह ने मेरे पास यह पत्र भेजा है।

"मुझे यह जान कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि आपके पास मेरा नाम जन कांग्रेस की सूची में सम्मिलित किया गया है जब कि मैंने इसमें शामिल होने की कोई स्वीकृति नहीं दी है। मैं अब भी निर्दलीय सदस्य हूं। कृपया इसकी घोषणा सदन में कर दीजिये ताकि मेरी बदनामी न हो।"

इसके अतिरिक्त मेरे पास कई और सूचनायें आयी हैं। एक तो आयी है माननीय केदार राज जंग बहादुर राणा की ओर से जो इस प्रकार है:—

"मैं जनसंघ तथा संयुक्त विधायक दल से त्याग-पत्र देता हूं और स्वतंत्र सदस्य के रूप में विधान सभा में रहूंगा।"

एक पत्र माननीय सुखदेव (सुल्तानपुर) की ओर से आया है जो इस प्रकार है:—

"हम निम्नांकित विधान सभा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है और हम लोग जनकांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं।"

इसके अतिरिक्त एक पत्र आया है श्री श्रीपति मिश्र जी का जो इस प्रकार है:—

"हम निम्नांकित विधान सभा के सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया है और हम लोग जन कांग्रेस दल में शामिल हो गये हैं।"

एक पत्र मुझे अभी प्राप्त हुआ है जब कि सत्र की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी। यह पत्र श्री राजाराम यादव (बलिया) का है जो उन्होंने मेरे पास लिखा है। इसमें कुछ कन्फ्यूजन सा लगता है। उन्होंने लिखा है—

मैंने १८ जून के नवजीवन में निम्नलिखित वक्तव्य पढ़ा कि—

निर्दलीय सदस्य श्री राजाराम सिंह यादव ने आज अध्यक्ष महोदय को लिखा है कि मुझे जन कांग्रेस की सूची में कैसे रखा गया है। इससे मुझे अचम्भा हुआ है, श्री यादव ने अध्यक्ष

को लिखा है कि वे विधान सभा में सूचना दे दें कि मैं निर्दलीय विधायक हूं। उपरोक्त वक्तव्य के संबंध में मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना आपको किस ने दी है . . ." जो मैंने घोषणा की उससे उनकी भ्रांति दूर हो गई होगी क्योंकि वह राजाराम जी बलिया के हैं और यह राजा राम जी फीरोजाबाद, आगरा के हैं। अखबार में आगरा या बलिया का जिक्र नहीं होगा, इसलिये यह भ्रांति हुई है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, जब आपने ऐलान पढ़ना शुरू किया था उस समय बदकिस्मती से मैं सदन में उपस्थित नहीं था और किन स्थितियों में उपस्थित नहीं था उसकी आपको जानकारी हो गई होगी। यह सूचना जन कांग्रेस के जिन सदस्य ने दी है मैं उनका नाम नहीं सुन पाया। लेकिन मैं नोटिस देता हूं कि मैं उनके विरुद्ध ब्रीच आफ प्रिविलेज ले आऊंगा क्योंकि हाउस में, आप स्वयं हाउस हैं, आप के सामने कोई गलतबयानी करे तो वह सदन की मर्यादा के विपरीत और सदन की मर्यादा का उल्लंघन है।

इसलिये मैं नोटिस देता हूं।

सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब, खांडसारी इकाइयों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर लगाये गये कर के संबंध में वक्तव्य

उद्योग मंत्री (श्री प्रभुनारायणसिंह)—

प्रारम्भ में उत्तर प्रदेश गन्ना (क्रय-कर) अधिनियम, १९६१, के अधीन सुरक्षित क्षेत्र में गुड़, राब या खांडसारी इकाइयों द्वारा खरीदे गये गन्ने पर १६ पैसे प्रति क्विंटल या ६ पैसे प्रति मन की दर से कर लगाने का प्राविधान किया गया था। बाद में, वर्ष १९६४ में उक्त अधिनियम को संशोधित करके क्रय-कर की दर बढ़ा कर १६ पैसे से २५ पैसे प्रति क्विंटल नियत की गई। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ५,१९६४ के इनैक्टमेंट के समय सरकार द्वारा विधान मंडल की प्रवर समिति (Select Committee) को यह आश्वासन दिया गया था कि सुरक्षित क्षेत्र में उन इकाइयों को जो फैक्टरी के १० मील अर्द्धव्यास के बाहर स्थित हैं, ९ पैसे प्रति क्विंटल की छूट दी जायगी। उस वर्ष उक्त अधिनियम की धारा १४(२) के अधीन उन इकाइयों को जो फैक्टरी के १० मील के अर्द्ध व्यास के बाहर स्थित थीं उन्हें उक्त कर में ९ पैसे की छूट दी गई। इस प्रकार प्रवर समिति को दिये गये आश्वासन की पूर्ति कर दी गई थी।

२—प्रारम्भ में अध्यादेश तथा बाद में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या ३, १९६५ द्वारा उक्त अधिनियम का पुनः संशोधन करके ७ जनवरी, ६५ से गुड़, राब या खांडसारी इकाइयों के क्रय-कर की दर बढ़ा कर २५ पैसे से ५० पैसे प्रति क्विंटल नियत की गई। उस समय भी उन इकाइयों को जो फैक्टरी के १० मील के अर्द्धव्यास के बाहर स्थित थीं उसी अनुपात में १८ पैसे प्रति क्विंटल की छूट पृथक-आदेश से इस उद्देश्य से दी गई कि ऐसी इकाइयों को फैक्टरी के १० मील अर्द्धव्यास के बाहर चले जाने के लिये प्रोत्साहन मिल सके। वर्ष १९६५-६६ में भी इसी उद्देश्य से यह छूट दी गई किन्तु इसका इकाइयों पर कोई प्रभाव न पड़ा। अतएव अब यह छूट कर निर्धारण वर्ष १९६६-६७ से समाप्त की जाती है।

दिनांक १, ८, १५ तथा २२ जुलाई, १९६७ के शनिवारों को सदन की बैठक करने के संबंध में संकल्प

न्याय मंत्री (श्री श्याम लाल यादव)—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन का उपवेशन

[श्री श्यामलाल पांडेय]

शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसके उपवेशन दिनांक १, ८, १५ व २२ जुलाई, १९६७ को भी निर्धारित समय पर हों ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम १५ के उपनियम (२) के अनुसार इस सदन का उपवेशन शनिवार को नहीं होता है, परन्तु वित्तीय कार्य को समय से सम्पादित करने के लिये यह सदन यह निश्चय करता है कि इसके उपवेशन दिनांक १, ८, १५ व २२ जुलाई, १९६७ को भी निर्धारित समय पर हों ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

बजट साहित्य न मिलने तथा सदन में आने में कष्ट के संबंध में आपत्ति

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)—

मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। मुझे बजट की कापी नहीं मिली है। सेक्रेटरी साहब को भी इत्तला दी लेकिन बावजूद इसके मुझको कापी नहीं दी गई। मैं खुद आपके पास भी आया था।

श्री अध्यक्ष—

हमारे ४२४ मेम्बरों की संख्या है। ४३६ कापियां वितरित हो चुकी हैं। ऐसी स्थिति में हमारे कार्यालय में कोई कापी नहीं बची। मैं आश्वासन देता हूं कि मैं प्रयत्न करूंगा, जब तक आप चाहें तो मेरी अपनी कापी आपकी सेवा में प्रस्तुत है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

एक निवेदन मैं सदन की व्यवस्था के सम्बन्ध में करना चाहता हूं। आपकी उदारता और कृपा के फलस्वरूप हम बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं लेकिन मुझे यह बात दिखाई पड़ रही है कि इस सदन के दो कक्ष हैं। इसमें गैर सदस्य कई रोज से बराबर आते जाते रहते हैं और घूमते फिरते रहते हैं। अगर आप इस वक्त भी सचिव को भेजें या सरजेंट को भेजें तो दिखाई पड़ेगा कि गैर सदस्य घूम रहे हैं। इस सदन के अन्दर भी कभी-कभी वे बैठ जाते हैं। इसी से लगता है कि ४३६ कापियां बटने पर भी सब सदस्यों को नहीं मिल पा हैं। हमारे मंत्रिगण बैठे हैं। जिस ढंग से वे अपने साथ लोगों को ले आते हैं वह बड़ा अशोभनीय है। आप इसकी पूर्ण व्यवस्था करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तरफ कोई जा रहा है जैसे रिश्टैग (Reichstag) में आग लगी थी उस तरफ सरकारी दल उत्तर प्रदेश को ले जा रहा है।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

मैं इस सिलसिले में एक बात कहना चाहती हूं। दो दिन से जो अधिवेशन हो रहा है, खास तौर पर मुझे बड़ी परेशानी है। जहां कांस्टेबिल खड़ा रहता है वहां इतनी भीड़ रहती है कि आना मुश्किल होता है। बिना धक्का खाये नहीं आ सकते हैं। इस सदन के अन्दर महिला सदस्यों का विशेष ध्यान रखना चाहिये। इस तरह से धक्के खा कर सदन में आया जाय तो इससे और शर्म की बात दूसरी नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

दो प्रश्न मेरे सामने दो माननीय सदस्यों ने उठाये। माननीया राजेन्द्रकुमारी जी को कष्ट हुआ इसके लिये बड़ा खेद है। मुझे आज ऐसी सूचना मिली कि दरवाजे पर कुछ भीड़ हो रही

है या इसकी संभावना है। मैं इस बात की जानकारी के लिये ताकि माननीय सदस्यों को असुविधा न हो स्वयं दरवाजे पर गया। मैंने जा कर देखा। उस समय कम से कम बाहर दरवाजा साफ दिखायी दिया। इस बात के लिये मैं आगे देखूंगा कि माननीया सदस्या या किसी माननीय सदस्य को इस प्रकार की असुविधा न हो। माननीय बहुगुणा जी ने जो प्रश्न उठाया अपनी जगह पर महत्वपूर्ण है। मैं आभारी हूं। मैं और आभारी होता, इस सदन के अन्दर जब अनधिकृत व्यक्ति आ गया होता उस समय सूचना दे देते। भविष्य में मैं यह चाहूंगा कि जहां तक उनका संबंध है, जब उनको ऐसी जानकारी हो तो वह कृपा करके मुझे सूचना दें। इस सदन में माननीय सदस्य के अलावा किसी भी अतिरिक्त व्यक्ति का आना सर्वथा वर्जित है। किसी भी अवस्था में हो, चाहे वह मंत्री के साथ आये या किसी अन्य माननीय सदस्य के साथ आये। जहां तक लाबी का संबंध है उन पर भी नियम लागू होता है, वह भी सदस्य के लिये है। यद्यपि वहां पर इतनी कड़ाई से यह नियम लागू नहीं किया जाता। मैं इसकी व्यवस्था करूंगा और स्टाफ को आदेश दूंगा कि लाबी में भी कोई अनधिकृत व्यक्ति न आये।

१९६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

आइटम १०, वित्तीय वर्ष १९६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा-माननीय नेता विरोधी दल। आप के बोलने के पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके समय पर कोई नियन्त्रण नहीं है। जितना समय करेंगे, दूंगा।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

मैं कोई फिजूल समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे यही आशा करता हूं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी सूचना के लिये आभारी हूं जो अभी आपने मुझे दी कि मैं जितना समय बोलने में लेना चाहूं ले सकता हूं। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उस पद्धति का अनुकरण नहीं करूंगा जो पद्धति फिजूल की बातें करने की इस सदन में एक जमाने से अपनाई जाती रही है और इसलिये भी नहीं करूंगा कि २०-२२ साल या १५-१६ साल सामने की कुर्सियों पर बैठकर कुछ मेरी भी आदतें खराब गयी हैं। कुछ यह भी बात है कि मैं उस पद्धति को अपनाना अनावश्यक समझता हूं। मैं नेता विरोधी दल के लिये यह शोभनीय भी नहीं समझता हूं और न आवश्यक ही समझता हूं।

जो बजट सदन के सामने पेश किया गया है उसको मैंने देखा और माननीय वित्त मंत्री जी के भाषण को गौर से सुना और सुनने के उपरान्त पूर्व के वित्त मंत्रियों के भी भाषणों का मैंने अध्ययन किया तथा पुराने बजट के साहित्य का अध्ययन किया और उसका अध्ययन करने से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारे बहुत से क्रान्तिकारी भाइयों ने जो सरकार में आकर बैठे हैं, उन्होंने बजट में कोई ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाकर नहीं रखा जो उनकी नीतियों, घोषित उद्देश्यों, या प्रोग्राम को पूरा करता हो। हम चाहते थे वे हमें उन चीजों का दिग्दर्शन कराते जिनकी चर्चा वे सरकार में आने से पूर्व सदन में और सदन के बाहर किया करते थे। मुझे ऐसी आशा और विश्वास था कि पहली अप्रैल को जब राज्यपाल के संबोधन के सिलसिले में जो अमेंडमेन्ट विरोधी दलों के द्वारा पेश हुये थे, उनके

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

समावेश गवर्नमेन्ट के इस बजट में होगा। मुझे आशा थी कि उन तमाम बातों का समावेश काफी मात्रा में इस बजट में होगा। मैं सारे बजट के पन्ने एक सिरे से दूसरे सिरे तक उलट गया, वित्त मंत्री जी का भाषण भी मैंने सुना है, परन्तु मुझे उन बातों और उन प्रोग्राम को और उनको कार्यान्वित करने के लिये धनराशियों का जगह-जगह पर इस साहित्य में देखने का मौका नहीं मिला। यह सरकार पहली अप्रैल के राज्यपाल के संबोधन पर मतदान के बाद आयी और यह इस प्रकार से कि जब यह अमेंडमेन्ट पास हो गया जो कि विरोधी दलों द्वारा प्रस्तुत किया गया था मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस का दल बहुमत में नहीं है और इस सदन में माननीय सदस्यगण ऐसे हैं, जो अपने कथित क्रान्तिकारी प्रोग्राम द्वारा अधिक मात्रा में जनता की सेवा करना चाहते हैं यद्यपि राज्यपाल के संबोधन में जो अमेंडमेंट पास भी हो जाय वह कोई कारण नहीं था सरकार के हटने का, लेकिन जैसा मैंने अभी कहा कि मुझे आभास हुआ और मैंने स्वतः अनुभव किया कि यदि इस प्रदेश में ऐसे विधायक चुनकर आये हैं जो नयी सरकार बना सकते हैं और ऐसी चीजें प्रदेश को दे सकते हैं जिनको देने में २० साल कांग्रेस असमर्थ रही है तो ऐसे नवयुवकों, ऐसे नये दलों का स्वागत करना चाहिये और उनके हाथों में सरकार को सुपुर्द करना चाहिये। आपको विदित है कि घंटे भर बाद ही मैं राज्यपाल महोदय के पास गया और उनसे प्रार्थना की कि वे मेरा इस्तीफा स्वीकार करें और जो व्यक्ति सरकार के बनाने में समर्थ हो उनको वह आमंत्रित करें। वे व्यक्ति बुलाये गये, और उन्होंने यह सरकार बनायी।

आज जब कुछ बातें इस बजट के सिलसिले में कहनी होंगी और उन कुछ बातों के समर्थन में कहनी होंगी जिनकी आलोचना ये हमारे दोस्त किया करते थे यद्यपि उसके विषय में चौधरी साहब जो कि हमारे साथी २० साल तक रहे हैं और जो ऐसे विभागों का नेतृत्व करते रहे जो कि प्रदेश के उत्पादन से संबंधित थे वे उन सभी सरकारी कार्यवाहियों के विषय में अधिक अधिकारपूर्ण ढंग से कह सकते थे परन्तु आज वित्तमंत्री जी ने जो भाषण दिया है उसमें उन्होंने उन्हीं बहुत सी बातों की आलोचना की है और बहुत बातें कहीं हैं कि वे गलत नीतियों, गलत नियोजन और गलत प्रोग्राम्स के कारण हुईं। चौधरी साहब स्वयं इसको अधिक उत्तम ढंग से कर सकते थे परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि आज वे जिस स्थान पर हैं उस पर रहकर उसी कार्य के सिलसिले में उसकी आलोचना करें या अपने साथियों को उसका अवसर दें जो उनकी सरकार की ओर से बजट प्रस्तुत करते हैं। हम यह आशा करते थे कि यह बजट १९ सूत्री कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बित करेगा जिनका जिक्र राज्यपाल के संबोधन में धन्यवाद के प्रस्ताव के संशोधन के रूप में किया गया था। परन्तु जैसा मैंने कहा, कि सिवाय एक चीज के मुझे और कोई दूसरी चीज इस सारे बजट में देखने को नहीं मिली। वह थी भूमि-भवन कर के वापिस लेने की बात जिसकी घोषणा इस सरकार ने की है कि वह उसको माफ करती हैं। बाकी वे सारी बातें जो उस अमेंडमेंट में स्वीकार की गई थीं, उनकी चर्चा कहीं नहीं है। प्राइमरी अध्यापकों के लिये जो १५० रुपये वेतन देने का बहुत ढिंढोरा पीटा गया था वह कहीं बजट में दिखाई नहीं पड़ता है। न सिंचाई की दर घटाने की बात मुझे इस बजट में दिखाई पड़ती है और न लैन्ड रेवेन्यू के घटाने की बात मुझे इस बजट में दिखाई पड़ती है। यह बातें मैं इसलिये नहीं कह रहा हूं कि जो सारी बातें उस अमेंडमेंट में थीं, मैं उनका समर्थक था। मैं तो ऐसी सरकार का उस समय नेतृत्व कर रहा था जो परिस्थितियों को देखते हुये, आवश्यकताओं को देखते हुये और प्रदेश की प्रगति को देखते हुये बहुत सी बातें जो संशोधन में प्रस्तुत की गई थीं मैं स्वीकार नहीं कर सकता था लेकिन मैं चौधरी साहब की सरकार से अवश्य यह आशा करता था कि वह उन बातों को कार्यरूप में परिणत करेंगे। परन्तु उनके कार्यान्वयन की बात मुझे इस बजट में कहीं दिखाई नहीं पड़ती है। मेरे सामने १९ सूत्री प्रोग्राम है। न तो इस बजट में लगान को माफ करने की बात आई है और न वृत्ति व्यापार कर को समाप्त करने की बात कहीं पर आई है। न हाई स्कूल तक निशुल्क शिक्षा करने की बात इस बजट के अन्तर्गत आई है। समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त को स्वीकार करके प्रदेश के गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों और सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों के वेतन तथा सेवा की शर्तों में समानता स्थापित करने की इसमें कोई चर्चा नहीं है। न राज्य कर्मचारियों की मांगों को उस तरह से स्वीकार

किया गया है जिस तरह से अमेंडमेंट में स्वीकार करने की बात कही गयी थी। न कृषि कार्य के लिये किसानों को बिजली देने में प्राथमिकता तथा सुविधा दिये जाने की इसमें कोई विशेष बात है। न किसानों के लिये सिंचाई के सस्ते, सुलभ तथा उपयोगी साधनों की तुरन्त व्यवस्था करने की कोई व्यवस्था दिखाई देती है। न सिंचाई की दर में कोई कमी करने का प्रश्न आया है। और भी बहुत-सी बातें हैं जिनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। यह १६ सूत्री प्रोग्राम पहली अप्रैल को इस सदन के सामने आ चुका है। तो कोई नई बात हमारी नजर के सामने नहीं आई। लेकिन लम्बी-लम्बी बातें सबने कीं और सब दलों ने मिलकर और सब दलों ने मिलकर चौधरी साहब के नेतृत्व में उस अमेंडमेंट को पास करके पिछली सरकार को हटाने का प्रयत्न किया। यह लोग जो लम्बी-लम्बी बातें करते हैं, जो लम्बी-लम्बी घोषणा करते हैं और लम्बे लम्बे प्रोग्राम रखते हैं यदि वे उसको कार्य रूप में परिणत करने के लिये कदम नहीं उठाते हैं तो इनको क्या हक है उस जिम्मेदारी को संभालने का जिसको संभालने की वह असमर्थता प्रगट करते हैं। यह बजट हमारे सामने है। जब वह अध्यापकों की तनख्वाह बढ़ाने की बात कहते थे तो क्यों नहीं बढ़ाई जाती है। यदि वह बढ़ाना चाहते हैं और वाकई उनकी नीति और प्रोग्राम का हिस्सा है तो उसको बढ़ाने के लिये क्यों नहीं कदम उठाते हैं? यदि लगान घटाना चाहते हैं और इसकी घोषणा जगह-जगह करते हैं तो क्यों नहीं ऐसा करते हैं? मुझे तो कहीं भी इस बजट के अन्दर कोई चीज़ पूरी होती नहीं दिखाई देती है जिसकी घोषणा आये दिन जगह-जगह इन दलों की ओर से की गई है। यह एक अचम्भे की बात है, ताज्जुब की बात है और एक ऐसी बात है कि जो हमें उस दिशा में नहीं खींच सकती कि जिस दिशा में खिचकर हम जनतंत्र की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं। हम अगर जनता को बहकायें और उसे उस ओर न ले जायें जिधर हमें उसे जनतंत्र में ले जाना चाहिये तो क्या जनता के हृदय में हमारे लिये श्रद्धा उत्पन्न होगी? हमारे बाहर के देशों में वहां से जनतंत्र विलुप्त हो गया है और वहां ऐसे दलों की सरकारें स्थापित हो चुकी हैं जिनके द्वारा जनता के अधिकार समाप्त कर दिये गये हैं, उसे स्वतंत्रतापूर्वक विचार करने की आजादी नहीं है। अगर हमें जनता की श्रद्धा जनतंत्र में बनाये रखनी है तो हमें अपने कदमों पर विचार करना चाहिये। यदि हम लम्बी-लम्बी बातें करें और उन बातों को कार्यरूप में परिणत न करें, उसके लिये चेष्टा न करें, उन पर अमल न करें, यदि हम १६ सूत्री प्रोग्राम की घोषणा तो करें, लेकिन उसके लिये कोई कदम न उठायें तो इस से काम चलने वाला नहीं है।

मैंने इस बजट का अध्ययन किया, इसे देखा कि कहीं इस बजट में समाजवाद भी दिखाई पड़ता है, कहीं इसमें उन प्रगतिशील बातों की चर्चा दिखाई पड़ती है जिनकी चर्चा हमारे कम्युनिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी तथा रिपब्लिकन पार्टी के भाई किया करते हैं। मुझे कहीं वे बातें इस बजट में दिखाई नहीं दी। न कहीं मुझे समाजवादी प्रवृत्तियों के उभरने की बात दिखाई दी। और न कहीं मुझे ऐसा कोई प्रोग्राम दिखाई दिया कि जिससे हम उस दिशा में आगे खिंच सकते हों। हां, पिछली सरकार की आलोचना, उसके प्रति अश्रद्धा प्रकट होते हुये इन किताबों में जरूर दिखाई पड़ी। किन्तु क्या इस से ही समस्या का समाधान हो जायगा? यदि आपका विश्वास है कि आप प्रदेश को नयी जिन्दगी दे सकते हैं, नयी दिशा दिखा सकते हैं, एक क्रांतिकारी कदम उठा सकते हैं तो उसकी व्यवस्था इस बजट में क्यों नहीं की गयी? यदि यह कहा जाय, जैसा कि एक जवाब में हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वह एक लम्बा प्रोग्राम है। उसे पूरा करने में समय लगेगा। वह साल भर का प्रोग्राम नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यदि वह साल भर का प्रोग्राम नहीं था तो उसे राज्यपाल के संबोधन में रखने की क्या आवश्यकता थी? वह सम्बोधन तो केवल उन नीतियों से संबंध रखता है कि जो अगले वर्ष में सरकार को निभानी हैं, जिनको हमें अगले साल में पूरा करना है। ५ साल की नीति और बातें उसमें नहीं रहती हैं। उन दलों में यह क्षमता होनी चाहिये कि वे अपने संशोधन की बातों को पूरा करने के सिलसिले में कोई कदम उठायें और साथ ही अपने शक्ति का परिचय भी दें, कुछ अपने धैर्य का परिचय दें और अपने कार्य करने की क्षमता का परिचय दें। परन्तु इस बजट में उनकी यह क्षमता हमें नहीं दिखाई पड़ रही है। यदि प्रदेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये बजट बढ़ाने की आवश्यकता थी तो आपने टैक्स क्यों नहीं लगाये? आज यह बजट पेश करते हुये कहा जाता है कि पहली

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

सरकारें डेफिसिट बजट पेश करती थीं, वह योजना के अनुसार चलती थीं और उसने प्रदेश को आर्थिक बुराइयों की तरफ ढकेल दिया, प्रदेश के सामने काफी अड़चनें पैदा कर दीं। मैंने पिछले बजटों का अध्ययन किया है और उनके बनाने में स्वतः हिस्सा भी लिया है। प्रदेश में जितनी दफा भी बजट बने, शुरू में भले ही डेफिसिट बजट रहे, लेकिन अन्त में वे सरप्लस बजट ही रहे। हम सारा काम कैपिटल एकाउन्ट से ही चलाया करते थे, किन्तु आज जो बजट हम देख रहे हैं उसमें कैपिटल एकाउन्ट में २० करोड़ का घाटा इस सरकार को होगा। बहुत से काम पिछले सालों में जो कांग्रेस सरकार ने चलाये थे और तेजी के साथ हाथ में लिये थे, उनको यह सरकार बन्द करने जा रही है।

जो आंकड़ों का अध्ययन मैंने किया है उनसे यही पता चलता है कि जो हमारे प्रोजेक्ट्स थे उनके ऊपर उतनी धनराशि व्यय नहीं की जायगी जितनी कि पहले रखी गयी थी और उसके बाद भी इस सरकार को कैपिटल एकाउन्ट में २० करोड़ का घाटा होगा जिसे यह सरकार रिजर्व्स से तथा प्राविडेन्ट फंड आदि से लेकर तथा ट्रेजरी बिल्स को बेंचकर पूरा करेगी। मान्यवर, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यही होगा कि हमारी स्थिति भी राजस्थान तथा उड़ीसा आदि जैसी बन जायेगी जिन्हें कि आज रिजर्व बैंक ओवर ड्राफ्ट आदि की सुविधायें नहीं दे रहा है। तो क्या हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में भी हम ऐसी स्थिति पैदा कर दें जिस से कि रिजर्व बैंक हमको भी रुपया देना बन्द कर दें? हमने अपने प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से फाइनेन्शियल डिसिप्लिन को मेंटेन रखा, कभी आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ाने की चेष्टा नहीं की, और आज यह सरकार २० करोड़ रुपये, कैपिटल एकाउन्ट में डेफिसिट दिखाकर खर्च करना चाहती है और उन बचतों को आज इस्तेमाल करना चाहती है जिनके कारण हमारे प्रदेश को उच्च स्थान मिला हुआ था। ४ वर्ष पहले जब मैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री पद पर था, मोरारजी भाई ने, जो उस समय केन्द्र के वित्त मंत्री थे, देश के वित्त मंत्रियों और मुख्य मंत्रियों को आदेश दिया था कि जिन प्रदेशों ने ओवर ड्राफ्ट कर रखा है वे उसे जल्दी से जल्दी अदा करें। मैं नहीं जानता कि कितने प्रदेशों ने उनके आदेश का पालन किया और उस रुपये को जमा किया, परन्तु अपना प्रदेश उन ४–५ प्रदेशों में से एक था जिसने ओवर ड्राफ्ट नहीं किया था। आज यह सरकार अगर २० करोड़ रुपये की बचत आदि से लेकर खर्च करती है तो यह प्रदेश की आर्थिक स्थिति के लिये बड़ा ही धक्का लगेगा और प्रदेश के आर्थिक ढांचे घातक होगा। इससे प्रदेश की ख्याति को भी में एक गम्भीर परिवर्तन अवश्यम्भावी है।

यह आलोचना की गयी कि हमारी प्लानिंग में खराबियां थीं, हमने एग्रीकल्चर को प्राथमिकता नहीं दी, ग्रो मोर फूड का नारा तो दिया, मगर उसकी व्यवस्था नहीं की, और यह नहीं किया, वह नहीं किया। जिन चीजों को प्राथमिकता हमें देनी चाहिये थी, वह हमने नहीं दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जो वाकयात माननीय वित्त मंत्री जी ने सदन के समक्ष रखे हैं वे सही हैं? तीसरी हमारी प्लान बिलकुल एग्रीकल्चर ओरिएंटेड प्लान रही। कौन नहीं जानता कि इस तीसरी प्लान में इंटेंसिव एग्रीकल्चर को प्राथमिकता दी गई। करीब ५५५ करोड़ रुपया तीसरी पंचवर्षीय योजना में व्यय हुआ। ३७५ करोड़ रुपया एग्रीकल्चर या उससे संबंधित चीजों पर व्यय हुआ है १०८ करोड़ रुपया एग्रीकल्चर में स्वतः खर्च हुआ है। ५८ करोड़ रुपया कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में और कोआपरेशन में, और शायद २१९ करोड़ रुपया पावर और इर्रीगेशन में हुआ है। ये सब ऐसे मुहकमें थे जिनका कुछ न कुछ संबंध एग्रीकल्चर से था। तो यह आलोचना कि हमारा ध्यान एग्रीकल्चर की तरफ नहीं रहा और उसको बढ़ाने की दिशा में कदम नहीं उठाया निराधार है, हां यह सरकार यदि और बोझा खेती के ऊपर उठाना चाहती है तो हम उसका स्वागत करते हैं। अगर वह अधिक पैदावार को अपने प्रयास से बढ़ा दें तो हम इस नीति का स्वागत करेंगे और उनको बधाई देंगे। हमारी यह होड़ नहीं है कि हम यह कहें हमारे जरिये से ही पैदावार बढ़ सकती है और माननीय चरण सिंह के नेतृत्व में जो साथी आये हैं उनके सहयोग से न बढ़ेगी। लेकिन यह आलोचना करना कि उस दिशा में हम बढ़े ही नहीं, हमने प्राथमिकता ही नहीं दी, यह बात गलत है और वास्तविकता के परे है।

हमने भूलें की हैं और उन भूलों में चौधरी साहब जो कि एग्रीकल्चर के स्वयं मंत्री रहे हैं, सबसे बड़ी भूल वह करते रहे हैं। वह अपनी उन नीतियों को उस सरकार के समक्ष नहीं रखते रहे हैं और उसकी ओर कर्तव्यशील नहीं रहे हैं तभी तो वे कार्यरूप में परिणत नहीं हो सकीं, वरना होतीं। लेकिन मैं केवल उन्हीं को दोष दूं, यह भी ठीक नहीं है, मैं भी उनके साथ रहा हूं। हम सब उसके दोषी समझे जा सकते हैं। यदि मुझसे कहीं गलती हुई है तो उससे भागता भी नहीं हूं, उसको ओढ़ने के लिये तैयार हूं। लेकिन आज चौधरी साहब उस स्थान पर बैठे हैं और सारे दोष वे उन सरकारों और साथियों पर मढ़वा रहे हैं जिन सरकारों में २० साल तक वह रहे, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सही बात नहीं है। ऐसा करके वे इससे कोई प्रगतिशील कदम नहीं उठा रहे हैं।

स्वत: वित्त मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि हमारे इर्रीगेशन का पोटेंशयल २० वर्षों में बढ़ा है, आगे भी बढ़ने वाला है। आगे बढ़ने वाला है तो किसकी कृपा से ? किसने कदम उठाया है ? यदि ६६ लाख एकड़ से १३८ लाख एकड़ की भूमि में जोतने की व्यवस्था हुई और २५ लाख को और होने जा रही है तो यह किसकी कृपा से हुई है, किसकी योजनाओं से हुआ है ? क्या जो योजनाओं के अन्तर्गत कार्य किया गया उसने हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में सहायता नहीं की है ? फिर यह आलोचना किसकी ? और यह कहां तक सही है कि हमने एग्रीकल्चर को प्राथमिकता नहीं दी या उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। हमारा सरकार से निवेदन है कि उसे आगे बढ़ने के लिये उन ठोस कार्यवाहियों को करना चाहिये जिससे हमारी पैदावार अधिक बढ़े। वित्त मंत्री जी ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त में जो पैदावार हुई उससे आज की पैदावार का मुकाबला किया और कहा है कि उत्तरोत्तर हमारी पैदावार घटती जा रही है। तो क्या उन वर्षों की पैदावार का मुकाबला जिनमें वर्षा अच्छी हुई उन वर्षों की पैदावार से करना जब वर्षा नहीं हुई क्या बुद्धिमत्ता तथा दूरदर्शिता की बात होगी जब कि वर्षा अच्छी हुई और पैदावार अधिक हुई। स्टेटिस्टिशियन्स का कथन है कि हम जब कभी इस तरह से विभिन्न पैदावारों का मुकाबिला करें तो हम यह नहीं भूलना चाहिये, हमें तो उस समय का एवरेज निकालना चाहिये कि जिन समयों में अच्छी पैदावार हुई हो और अच्छा पानी बरसा हो तब उनका मुकाबिला उन वर्षों से किया जा सकता है और जब पानी अच्छा हो। उन वर्षों का नहीं किया जा सकता है जब पानी अच्छा न बरसा हो और न उन वर्षों से जब उर्वरक न मिला हो और कहीं पानी की व्यवस्था हम स्थापित न कर पायें हों जिसके द्वारा हम उर्वरक की मदद से पैदावार अधिक बढ़ा सके हों। इसलिये मेरा कहना है कि ये आपत्तियां जो पिछली सरकार के विषय में वित्त मंत्री जी ने दी है और जिनको स्वत: चौधरी साहब को देखना था और जिनके विषय में मुझे आज चर्चा करनी पड़ रही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बातें आज वित्त मंत्री ने अपने भाषण में की हैं वे तथ्यहीन हैं और वे अपनी जगह नहीं रखती हैं और उनका वह मूल्य या महत्व नहीं है जिस महत्व को दर्शाने की वित्त मंत्री ने अपने वित्तीय भाषण में चेष्टा की है।

मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि कुछ डेफिसिट फाइनेन्सिंग की चर्चा की गई है जिसने हमें आर्थिक दिशा में खींच लिया है और इसकी वजह से जो सारी मुसीबतें हमारे ऊपर हैं। पिछले साल का अगर आप बजट देखिये तो पचास लाख का बजट स्वीकार किया। आप अपना बजट पेश कर रहे हैं जिसमें बीस करोड़ रुपया घाटे का कैपिटल अकाउन्ट में दिखा दिया। आप उस बजट और अब के बजट का मुकाबिला कीजिये। देखने से विदित होगा कि जो प्लानिंग की नीति हमने अपनाई थी और जिसके अनुसार हम चलना चाहते थे उसके उद्देश्य थे उसके ध्येय थे कि अधिक पैदावार बढ़ाकर देशवासियों की आमदनी बढ़ाकर उनके स्तर को ऊंचा करके देश में जल्द से जल्द वह व्यवस्था हम स्थापित करें जब गुरबत हमारी नजरों से दूर हो जाय और समानता का वातावरण बढ़ाते हुए और उठाते हुए दिखाई दें। आज भी मैं चाहता था कि इस बजट से मुझे कुछ वैसी शक्ल देखने को मिलती कि इस बजट की बुनियाद क्या नियोजन में या प्लानिंग में विश्वास रखती है। जहां तक मैं जानता हूं, कम्युनिस्ट, एस० एस० पी०, पी० एस० पी०, रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य तो प्लानिंग में विश्वास करते हैं, ताकि ढंग से प्रगति हो। परन्तु क्या इस बजट में कहीं इन सूरतों का परिचय उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। एक नवयुवक नेता एस० एस० पी० का सदस्य है उसके तरीकों से मैं सहमत नहीं हूं लेकिन परन्तु इनकी आकांक्षाओं का मैं समर्थक हूं कि देश जल्द से जल्द तरक्की

[श्री कमलापति पुरी]

करें क्योंकि लक्ष्यहीन बजट को पेश करने वाले का अनुभव बन गया। यह बजट जो पेश हुआ है यह उनके पेश करने लायक नहीं था। इसका सबूत तो डा० लोहिया खुद देते हैं कि यह बजट तो हमारे एस० एस० पी० के वित्त मंत्री को प्रस्तुत नहीं करना चाहिये था क्योंकि जितनी घोषणायें हमने पहिले की थीं वे कहीं भी देखने को मिल नहीं रहीं। हमारा दुर्भाग्य है कि जो सरकार आज हमारे प्रदेश में है वह उन तथ्यों को पकड़ नहीं सकती। तो तथ्य आज हम सबको पकड़ने हैं प्रदेश की तरक्की के लिये, उसे उठाने के लिये। उसका मुख्य कारण यह है कि सरकार बहुत सी टुकड़ियों में बंटी हुई है और उसका निर्माण इस तरह से हुआ है कि जो गणतन्त्र की सरकारों के अनुकूल नहीं है। मुख्य मंत्री को स्वतः मंत्रियों की नियुक्ति या चयन करने का अधिकार न हो और दूसरे बाहर के लोग मंत्री चुन कर दें, यह नीति वैसी है जो जनतंत्र की जड़ों को मजबूत नहीं कर सकती और उसमें वह शक्ति प्रदान नहीं कर सकती जो कि एक मुख्य मंत्री के हाथ में रहनी चाहिये और न यह नीति मुख्य मंत्री की नीतियों के बनाने में मदद कर सकती है। जो मंत्री विभिन्न दलों से चुने गये और मुख्य मंत्री को स्वीकार करने पड़े हों अपनी मंशा के खिलाफ, अपने चालचलन, ढंग और ढर्रे के खिलाफ, तो ऐसी सरकार का नेतृत्व प्रदेश को बहुत दूर तक आगे नहीं ले जा सकता है। जैसा मैं यहां और बाहर भी कई बार कह चुका हूं, मुझे पसन्द होगा यदि यह ८ या ९ दलों की सरकार अपने को एक दल में परिवर्तित कर ले और जो प्रोग्राम बनाया है उसे कार्य रूप में परिणत करे। तब यह ५ साल नहीं, १० साल चले और बनी रहे। लेकिन बाहर तो यह दल एक दूसरे दल को गिराने की कोशिश करे और यहां सब एक ऐसे नेता के नेतृत्व में कार्य करें जो उन बातों में विश्वास ही न करता हो, तो यह सरकार कैसे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है जिससे देश की और प्रदेश की उन्नति का रास्ता खुले?

आज हो क्या रहा है? इन पिछले लगभग २ महीनों में जो बातें या काम इस सरकार के हमारी नजरों से गुजरे हैं वे कई दिशाओं में अशोभनीय ही नहीं थे बल्कि निन्दनीय भी हैं। कितना मंत्रियों के दौरों में आज खर्चा हो रहा है। दौरे कांग्रेस के मंत्री भी करते थे। लेकिन इन लगभग २ महीनों में मंत्रियों ने अपने-अपने दलों को मजबूत करने के लिये दौरे किये हैं, जो गणतंत्र को मजबूत करने वाली बात नहीं है। आज जब कांग्रेस अपने कार्यकर्त्ताओं के बीच में जाती है, अपना समर्थन प्राप्त करती है। जनसंघ अपना समर्थन प्राप्त करता है। कम्युनिस्ट पार्टी वाले अपना समर्थन प्राप्त करना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब है कि जो लोग एक दूसरे के विरोध में आकर ऐसा कहते थे कि ये मुल्क के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, वे आज मिलकर कार्य कर रहे हैं और देश को खतरे में डाल रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है। कैसे इस सरकार का कार्य चल सकता है जहां मिल कर कांग्रेस को सब गाली दे लेते हैं और उसे गिराने की चेष्टा करते हैं। परन्तु इससे तो काम हलका नहीं होगा। २० सालों में यदि कांग्रेस ने देश को एक धागे में बांध कर रखा है, यदि हम अपनी गलतियों से और अपने कारनामों से उस एकता को छिन्न-भिन्न कर दें, तो क्या यह कोई बुद्धिमत्ता की बात होगी? हम में से बहुत से तो ऐसी पीढ़ी के हैं, जिनमें मैं चौधरी साहब को भी शामिल करता हूं, जिनमें बहुत ज्यादा अब देश का नेतृत्व करने की सामर्थ्य नहीं रह गई है। बहुत से लोग हमारी पीढ़ी के चले भी गये हैं। अब तो नवयुवकों को सारी जिम्मेदारियां, चाहे वे जिस दल के भी हों, इस देश का कार्य-भार सम्भालना है। परन्तु क्या वे महज इस ढंग से कार्यभार संभालेंगे कि सरकार की गद्दी पर बैठने की ही चेष्टा करते रहें? मैं बहुत अदब से कहना चाहता हूं कि यह ढंग हमारी पंचायती राज्य की परम्पराओं के लिये बहुत खतरनाक है। ये हमारी आजादी को खतरे में डालने वाले ढंग हैं। कांग्रेस को इस तरह से गिराने की चेष्टा की जाती है कि यह तो चोरों की या भ्रष्टाचारियों की एक जमात थी। तो चोरों की जमात में से आपने एक आदमी को पकड़कर अपना नेता बना लिया। वह चोरों की जमात में से निकला हुआ व्यक्ति या तो बड़ा भारी चोर या मक्कार होगा या बड़ा भारी साधु होगा परन्तु आज साधुवत् नहीं। आज जगह-जगह पर यह कहना कि इस मंत्री की इनक्वायरी होगी या उस मंत्री की इनक्वायरी होगी, जो नये मंत्री बने हैं उन्होंने जो निकम्मापन दिखाया है और हरकतें कीं, वे कम से कम इस सदन के स्तर को गिराने वाली हैं।

सिंचाई मंत्री (श्री टम्बरेश्वरप्रसाद)—

'निकम्मापन' असंसदीय शब्द है।

श्री अध्यक्ष—

किसी व्यक्ति का नाम लेकर कहा जाय तब, वरना नहीं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कुछ तब मंत्री नहीं थे, बाद को बने हैं। जो निकम्मापन दिखाया है वह निन्दनीय था। मंत्रियों के कागजात निजी तथा सरकारी सभी प्रकार के दफ्तरों में रहते हैं और सरकार बदलने पर उनके पी० ए० इत्यादि उनके निजी कागजात घर पहुंचा देते हैं। कुछ मंत्रियों के कागज रोके गये और मुझे दुख है कि चौधरी साहब को २ महीने लगे इस बात को तय करने में कि वे कागज उनके निजी हैं और उन्हें उनके घर पी० ए० को भिजवाने का अधिकार था। क्या आने वाली पीढ़ियां इस बात को अशोभनीय और निन्दनीय नहीं कहेंगी? जब चौधरी साहब १५, २० दिन के लिये मंत्री नहीं रहे थे तो क्या उनके कागजात उनके पी० ए० इत्यादि ने उनके घर नहीं पहुंचाये थे? लेकिन जनता को ऐसा जाहिर किया गया कि कांग्रेस के मंत्री चोर थे और कागजात चुराकर ले जा रहे थे। मैं इस कार्य की घोर निन्दा करता हूं क्योंकि यह कार्य राजनैतिक और सार्वजनिक परम्पराओं के विपरीत है। जो लोग इस तरह का कार्य करते हैं, मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि वे मुस्तहक नहीं हैं उन जगहों पर बैठने के जिन जगहों पर वे बैठे हुए हैं। राजनीतिक जीवन में लोग आयेंगे और जायेंगे लेकिन राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की कुछ परम्परायें होती हैं वे जीवित रहेंगी और उन्हीं परम्पराओं को हमें जीवित रखना है। श्रीमन्, मैं थोड़ा बजट के पहलू से अलग हो गया लेकिन मुझे ऐसा बताया गया कि बजट के समय सारी बातों को कहा जा सकता है। मैं स्वतः इस तरह से इस हाउस में नहीं बोला हूं। इसलिये मैंने थोड़ी सी बातों को आपके समक्ष उपस्थित कर दिया।

इस बजट में कहीं भी, प्रदेश में इस समय जो स्केअरसिटी कंडीशन्स हैं, उनकी चर्चा नहीं की गयी और जिस मात्रा में वे हैं, न उस मात्रा में उन कंडीशन्स को मिटाने के लिये कदम ही उठाया गया है। यह सही है कि केन्द्रीय सरकार की ओर से ५ लाख रुपया विभिन्न संस्थाओं को दिया गया, फ्री किचन्स खोलने के लिए। लेकिन यह काम भी बहुत थोड़ी जगहों पर हो रहा है। प्रदेश के कई और भाग भी हैं जहां स्केअरसिटी की कंडीशन्स हैं लेकिन वहां कोई कदम नहीं हो रहा है। जब उधर के माननीय सदस्य इधर बैठा करते थे तो उन बातों की बड़ी चर्चा किया करते थे, क्या वे अपने पुराने तजुरबों को भूल गये हैं? या जिन बातों को वे उस वक्त किया करते थे वे सभी बातें नहीं थीं? कहीं न कहीं इन बातों में सामंजस्य होना ही चाहिये। क्या उस सामंजस्य को लाने की इस बजट में कोई चेष्टा की गयी है? क्या देवरिया में स्केअरसिटी कंडीशन्स को दूर करने की ओर कोई कदम उठाया गया है? कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है।

श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। इस प्रकार दीर्घा में कुछ सी० आई० डी० के लोग बैठे हुये हैं और पत्रकारों को असुविधा पहुंचा रहे हैं। इसकी श्रीमन्, व्यवस्था की जाय।

(शेम शेम की आवाजें)

श्री रामायण राय (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, कुछ गड़बड़ देख कर मैं अभी बाहर गया था। कुछ लोग वहां थे जो पत्रकारों के साथ दुर्वचनों का प्रयोग कर रहे थे और अपने को इंटैलीजेंस का व्यक्ति बताते थे।

श्री अध्यक्ष—

मुझे भी यहां से कुछ इस बात का आभास हुआ था और यहां बैठे-बैठे तुरन्त मैंने उसका प्रबन्ध किया। मैंने अपने सचिव को वहां भेजा है और उसमें कार्यवाही हो रही है। आगे भी उसका ध्यान रखा जावेगा।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, क्या आपने वहां बैठ कर किसी इन्टेलीजेंस वाले को सदन की कार्यवाही नोट करने के लिये कहा है ? यह सदन की मान्यताओं के विपरीत है और सदन का अवमान है।

श्री अध्यक्ष—

मैंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है ।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, जो लोग वहां बैठे हुए थे और दिक्कत पैदा कर रहे थे, उनका नाम नोट किया जाना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैंने मार्शल को भेजा है। वह इसी सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री रामायण राय—

जो घटना सदन के समक्ष हुई है, उस घटना से संबंधित व्यक्ति को सदन के समक्ष बुलाया जाना चाहिये और उसको सजा दी जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

सदन के समक्ष तो नहीं, आपके पीठे जो घटना हुई है मैंने अविलम्ब ही मार्शल को इसके लिये नियुक्त कर दिया है और वे इस सम्बन्ध में अभी भी कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि स्केअरसिटी से रिलीफ दिलाने के लिये बजट में उस मात्रा में कोई धनराशि नहीं रखी गयी है जिस माता में इस विपत्ति से लड़ने के लिये रखी जानी चाहिये थी। यह इस बजट की बहुत भारी कमी है। यह भी कहा गया था कि कामन मैन की तकलीफों को दूर करने के लिये उनको रिलीफ दिया जायगा। उनके कर में कमी की जायगी। मैंने सेल्स टैक्स के भी आंकड़े पढ़े, उसमें भी रिलीफ देने की बात कही गई थी क्योंकि सेल्स टैक्स का जो पैसा आता है वह कामन मैन से आता है, लेकिन उस कर में भी ५–६ करोड़ की बढ़ोत्तरी की गई है। वोट आन एकाउन्ट में जो रकम पिछली २५ करोड़ की थी उसको बहुगुणा जी ने वोट आन एकाउन्ट में २९ करोड़ का अन्दाजा किया था लेकिन अब वह बढ़ाकर ३२–३३ करोड़ रुपये की अनुमानित आय पर दी गई है। अभी कोई बिल इस सम्बन्ध में नहीं आया है, यह कर कामन मैन से वसूल होता है। कहा गया है कि कोई बिल लाया जायगा, बगैर बिल के लाये हुये ही कह दिया गया कि ३३ करोड़ रुपये की आय हो जायगी सेल्स टैक्स की। जो आप ने २० करोड़ का कैपिटल एकाउन्ट में डेफिसिट दिखाया है वह और बढ़ेगा क्योंकि ५ करोड़ रुपया तो आयेगा नहीं। उसके लिये तो पहले बिल आया होता तो ठीक था, इस बजट से पहले वह पास कराया जाता तो हम भी जानते कि आप किन मदों में बिक्री कर बढ़ाने जा रहे हैं और उससे कितनी धनराशि इकट्ठा करना चाहते हैं। यह भी हो सकता है कि ५–६ करोड़ रुपया जमा ही न हो और डेफिसिट और बढ़ जाय।

बजट में जिस तरह से आंकड़े रखे गये हैं मैं समझता हूं कि यह कोई व्यावहारिक आंकड़े नहीं हैं। यह हमारे सामने वह दृष्टिकोण उपस्थित नहीं करते जो दृष्टिकोण एक व्यावहारिक व्यक्ति या सरकार का होना चाहिये। आपने कहा था कि प्रोफेशनल टैक्स हटाया जायगा लेकिन पेशे वाले लोगों को कोई रिलीफ आपने नहीं दिया है। आपने भूमिभवन कर में मकान वालों को तो जरूर कुछ फायदा दिया और उसका कारण यही था कि जनसंघ में अधिकांशतः व्यवसायी और दूकानदार लोग शामिल हैं। उन्हीं को आपने लाभ पहुंचाया है। लेकिन जो वकील, जर्नलिस्ट, तालीमयाफ्ता दूसरे बाबू आदि पेशे वाले लोग हैं उनको आपने कोई रिलीफ नहीं दिया।

आपने सरकारी कर्मचारियों को पैरिटी देने की चर्चा की। यह जो सरकारी कर्मचारियों और आपका द्वन्द चल रहा है वह आप का चलाया हुआ है और आप ही उसके लिये जिम्मेवार हैं। आप ने प्रदेश में, मैं उसमें चौधरी साहब को तो शामिल नहीं करता क्योंकि वह तो पहले सभ्य समाज में शामिल थे, लेकिन वह जो ७–८ दल हैं वे सब तो सरकारी कर्मचारियों को बराबर बहकाते रहे हैं और उनमें अनुशासनहीनता फैलाते रहे हैं और उनको तरह-तरह की गलत बातें करने के लिये प्रोत्साहित करते रहे हैं। लेकिन हम किसी प्रकार की अनुशासनहीनता या गलत बातें करने के लिये उनका समर्थन नहीं कर सकते। जिस समय यहां सुचेता जी के नेतृत्व में सरकार चलती थी और सरकारी कर्मचारियों की मांगें उपस्थित थीं तो एक साहब एक बार दिल्ली से मेरे पास आये और उन्होंने अपनी बातें मेरे सामने रखीं। उस वक्त भी मैंने इन चीजों की भर्त्सना की थी और उनसे कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के वह काम ऐसे हैं जो किसी सरकार को चलाने नहीं दे सकते और वह गलत हैं। लेकिन जहां तक उनकी मांगों का सम्बन्ध है मैं उन व्यक्तियों में से हूं कि जो कहते रहे हैं कि उनकी जो मांगें हैं उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार होना चाहिये। लेकिन उनको मनवाने के लिये सरकारी कर्मचारियों को कभी ऐसे ढंग अख्तियार नहीं करने चाहिये जो किसी सरकार के चलने में बाधक सिद्ध हों। जब आप की सरकार बनी और आप के लोगों ने स्वयं जलसों में कहा था कि हम आप की ही कृपा से यहां आकर बैठे हैं तो इस सरकार को तो उनकी मांगों पर और अधिक सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये था। जब मैं मुख्य मंत्री बना था तो मैंने कहा था कि श्रीमती सुचेता जी द्वारा बनाये गये कमीशन की रिपोर्ट पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे। उसके निर्णयों पर इस सरकार को भी विचार करना चाहिये था। ३१ तारीख को उसकी सिपारिशें आयी थीं। मैंने चीफ सेक्रेटरी से उस वक्त कहा था कि वह अध्ययन करके बतावें क्यों कि मैं पहली तारीख को घोषणा करना चाहता हूं कि उस कमीशन की सिपारिशों को हम स्वीकार करते हैं। वह सिपारिशें मुझे पढ़ने को नहीं मिलीं। खामख्वाह की एक झुंझलाहट फैली हुई है कर्मचारियों के बीच में कि कमीशन ने कुछ ज्यादा की सिपारिश की है। यदि ज्यादा सिपारिश की है तो उसको स्वीकार करना चाहिये। इसलिये कि आप ने एक साइकालोजीकल ऐटमास्फीयर बिगाड़ा, आप के नेताओं ने चाहे किसी पार्टी के हों, उन्होंने ही सरकारी कर्मचारियों को बरगलाया और उन्होंने ही उन्हें गलत रास्ते बताये और जब समय आया उनकी मांगों को पूरा करने का, उस कमीशन की सिपारिशों के ऊपर, तब आप उनको पूरा नहीं करते हैं। तो आप को उन सिपारिशों को मंजूर करना चाहिये।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उन्होंने पान दरीबा से राय ली और लाभ उठाया हमने।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

शान्त रहें।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

हमारे साथी जिन्हें गलत बयानी करने में कोई संकोच नहीं होता, सदन में भी और बाहर भी हैं, और ऐसे दल का नेतृत्व करते हैं जिससे बहुत से कार्यकर्ताओं को गुरेज नहीं होता है, गलत बयानी करने से। उन्हें इतना बता देना चाहता हूं कि पान दरीबा तो हमेशा खुले आम चर्चा करता है और आपकी, आपकी नीति की और दल और आप के सब नेताओं के कार्यों की चर्चा इन १० वर्षों में करता रहा है और मैं ही नहीं करता रहा हूं बल्कि आपके नेता भी मेरे भाषणों की प्रतिक्रिया की चर्चा करते रहे हैं। माननीय चरण सिंह के भाषण पढ़ लीजिये। तो न तो हमने निकम्मापन सीखा है कि सलाह कुछ दें और काम कुछ करें, यह तो आप ने ही सीखा है। जिन्होंने भाषण दिये, और कहा था कि पी० एन० सुकुल, लेनिन है और आप ने हम को यहां बनाया है। ये भाषण और नीतियां आपकी अखबारों में छपी हैं। तो ऐसा सी० बी० गुप्ता और उसके साथी नहीं करते हैं। हम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

उस वक्त भी चाहते थे कि प्रदेश में शान्तिमय ढंग से शासन का संचालन हो लेकिन आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिये उनको बरगलाते रहे, आप ने उनको गलत रास्ता सिखाया और गलत ढंग से काम करने की आवाज उठायी। इसलिये समय की मांग है कि यदि आप प्रदेश में शान्ति लाना चाहते हैं, साइकालाजीकल एटमासफीयर पैदा करना चाहते हैं तो जिन्हें आप ने बरगलाया, गलत रास्ता दिखाया, आपका कर्तव्य है कि उन्हें नष्ट करें, चौधरी साहब का कर्तव्य है, भले ही उन्होंने उन्हें बरगलाया न हो और वह उस वक्त भी सख्ती का रुख रखते थे उनके प्रति, हालांकि वह भी गलत था और उसे नहीं बरतना चाहिये था, कि इस सरकार के चलाने वाले पुराने व्यक्ति के नाते वह चीजों को सुलझावें। चाहे बनारसी दास रहे हों, चाहे चरण सिंह जी रहे हों हम सबका कर्तव्य था कि उस मसले को सुलझाते और उन ढंगों को प्रोत्साहन न दें जिन ढंगों को प्रोत्साहन आज विभिन्न दलों के नेतागण देते रहे हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस बजट में उस समस्या का भी समाधान नहीं किया गया है, उसका समाधान होना चाहिये और जब तक उस समस्या का समाधान नहीं होगा, जेलखाने में लोगों को भेजने से, उसमें स्थिति हल्की होने वाली नहीं है। हम सब जेलखानों में रहे हैं और वहां रहने के बाद क्या स्थितियां हमारे बीच में पैदा होती हैं और बाद में उत्पन्न होती हैं वे सब हमने देखी हैं। इसलिए उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। कर्मचारियों का कर्त्तव्य है कि वे उन तौर-तरीकों को न अपनायें जिनको उन्होंने गलतफहमियों के अन्तर्गत सीखा है, जिनसे वे प्रदेश को गलत रास्ते पर ले जाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिनसे उन्होंने प्रदेश का, सरकार का तथा अपना नुकसान किया है और उन परम्पराओं का नुकसान किया है जिनको बनाने की हमने इस प्रदेश में चेष्टा की है। इसलिए वह उन ढंगों को छोड़ें। महज जेलों में भेज कर यह सरकार समस्याओं का समधान नहीं कर सकती। समस्याओं का समाधान साइकालोजिकल ढंग से होना चाहिए। इतनी बड़ी ब्रिटिश सरकार को क्या अपने को बदलना नहीं पड़ा, अपने तौर तरीकों को बदलना नहीं पड़ा ? जो सरकार लाठी चार्ज करने में, गोली काण्ड करने में मजा लेती थी, उसे भी अपने तरीके बदलने पड़े। वही परिस्थिति हमारे बीच में नहीं आनी चाहिये। ये दल जो उन परिस्थितियों को लाने के लिए जिम्मेदार है और जो आज सरकार में बैठे हुए हैं समस्याओं का समाधान इस प्रकार से करें जिससे समस्यायें सुलझें और उस तरह से न बढ़ें जिस तरह से इस प्रकार बढ़ रही हैं। हम आज विरोधी दल में हैं लेकिन हमने उन को कोई बढ़ावा नहीं दिया, हम ने उन को वह तरीके बरतने को नहीं कहा है जिनको आपने बरतने को पिछली सरकार के समय कहा था और जिससे प्रदेश का वातावरण दूषित हुआ था।

एक बात इस बजट को पढ़ने से यह विदित होती है कि प्लान्ड इकोनामी किस तरह से चले उसका दिग्दर्शन इसमें देखने को नहीं मिलता। ऐसा इस कारण विदित होता है जब मैं बजट साहित्य पढ़ता हूं तो यह देखने को मिलता है कि अमुक जगह तोड़ दी जायगी, अमुक विभाग तोड़ दिया जायगा, अमुक व्यक्ति नहीं रहेंगे। प्लान्ड एकोनामी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्प्लायमेंट देने के लिए सरकार लोगों को आमन्त्रित करती है और प्लान्ड इकोनामी के मानी यही हैं कि हम अपनी योजनाओं को इस तरह से संचालित करें जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति रोजगार में लग सकें। प्लान्ड इकानोमी के यह मानी नहीं हैं जिन को आज एक सरकार रोजगार में लगाये हुए है कल दूसरी सरकार आये तो जो १५, १८ साल से नौकरी में थे, उन को वह निकाल दे। आज देखने व सुनने में आ रहा है कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जो महिलायें रखी गयी थीं, एक प्लान्ड एकोनामी के तहत, उनको निकाला जा रहा है। जो स्त्रियां आज कार्य कर रही हैं, कार्य करके अपने बाल बच्चों का पालन पोषण कर रही हैं, घर की व्यवस्था में सहयोग देती हैं उन को निकाला जा रहा है। आज यह नहीं हो सकता इस आर्थिक संकट के समय में केवल मर्द ही कमाता रहे। हो सकता है कि चौधरी साहब के दिमाग में पुराने जमाने के दकियानूसी विचार कार्य कर रहे हों कि औरतें घरों में रोटियां बनायें, लेकिन जो कार्य कर के अपने बच्चों को पाल रही हैं और समाज के उत्थान

में लगी हुई हैं, क्या हमारा यह कर्त्तव्य है कि हम उन को नौकरी से अलग कर दें ? आखिर आप खेती बढ़ाना चाहते हैं। उनका कार्य भी देहात में खेती से जोड़ दिया गया था। यदि नहीं जोड़ा गया था तो जोड़ा जा सकता है। फिर क्यों उन को नौकरियों से हटा दिया जाय ? क्यों उनका विभाग तोड़ दिया जाय ? आज जमाना बदला हुआ है। स्त्री भी पैसा कमाती है और मर्द भी पैसा कमाता है। तब अपने बाल बच्चों के रहन सहन की व्यवस्था कर पाता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि प्लान्ड एकोनामी का तकाजा यह है कि हम इस प्रदेश में अधिक से अधिक व्यक्तियों को रोजगार में लगायें। ऐसा बताया गया था कि इस जमाने में करीब १५ लाख व्यक्ति बेरोजगार हैं इस प्रदेश में और थोड़े दिन हुये जब आंकड़ा आया था कि २० लाख व्यक्ति बेकार हैं। तो जब नौकरियां कम होती रहेंगी तो लोग रोजगार कहां से पायेंगे ?

यही नहीं, इस बजट से यह भी विदित हुआ कि सोशल सर्विसेज में साढ़े १२ पर सेंट से ज्यादा रुपया खर्च नहीं करेंगे। टेकनिकल एजुकेशन में जो खर्च हो रहा है उस को ठोस बनाने की आवश्यकता है। मुझे मालूम है डाक्टर सीताराम ने बड़ा प्रयास किया था पिछले वर्ष जब टेकनिकल बोर्ड की मीटिंग हुई थी कि एक टेकनिकल कालेज लखनऊ में खुल जाय जैसे कि कई जगह और खुला है, इलाहाबाद में है, गोरखपुर में है। यहां लखनऊ में ३०-३५ साल से बड़े बड़े ओवरसियर्स की शिक्षा के स्कूल काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ने बजट में पढ़ा कि हमारे शिक्षा मन्त्री ने उसको बजट में रखा नहीं इस नीति के अन्दर कि हम साढ़े १२ परसेंट से ज्यादा पैसा नहीं खर्च करेंगे। कौन कहता है कि सोशल सर्विसेज अनप्रोडक्टिव हैं ? सोशल सर्विसेज से हमें वह व्यक्ति मिलते हैं जो समाज का संचालन करते हैं, जो विभिन्न संस्थानों में जा कर काम करते हैं और जो समाज की सेवा करते हैं। तो आज सोशल सर्विसेज के अन्तर्गत कोई कहे कि एजुकेशन ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि वह प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि हम किन्हीं को नौकरियां नहीं दे पाते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि यह दृष्टिकोण बहुत अदूरदर्शिता का नहीं है। प्लान्ड एकोनामी में हम ऐसे लोग पैदा करते हैं जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। कहां तो पया बढ़ना चाहिए टेकनिकल एजुकेशन के ऊपर, परन्तु इस बजट में उस दिशा में कोई कदम उठाया नहीं गया है। दो साल तक आप कोई नई चीज नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि आप सब वोट पाने के लिए कुछ चीजों में तो रुपया घटा देना चाहते हैं और अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए दम नहीं रखते हैं। यदि टैक्स की आवश्यकता है तो उस को लगाने की हिम्मत नहीं रखते हैं। इसलिए आप उस क्षेत्र को भी बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यह बात गलत है। यह समाज में उन तत्वों को पैदा करने वाला नहीं है, जो समाज के रचयिता होंगे। इसलिए यह विचार कि सोशल सर्विसेज अनप्रोडक्टिव हैं इसलिए इनके ऊपर पसा खर्च नहीं करना चाहिये, यह बात न तो सही है और न मैं सही समझता हूं और न कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस को सही मानेगा। इस लिए यह मेरा कथन है कि इस बजट में यह भारी कमी है। आज इस बात की भी आवश्यकता है कि आज प्रत्येक को समान अवसर देने के लिए हम समाज के अन्दर उस व्यवस्था को जल्द से जल्द लायें जिस से असमानता हमारे बीच से हटे। असमानता आज भी समाज में है, वह अभी हटी नहीं है। तो उसे हटाने के लिए क्या इस बात की आवश्यकता नहीं है कि हम उस ओर कदम उठायें। आज हम केवल खेती पर ही ध्यान देना चाहते हैं।

खेती पर अवश्य ध्यान देना है, वह एक मुख्य चीज है। लेकिन हमें छोटे-छोटे उद्योग-धन्धों की तरफ भी ध्यान देना है।

क्या इस बजट में छोटे-छोटे उद्योग धंधों की तरफ अधिक ध्यान दिया गया है ? क्या उनके लिए इस बजट में अधिक धनराशि रखी गयी है ? उद्योग धंधों से हम खेती में भी मदद देंगे और खेती की जो उपज है उस की मदद से लोगों की आमदनी को भी बढ़ा सकेंगे और लोगों के स्तर को ऊंचा करने में मदद पहुंचावेंगे। यह बजट उस दशा में उतना प्रगतिशील नहीं

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है जितना कि उसे प्रगतिशील बनना चाहिए । आज आवश्यकता इस बात की है कि उस दिशा में अधिक तेजी से कदम उठाना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं हुआ है । हां, इस बजट के अन्तर्गत यह जरूर देखने को मिलता है कि आनरेरी मैजिस्ट्रेटों को हटा दिया गया है और किंग जार्ज मेडिकल कालज का राष्ट्रीयकरण होने वाला है । मैं नहीं जानता कि किंग जार्ज मेडिकल कालेज जो ५० सालों से विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्य कर रहा है उसे सरकार क्यों अपने कब्जे में लेना चाहती है ? यदि उस में कहीं कोई गलती है, कहीं भूलें हैं तो उन कमियों और भूलों को सुधारने के लिए सरकार के पास कानून के अन्तर्गत बहुत से अधिकार हैं । परन्तु एक संस्था जो पचासों साल से अनुसंधान की दिशा में एक बड़ा कार्य कर रही है, उन चार मेडिकल कालेजों के साथ जो सरकार के कब्जे में हैं, उन के साथ उसे क्यों बांधना चाहती है ? मैं नहीं समझता कि यह कहां की बुद्धिमत्ता है । इस संस्था ने अपने यहां से ऐसे विद्यार्थी उत्पन्न किये हैं जो देश के कई मेडिकल कालेजों में प्रोफेसर, रीडर, लेक्चरार और अन्य आफिसर के पदों पर कार्य कर रहे हैं। पिछले सालों में भी यह प्रश्न मेरे सामने उठा था तो मैंने सम्बन्धित विभाग के मन्त्री से कहा था कि यह अदूरदर्शितापूर्ण कदम होगा और गलत कदम होगा, उसे उठाना ठीक नहीं है । इस मेडिकल कालेज ने ऐसे व्यक्ति उत्पन्न किये हैं जो जगह-जगह अनुसंधान का कार्य कर रहे हैं । इसके लिए आप यह कर सकते हैं कि जैसे चंडीगढ़ के मेडिकल इन्स्टीट्यूट और आल इन्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द है वही बन्धन आप यहां भी लगा देते कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते और इसके लिए आप की तनख्वाह में इतनी बढ़ौत्तरी हो जायगी । मुझे तो यह देख कर ताज्जुब होता है कि वे ही नेता लोग जो पहले बराबर युनिवर्सिटी आटोनोमी की बात करते थे वे ही लोग अपनी सरकार बनने पर युनिवर्सिटी आटोनामी पर प्रहार कर रहे हैं । हमारे माननीय साथी जो विश्वविद्यालय के अन्दर बड़े ही शैतान विद्यार्थी रहे और हमेशा युनिवर्सिटी के अन्दर युनिवर्सिटी आटोनामी की बात करते रहे, आज अपनी सरकार बनने पर किंग जार्ज मेडिकल कालेज को सरकार के कब्जे में लेने की बात करते हैं । आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों ? उन्हें कुछ सन्तुलन तो रखना चाहिए । ऐसी चीज करने से क्या फायदा, जो प्रदेश के हित में न हो, जो मेडिकल साइंस के हित में न हो और प्रदेश के मेडिकल कालेजों में जो शिक्षा दी जा रही है उसके हित में न हो ?

मैं भी ऐसा मानता हूं कि कुछ डाक्टर्स हैं जो अपना पूरा समय मेडिकल कालेज में नहीं देते हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वहां पर बहुत से ऐसे ख्याति प्राप्त योग्य डाक्टर हैं जो मेडिकल कालेज की सेवा में ही अपना पूरा समय देते हैं । इसके लिए आप मेडिकल कालेजों में चन्डीगढ़ और दिल्ली वाली संस्था की तरह ही बन्धन लगा सकते हैं कि उन को प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ देनी चाहिए और उस के लिए उन की तनख्वाह कुछ बढ़ा देनी चाहिए । लेकिन मेडिकल कालेज को सरकार द्वारा अपने कब्जे में लेने के कदम का मैं विरोध करता हूं और मैं आशा करता हूं कि हमारे और साथीगण भी उसका विरोध करेंगे । भले ही इस से कुछ व्यक्तियों को नाराजगी हो, लेकिन अन्त में इस से प्रदेश का भला होगा । आज तो हालत यह है कि मेडिकल कालेज व अस्पतालों तक में हर काम पर्चे के बिना पर होता है और पर्चे-बाजी तो इतना बढ़ गयी है कि केवल मन्त्री ही नहीं करते हैं बल्कि जिन दलों के मन्त्री यहां पर मौजूद हैं उन के कार्यकर्त्तागण प्रदेश में जगह जगह इस तरह की कार्यवाही कर रहे हैं जिस के कारण डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और अधिकारीगण परेशान हैं । परेशानी यह है कि ६ दल हैं और उन के कार्यकर्त्ता अपनी-अपनी बातें रखते हैं । यह वातावरण सारे प्रदेश में फैला हुआ है ।

इस बजट में गल्ले के सिलसिले में आप जो करने जा रहे हैं, ठीक है, कीजिये अच्छी चीज है । लेकिन ऐसा आभास मत होने दीजिये कि यह जो हमारी स्टेट है यह एक पुलिस स्टेट है । ऐसा भी कीजिये कि इस में प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रतापूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकता हो, चाहे वह नागरिक हो या सरकारी कर्मचारी हो, उसे डराइये नहीं, धमकाइये नहीं । आज

जगह-जगह छापे मारे जाते हैं, दफ्तरों में छापे मारे जाते हैं, रात के १२ बजे छापे मारे जाते हैं, अगर कोई व्यक्ति चोर है, बेईमान है तो आप कानूनी अधिकारों का प्रयोग कीजिये। मन्त्री कहां दौड़ा फिरता है? क्या मन्त्री रजिस्टर देखा करता है? आज क्या हो रहा है, कोआपरेटिव, शिक्षा आदि विभागों में मन्त्री दौड़े फिरते हैं। जनता ने इन को मन्त्री इस लिए नहीं बनाया है। इस लिए इन को मन्त्री बनाया है कि यह लोग 'पालिसी बनायें और उन विषयों को अध्ययन करें जिन से प्रदेश की समस्यायें सुलझ सकें और उनका समाधान हो सके। चौधरी साहब ने भी इनको छूट दे रखी है, शायद कुछ मतलब से दे रखी होगी कि ये लोग सारे प्रदेश में घूमे फिरें और हाहाकार का वातावरण बना दें। यदि ये लोग प्रदेश में इस तरह का वातावरण बनायेंगे और इस तरह से दौड़ते फिरेंगे कि तो यह इन को बहुत दिन जीवित नहीं रख सकता है और न किसी दल को शक्ति दे सकता है।

जनता के सामने सारी बातें आयेंगी। इस लिए झूठी बातों का प्रचार करना ठीक नहीं है। इन के नेतागण इस तरह का प्रचार करते फिरते हैं। एक इनके नेता हैं नाना फड़नवीस। वह प्रचार करते हैं कि गुप्ता जी का मूवमेंट इस गवर्नमेंट को गिराने का है। हम स्पष्ट कहते हैं कि अगर हम इस सरकार को गिरायेंगे तो खुले आम गिरायेंगे। हम कोई भागते नहीं हैं, हम इतनी ताकत रखते हैं। हम भी वह हरकत कर सकते थे जो आप के साथियों ने पंजाब में की। लेकिन हम ने जब समझ लिया कि हमारा बहुमत नहीं है तो हम ने सरकार छोड़ दी। जब हमारा बहुमत होगा, तो हम जरूर इनको खिसकाने के लिए प्रस्ताव लायेंगे। लेकिन हम आप को पूरा मौका देना चाहते हैं। आप लोग अपनी हरकतें कर लीजिये। अगर आप अच्छी बातें करेंगे तो जनता आप से प्रभावित होगी। हम बेवकूफ नहीं हैं जो इस स्थिति में जनता के सामने जायें, जो नाराज है। हम इतनी बुद्धिमत्ता रखते हैं। हम भी जनता को प्रभावित कर सकते हैं। जब हम आपके सामने आयेंगे, तो हम खुलकर आयेंगे और आप को दावत भी देंगे कि आइये। फिर हम आप से जो राजनीतिक कुश्ती होती है उस को लड़ेंगे। हम धोखाधड़ी की बात करने वाले नहीं हैं। लेकिन कुछ दलों में यह सिखाया जाता है जिसका आज परिचय दिया है। हम लड़ाई लड़ते हैं, खुले आम लड़ते हैं और लड़ी हैं।

आप को कुछ अच्छी बातें बता रहा हूं। (व्यवधान)। थैलियां ऐसे मिलती हैं। जैसे चौधरी चरणसिंह और गोलवाल्कर जी को मिलती हैं। थैलियां हमें इस लिए मिलती हैं कि ५० साल से हम ने जनता की सेवा की है। थैलियां मिलती हैं, प्रेम से, मोहब्बत से, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से, ईमानदारी से उसके सार्वजनिक कार्यों के लिये तथा संस्थाओं के लिये थैलियां उसको नहीं मिलती हैं जो बेईमानी करता है, थैलियां उस को नहीं मिलती हैं जो पैसे को अपने काम में इस्तेमाल करता है और जो अनर्गल बातें करता है। मेरे नौजवान दोस्त बहुत बेचैन हो रहे हैं। मैं उनकी बेचैनी को बहुत बढ़ाना नहीं चाहता हूं। केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो बजट वित्त मन्त्री जी ने पेश किया है और ऐसे वित्त मन्त्री ने जिनसे बहुत आशा थी कि वह दूरदर्शिता का परिचय देंगे और इस बजट में अपने विचारों के अनुकूल कुछ ऐसी बातें लायेंगे जिस से समाजवादी दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ें, वह निर्जीव है, जो अस्थिरता लाने वाला बजट है। स्टैबिलिटी को बिगाड़ने वाला बजट है, सोशल जस्टिस का विरोधी बजट है और जो इन दिशाओं में हमें नहीं ले जा रहा है जिस दिशा में चल कर देश की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में हमें शक्ति प्रदान करे, मुझे आशा और विश्वास है कि इस सदन के सदस्यगण, जो बातें मैंने सदन के सामने रखी हैं, बहुत आंकड़ों में नहीं गया हूं। मैंने मोटी-मोटी बातें प्रस्तुत की हैं इस आशा और विश्वास के साथ कि यदि उन बातों में कुछ तथ्य हैं तो उन पर इस सरकार द्वारा पुनः विचार करने के लिये नया वातावरण पैदा करेंगे।

कृषि उपमन्त्री (श्री महीलाल)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय नेता विरोधी दल के भाषण को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। न केवल सुना बल्कि यह प्रयत्न किया कि वह मेरे बुजुर्ग हैं उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक

[श्री महीलाल]

जीवन में उनका एक स्थान रहा है, उन के अनुभव से कोई नयी बात और सीखने को मिले। मान्यवर, इस में कोई सन्देह नहीं कि इस माननीय सदन का जैसा वातावरण सुबह से बना था उस को शान्त करने में नेता विरोधी दल के वक्तव्य ने एक अच्छा काम किया और माननीय सदस्यों का इस दिशा में मार्ग प्रदर्शन किया कि हमें जनतन्त्र में एक दूसरे के विरोधी विचारों को सहन करने के लिए किस तरह से काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि न केवल इधर ही बैठनेवाले बल्कि नेता विरोधी दल के पीछे जो लोग बैठते हैं वह भी विशेषरूप से उनके नेतृत्व में रह कर उनका अनुकरण करेंगे व अनुसरण करते रहेंगे। मुझे तो आशा यह थी कि नेता विरोधी दल ने अपने भाषण में जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह के वाक्यों का प्रयोग किया है और जिस प्रकार से व्यक्ति विशेष के आक्षेपों को दूर करते हुये अपना भाषण दिया है वैसे ही मेरे इधर के भाई और उधर के साथी भी उसी का अनुकरण करते रहेंगे। लेकिन मेरी यह बात भी उधर के बैठने वालों को अच्छी नहीं लगी और विरोधी सदस्यों ने मेरे भाषण के बीच में कुछ न कुछ कहना शुरू किया। यदि आप मेरी बात सुनना नहीं पसन्द करते हैं तो भी कम से कम अपने नेता की बात सुनिये और उसने अपने भाषण में जो कुछ कहा है उसका अनुकरण करते हुए मेरी बात शान्ति से सुनिये।

माननीय नेता विरोधी दल ने कुछ क्रान्तिकारी काम उठाने के बारे में अभाव का प्रश्न उठाया है। मान्यवर, मेरा ऐसा विश्वास है कि जनतन्त्र में शासन का काम न केवल एक शान्तिमय ढंग से समाज को चलाना ही होता है बल्कि समाज को एक नया मोड़ देना भी उसका मख्य कार्य रहता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम अपने इस विरोधी दल के पिछले शासन को इस कसौटी पर कस कर देखें तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि इस सिलसिले में यानी समाज को एक नया मोड़ देने की दिशा में २० साल में कोई विशेष काम नहीं किया गया। क्रान्ति का जहां तक सवाल नेता विरोधी दल ने उठाया, यदि उस क्रान्ति से उनका तात्पर्य आर्थिक क्रान्ति से था तो जब अपने २० साल के कार्य को देखें तो स्वयं इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि २० साल में कोई ऐसा क्रान्तिकारी परिवर्तन माननीय नेता विरोधी दल ने जिनका प्रदेश में एक मुख्य स्थान रहा है, करके नहीं दिखाया है। उदाहरण के लिए, हम समाज को और खास कर अपने प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अपने सामने रखें तो हम यह देखेंगे और वह भी देखेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में कितना क्रान्तिकारी काम उन्होंने किया है। जो एक हजार से ऊपर की आय वाले हैं उन की आय में जो वृद्धि हुई है वह कितनी है और एक हजार से कम आय वाले जो हैं उन की आमदनी कितने प्रतिशत बढ़ी है---इस की हम तुलना करें। टोटल लगाकर देखें तो मालूम होगा कि कितने कम प्रतिशत की प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। यह उनके शासन का हाल है जो समाजवादी रहे हैं और अपने को जन्मजात समाजवादी कहते हैं और उसका नारा लगाते हैं। उन के शासन में मालदार दिन पर दिन मालदार हुए हैं और गरीब निरन्तर दरिद्र हुए हैं। जो हमारा आर्थिक ढांचा है अगर हम उसका अच्छी तरह से विश्लेषण करें तो न केवल मैं, बल्कि वे भी और प्रदेश के बड़े से बड़े अर्थशास्त्री भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि २० साल के शासन में इस व्यवस्था में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं हुआ है।

इस के अतिरिक्त अब हम जब सामाजिक क्रान्ति की ओर देखते हैं, तो क्या पाते हैं। मैं यह मान कर चलता हूं कि संविधान की उस धारा में विरोधी दल के लोग पूर्णतया विश्वास रखते हैं जिन के द्वारा हमें वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज की रचना करने का निर्देश मिला है। इस दृष्टि से वे देखें उन्होंने पिछले २० वर्ष में जातीयता को कितना ज्यादा बढ़ावा दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नहीं अनेक, केवल जाति ही नहीं उपजातीयता के नाम पर अनक शिक्षा संस्थाओं को जन्म दिया गया है, यही नहीं उनको मान्यता दी गयी है, उन को प्रश्रय दिया गया है जिस से समाज में क्रान्ति आना तो दूर रहा वरन् समाज पीछे गया है। इन सब पिछली बातों को भूलकर केवल १ अप्रैल, ६७ को बनने वाले शासन से यदि वे यह आशा

करें कि जितना काम उन्होंने २० साल में नहीं किया वह यह सरकार २० दिन में पूरा कर दे तो मैं समझता हूं, कि वह इस शासन के साथ ज्यादती कर रहे हैं और जनता के साथ भी जिसके बहुमत के आधार पर इस शासन का गठन हुआ है।

दूसरा निवेदन, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय नेता विरोधी दल के अनुगामियों से करना चाहूंगा कि यह बढ़ता हुआ वर्गभेद और जातीयता किसकी देन है। इसका प्रयत्क्ष प्रमाण है कि आपने अपने पिछले २० वर्षों के शासन काल में न केवल जातीयता को समाप्त करने की कोशिश ही नहीं की बल्कि उसको बढ़ाया है। वर्गविभेद भी बराबर बढ़ा है। मालवारों की संख्या बराबर बढ़ती चली गयी। औद्योगिक क्षेत्र में जो श्रेणियां बन गयी हैं उनमें बहुत बड़ा अन्तर है। मैं निवेदन करूंगा कि अप्रैल से लेकर अब तक इस शासन ने समाजीकरण और औद्योगीकरण के लिये जो कदम उठाये हैं क्या उसे पर्याप्त नहीं समझते। उदाहरण के लिये जब यह शासन आया तो एक सप्ताह के अन्दर उसने घोषणा कर दी और यह निर्देश दे दिया कि वे शिक्षा संस्थायें जो जाति विशेष के नाम पर बनी हुई है अगर उन नामों को नहीं हटाया गया तो यह शासन उनकी मान्यता को छीन लेगी और शासन से उनको कोई सहयोग नहीं मिलेगा। क्या यह सामाजिक क्रान्ति का कदम नहीं है।

दूसरा क्रान्तिकारी कदम मैं निवेदन करना चाहता हूं प्रोक्योरमेन्ट लेवी का है। जहां तक प्रोक्योरमेन्ट का संबंध है कांग्रेस शासन काल में भी हुई।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

कब हुई, जरा बता दें।

श्री महीलाल—

सन् १९४९ में। बहुगुणा जी मुझे बहकाना चाहते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि ऐसा प्रयास न करें। क्या यह क्रान्तिकारी कदम नहीं है कि ८ एकड़ तक वाले किसानों को लेवी से मुक्त कर दिया और इसलिये किया क्योंकि अनुमान यह था कि उसके पास केवल उसके परिवार वालों के लिये अनाज होगा। नेता विरोधी दल जी इसको क्रान्तिकारी कदम नहीं समझते। जो दे सकते थे उनसे लिया और जो नहीं दे सकते थे उनको मुक्त कर दिया। लेकिन फिर भी गरीब को, छोटे किसान को जिसके पास अनाज नहीं था तंग करना मुनासिब नहीं समझा गया। उसके फलस्वरूप केवल ७ परसेन्ट किसान ऐसे रहे जो लेवी से प्रभावित हुए जिसके लिये माननीय नेता विरोधी दल के नेतृत्व में विश्वास रखने वाली जिला कांग्रेस कमेटियों ने लिखित विद्रोह किया है। अब अगर इसको भी वे क्रान्तिकारी कदम नहीं समझते तो मैं समझता हूं कि वे इस छोटे सी अवकाश वाली सरकार के साथ ज्यादती करेंगे।

अब मंत्रियों और उप-मंत्रियों के भ्रमण की बात उठायी गयी और उसके लिये अशोभनीय, निन्दनीय और क्या-क्या शब्द कहे गये। मान्यवर, मई और जून के महीने जिसमें गर्मी और लू को सहन नहीं किया जा सकता जिसको माननीय नेता विरोधी दल और उनके दल के मंत्री नैनीताल में रहकर बिताया करते थे अगर मंत्रियों और उप मंत्रियों ने उस लू में, गर्मी में किसानों के, मजदूरों और साधारण जनता के बीच बैठकर काटा है तो कौन सा बड़ा अपराध किया है। यह अच्छा भी बुरे में शामिल है? मैं आशा करता था कि उसके लिये माननीय नेता विरोधी दल मंत्रिमंडल के सदस्यों को बधाई देते कि आपने परिश्रम किया। नेता विरोधी दल का लम्बा तजुर्बा है और जन सेवा में सारा जीवन बीता है। उन नये लोगों को जो शासन में आये हैं कुछ और सिखाते लेकिन वह हमारे भ्रमण पर एतराज करते हैं। अपने शासन काल में कांग्रेस के मंत्री अपना जीवन नैनीताल में बिताते थे। दूसरी तरफ यह है कि जो आज शासन में बैठते हैं वे गांवों में दूर-दूर गये हैं और कच्चे रास्ते से गये हैं। जहां पर कोई सवारी

[श्री महीलाल]

नहीं जा सकती थी, वहां पर उन गांव वालों से तकलीफ पूछने के लिये गये हैं। इसलिये नहीं गये हैं कि हम मंत्री हैं बल्कि इसलिये गये हैं कि अपने प्रदेश को जनता जिस भ्रष्टाचार से हाहाकार कर रही थी, जिस हाहाकार से पीड़ित थी उसको किस तरह से कम किया जाय। अध्यक्ष महोदय कहते हुए दिल में बड़ा दुख होता है। कचेहरी में बैठा हुआ पेशकार यह कहता था कि देख लो कि गान्धी जी की फोटो लगी है। उनका आदेश है कि ५ रुपये से कम नहीं लेंगे। उस समय मैं शासन से संबंध रखता था, तो यह देखकर खून खौलता था कि किस तरह से इसको कम कराऊं। शिकायत करते थे तो कोई सुनने वाला नहीं था लेकिन आज हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है कि वे पेशकार कुछ मांग सकें.....

एक सदस्य—

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह घूस लेना बन्द हो गया है ?

श्री महीलाल—

मैं माननीय सदस्य को दावत देता हूं कि अगर कहीं कोई घूस लेता है या कोई घूस लेने का प्रयत्न करता है तो वह आप शासन की नोटिस में लायें और फिर देखे कि उसके खिलाफ कितनी जल्दी क्या कार्यवाही होती है। श्रीमन्, इतना प्रमाण देना ही काफी है कि भ्रष्टाचार रोकने के लिये जिन अधिकारियों के विरुद्ध इन्क्वायरी हुई, विजिलेन्स कमीशन ने रिपोर्टें दी, वह रिपोर्टें २, २।। साल तक अलमारी में बन्द पड़ी रही। उन रिपोर्टों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भ्रष्टाचार किस प्रकार से रुकता। हम दावा करते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के लिये इस शासन ने दण्ड की व्यवस्था की है और उनको पनिश करने का प्रयत्न किया है। जो ईमानदार व्यक्ति हैं उनकी कमर को थपथपाने का प्रयत्न किया है। उसके फलस्वरूप आप बाजार में साधारण से साधारण व्यक्ति से, गांव में छोटे-छोटे व्यक्ति से चलकर बात कीजिये। अगर वह यह कह दे कि कांग्रेस के २० साल की अपेक्षा इस सरकार के शासन में रिश्वत कम हुई है और लोग रिश्वत लेने से डरते हैं, घबराते हैं तो आप विश्वास कीजिये, नहीं तो इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं हर माननीय सदस्य से आपके द्वारा यह निवेदन करता हूं कि वह मैदान में आयें शासन के लोगों को इंगित करें कि फलां अधिकारी, या अमुक कर्मचारी रिश्वत लेता है तब फिर आप देखिये कि उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही होती है। विश्वास रखिये, ऐसे लोगो के विरुद्ध तुरन्त कार्यवाही की जायगी। फिर किसी मंत्री या उप मंत्री या विधायक का यह साहस नहीं होगा कि उसके लिये आकर सिफारिश करे। मुझे क्षमा किया जाय यह कहने के लिये कि आज यह सरकार ऊपर से ही भ्रष्टाचार को रोकना चाहती है। यदि ऊपर से ही भ्रष्टाचार होता है तो फिर वह रुक नहीं सकता है। पहले जमाने में कांग्रेस के शासन काल में भ्रष्टाचार की बढ़ोत्तरी हुई है। उसकी देन यह मंत्री और उप मंत्री महोदयों के कमरे थे और शासन के लोग थे। उदाहरण के लिये अनुशासनहीनता कहां तक और किस हद तक पहुंच गई थी और उसके लिये मंत्री कहां तक जिम्मेदार थे। एक चपरासी ने एक बी० डी० ओ० को मारा। डी० पी० ओ० ने चपरासी को सजा दी। यह जिला सुलतान पुर का किस्सा है लेकिन मंत्री महोदय के पास सिफारिश पहुंच गई।

(इस समय ३ बजकर २६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुए।)

और उस चपरासी को बहाल किया गया और उसी बी० डी० ओ० के पास रखा गया। मेरे जिले के एक डी० सी० ओ० पर एक व्यक्ति ने हमला किया। उसके लिये रपट दर्ज हुई। वह अधिकारी निहायत शरीफ था। उसके लिये मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। यहां से मंत्री का टेलिफोन पहुंच गया और वह मुकदमा वापस ले लिया गया। यह सब चीजें थी जो उस शासन में चल रहीं थीं और अब इस शासन में चल नहीं पायेंगी।

श्री रामायण राय---

मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं। अभी मुख्य मंत्री जी के सामने एल० आई० यू० का एक कॉंस्टेबिल प्रेस लाबी में घुसने की अनधिकार चेष्टा कर रहा था। उसके लिये आपने क्या किया ? आपकी है हिम्मत उसे दंडित करने की ?

श्री महीलाल---

अधिष्ठाता महोदय, मैं तो यह समझता था कि हमारे रामायण राय जी कोई ऐसी गोपनीय बात कहेंगे जिसे सुन कर मुझे प्रसन्नता होगी। यह तो एक ऐसी बात है कि जिसको अध्यक्ष महोदय ने स्वयं रोका है। आप का ख्याल तो उस की ओर बाद में गया है।

अधिष्ठाता महोदय, नेता विरोधी दल ने कुछ राजनैतिक दलों के संबंध में टीका की और उनकी बात का घुमा-फिरा कर यह अर्थ निकलता था---यदि मैं गलत अर्थ निकाल रहा होऊं तो मुझे वे क्षमा करेंगे और सही अर्थ बतलायेंगे कि मुख्य मंत्री बेबस हैं और इसलिये वे क्रान्तिकारी बजट नहीं बना पाये। माननीय वित्त मंत्री बेबस हैं कुछ प्रतिगामी और कुछ प्रतिक्रियावादी दलों के साथ वे बंधे हुए हैं इसलिये वे क्रान्तिकारी बजट नहीं बना पाये। श्रीमन्, मैंने तो उन्हीं से सीखा है कि जनतंत्र दूसरे दलों का, उनके विचारों का आदर कर के ही जनतंत्र आगे बढ़ता है और उस से ही जनतंत्र मजबूत होता है और यदि जनतंत्र में आस्था रखने वाला सामाजिक कार्यकर्त्ता या राजनैतिक नेता इस बात में विश्वास नहीं रखता है तो वह जनतंत्र प्रणाली का पोषक नहीं कहा जा सकता और न वह उसका उपासक है, बल्कि यदि हम कहें कि जनतंत्र को हानि पहुंचाता है तो कोई अपराध न होगा। उस कार्य के लिये माननीय नेता विरोधी दल को नेता सदन को बधाई देनी चाहिये थी कि उन्होंने एक आदर्श उपस्थित किया कि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को, एक दूसरे के प्रतिकूल सोचने वाले लोगों को एक साथ मिलाकर जनतंत्रीय शासन का काम चला रहे हैं। लेकिन नेता विरोधी दल वचन से भले ही इस बात में विश्वास रखते हों, वे मुझे क्षमा करें, वे अपने दल को भी अपने जीवन काल में एक साथ बांध कर रख नहीं पाये। आज का कॉंग्रेस दल जो पहले कभी एक था, जो एक साथ मिल कर लड़ता था, इस बीस साल में यह उनकी ही देन है कि वह दो टुकड़ों में बंट गया है और आज तो उन्हें इस बात के लिये नेता सदन को दुबारा बधाई देनी चाहिये थी कि न केवल उन्होंने विभिन्न दलों को अपने साथ इकट्ठा कर लिया, वरन् कांग्रेस दल को भी इकट्ठा कर दिया है और वह कॉंग्रेस दल आज अपने भेद-भाव भूल कर इकट्ठा यहां बैठ रहा है।

मेडिकल कालेज का प्रश्न उन्होंने उठाया। आप लोग यह देखेंगे कि उनके शासन काल में जो मेडिकल कालेज खुले हैं उनमें से एक को भी उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी के साथ नहीं बांधा है और उसके साथ ही वे यह चाहते हैं कि लखनऊ मेडिकल कालेज यहां की यूनिवर्सिटी के साथ बंधा रहे। आप जरा विचार तो करें अधिष्ठाता महोदय। मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से कहता हूं कि इस बात में तथ्य कहां हैं कि प्रदेश के दूसरे मेडिकल कालेज तो शासन के अधीन रहें, चाहे वह कानपुर में हों अथवा कहीं और, लेकिन लखनऊ का मेडिकल कालेज यूनिवर्सिटी के अधीन ही रहे मुझे क्षमा किया जाय, बात कहीं कड़वी न हो जाय और इसलिये मैं अपने को रोक रोक कर कहता हूं कि इसी लखनऊ मेडिकल कालेज में क्या विशेषता है जो आप इस बात की वकालत करते हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

एक व्यवस्था का प्रश्न है इस जनरल डिस्कशन के अवसर पर १०-१५ मिनट से अधिक समय किसी माननीय सदस्य को नहीं दिया जाता है। ये २० मिनट से ज्यादा बोल चुके हैं....

श्री अधिष्ठाता---

कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। अभी पहली स्पीच हो रही है, कोई समय निर्धारित नहीं किया गया। मैं पूछ रहा था तो कहा गया कि इनको तो रोकें नहीं, क्योंकि समय निर्धारित

[श्री अधिष्ठाता]

नहीं हुआ। अभी मैं उसको करने जा रहा हूं। तब तक आप अपना भाषण जारी रखें। २२ मिनट बोल चुके हैं, ८ मिनट और बोल लें आप।

श्री महीलाल---

अधिष्ठाता महोदय, जहां तक छटनी का प्रश्न है इस बात से इस प्रदेश का हर अर्थ-वेता सहमत है कि हमारे प्रदश की जनता अब नये टैक्सों का बोझ नहीं संभाल सकती और जो अब तक टैक्सों में कमी हुई है उसके अतिरिक्त और भी कमी टैक्सों में होनी चाहिए। नेता विरोधी दल ने भी इस बात की मांग की है कि १६ सूत्री कार्यक्रम में मालगुजारी की माफी की बात थी वह क्यों नहीं माफ की गयी। यानी उन्होंने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि जनता पर टैक्स कम होने चाहिए। इधर के सभी बैठने वाले भी स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्स बढ़ाये नहीं जा सकते। खाद्य के मामले में कम से कम प्रदेश को हमें स्वावलम्बी बनाना है। हम नहीं चाहते कि हमारा प्रदेश राष्ट्र पर या किसी दूसरे राज्य पर बोझ बने। इसलिये जरूरी हो गया है कि हम उन कृषि योजनाओं में ज्यादा रुपया लगायें और जो बढ़ती हुई मंहगाई है उसके कष्ट को दूर करने के लिये अपने सरकारी कर्मचारियों की भी आय में कुछ वृद्धि करें, और न केवल यही, बल्कि शासन से संबंधित जो दूसरे व्यय हैं उनमें भी मंहगाई की वजह से कुछ ज्यादा रुपया खर्च करना पड़ेगा। नतीजा यही निकला कि टैक्स बढ़ा नहीं सकते आमदनी कर नहीं सकते केवल एक मात्र छटनी ही है जिससे बचत की जाय। छटनी किसकी की जाय, कहां की जाय, यह प्रश्न रह जाता है। जब इस पर विचार करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिन विभागों को तोड़ने का इस सरकार का विचार है वह ऐसे हैं जो वर्तमान हमारे अन्न संकट के समय जब कि हम भूख से तड़प रहे हों, जब कि असंख्य लोगों को एक वक्त भोजन मिल रहा हो, सोशल वेलफेयर के लिये कुछ लोग रखे जायं और भूखों से टैक्स लेकर उनकी तनख्वाह दी जाय यह कहां तक उचित होगा? मद्य निषेध के लिये लोग रखे जायं और उनको ऐसे समय में जीप गाड़ियां दी जायं और पेट्रोल दिया जाय, यह कहां की बुद्धिमानी है? नेता विरोधी दल ने तो तर्क किया कि छटनी करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस संकट काल में इससे बड़ी बुद्धिमानी की बात हो नहीं सकती जब कि अन्न के मामले में युद्ध स्तर पर हमें लड़ाई लड़नी है। ऐसे ही सूचना विभाग की बात है कि सिवाय इसके कि मंत्री जी दौरे पर जायं और सूचना अधिकारी फोटो खिचवा दें और कोई कार्य नहीं है। और इसी तरीके से अनेक क्षेत्रों में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं कि जिनका रखना आज कल की स्थिति में आवश्यक नहीं है। इसलिये छटनी आवश्यक थी और इस ओर जो क्रान्तिकारी कदम शासन ने उठाया है उसकी सराहना होना चाहिये थी।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय गुप्ता जी ने शासन को बनाने व बिगाड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना बहुमत न देख कर तुरन्त इस्तीफा दे दिया। यह एक उन्होंने स्वस्थ परम्परा डाली। मगर जब उनका बहुमत होगा तो हम भी यहां नहीं बैठे रहेंगे, उधर आ जायेंगे। उन्होंने शासन को छोड़ा, मगर एक धौंस के साथ छोड़ा। उन्होंने कहा कि जब उनका बहुमत होगा तो वे फिर सरकार बनायेंगे। यह कहने की क्या बात थी। जब उनका बहुमत होगा, हम अपने आप उधर बैठ जायेंगे, कोई भी इन कुर्सियों से चिपका नहीं रहेगा, मगर आप अपना बहुमत तो बनाइये। माननीय बनारसीदास जी की तरह बहुमत बनाने की अगर आपने कोशिश की तो आपका स्वप्न पूरा हो चुका। (व्यवधान)

श्री बनारसीदास (जिला बुलन्दशहर)---

चूंकि मेरा नाम लिया है इसलिये मुझे स्पष्टीकरण का अवसर मिलना चाहिये। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह तो प्रत्यक्ष नमूना है और आपने देखा कि इस सदन की गरिमा

इससे कहां तक बढ़ी है ? अगर आपको अपने बहुमत पर विश्वास था तो चुनाव क्यों नहीं होने दिया ?

(व्यवधान)

*श्री मंगलाप्रसाद तिवारी (जिला इलाहाबाद)—

मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे मित्रों ने ने इस बजट को न पढ़ा है न समझा है, केवल अधिकारियों के बनाये हुए बजट को यहां प्रस्तुत कर दिया है। मैं यह कहने में चूकता नहीं कि इसमें फ्राड है। यह बजट नौकरशाही का बजट है। मेरे वह मित्र जो गाय की पूछ पकड़कर, जन संघ के टिकट पर यहां जीत कर आये, उन्होंने इस बजट में गाय की रक्षा के लिये, गो-पालन के नाम पर एक पैसा भी नहीं रखा। मैं सोच रहा था कि आज उनका मन भी कहीं मुर्गी के अन्डे खाने का तो नहीं है ? बरना वे कभी ऐसा न करते कि जिस गाय के नाम पर वे यहां आये उसके लिये एक पैसा भी बजट में न रखते। उनके मुंह में दूसरी बात है, काम दूसरा करते हैं। एक मेरे मित्र जो एस० एस० पी० के हैं उनका काम क्या है ? मजदूरों से चन्दा इकट्ठा करके वे अपना काम चलाते हैं, लेकिन अपनी सरकार बनाने पर ३० दिन के अन्दर ही उन्होंने कालागढ़ पर हमला कर दिया। उन मजदूरों की जिन्दगी को सम्भालने के लिये इस बजट में एक भी पैसा नहीं रखा गया है। हमारे सहकारिता मंत्री जी, जो पहले आर० एस० एस० में थे और आर ०एस० एस० के नेता थे, किसी जमाने में उन्होंने डाका मारना शुरू किया। उनको कोई अधिकार नहीं था कि वे जायं और कोआपरेटिव बाडी के कागजात आदि को पकड़ें। उनको तो यह भी पता नहीं था कि आडिट रिपोर्ट क्या होती है, बोर्ड क्या होता है, उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि सहकारिता में मेरा नाम कैसे बढे, तो उन्होंने कहा कि आडिट रिपोर्ट की कम्प्लायेन्स मांग लो और उस कम्प्लायेन्स के जरिये से चार छः बैंकों पर हमला कर दो। यह मैं जरूर कहूं कि पहिले-पहिले उन्होंने अपने हरदोई जिले में ही हमला किया जहां से उनको आशा नहीं थी कि एक बैन्क के डायरेक्टर भी चुनाव में लड़कर हो जाते। यह बड़े दुख की बात है कि जितना बजट हमारे सामने हैं उनमें भिन्न भिन्न मदें हैं और उसमें मैंने पहिले सहकारिता की बात कही।

दूसरी बात मैं राजस्व मंत्री जी से संबंधित कहना चाहता हूं कि अभी इस सेशन में मैं घर गय। मैंने देखा कि सरकार ने सारे अधिकार कलेक्टर को दे रक्खे हैं। क्लेक्टर क्या करता है। वह कहता है कि चाहे रुपया दे दो, चाहे गल्ला दे दो, चाहे रसीद दो या न दो। मुझे ख्याल है कि चायल तहसील के किसान आये और बारह बजे रात को डिप्टी साहिब आये।

(एक सदस्य के सदन के एक ओर से दूसरी ओर जाने पर)

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, इनकी न आपके प्रति आस्था है और न प्रजातन्त्र के प्रति आस्था है।

श्री अधिष्ठाता—

नये मेम्बर हैं।

श्री मंगलाप्रसाद तिवारी—

मैं आपका ध्यान माननीय ट्रेजरी बेन्चेज के सदस्यों की ओर ले जाना चाहता हूं। स्वास्थ्य मंत्री जी ने यह पढ़ा नहीं कि कितनी बीमारी हमारे सूबे में हैं कितनी बीमारों की जरूरतें हैं। उन्होंने सन् ६५–६६, ६६–६७ और ६७–६८ के बजट उठा लिये। कहीं थोड़ा सा अधिक कर दिया और कहीं थोड़ा घटा दिया और जितना बकाया था आप समझते हैं कि बकाया कभी पूंजी नहीं होती जब तक कि वह खर्च न हो जाय, वह उन्होंने आमदनी दिखा दी और बजट को पेश कर दिया और उन्होंने कह दिया कि हमने बजट को संतुलित कर दिया है और मुनाफे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मंगलाप्रसाद तिवारी]

का बजट बना दिया। हमारा ख्याल है कि इसके पीछे कोई पीटा-पिटाया सरकारी कर्मचारी था, उसने सलाम कर दिया और इन्होंने उसे वैसे ही मान लिया। ऐसा बजट इन्होंने रक्खा है। जिस प्रदेश में लगभग आठ करोड़ की जनता को दवाइयों की जरूरत हो हम नहीं समझ पाये कि मंत्री जी के दिमाग में यह बात आई भी हो। अब मैं माननीय गृह मंत्री जी की बात कहना चाहता हूं जो बनारस के रहने वाले हैं और हम भी बनारस के आसपास के रहने वाले हैं जब वहां हिन्दू मुसलमानों का झगड़ा हुआ तो इनका काम यह रहा कि एक तरफ बदअमनी फैदा करते हैं और फिर अपना काम चलाते हैं। हमारे पुलिस मंत्री जी ने भी वही कम्युनिस्टों वाला काम किया है। जब कि जनतंत्र में न हिन्दू का सवाल है और न मुसलमानों का सवाल है तब ताजिये के दिन क्यों मंत्री जी मौजूद थे और लोगों की लाशें बिछवाते रहे और लोगों के परिवारों को कोई मुआविजा नहीं दिया गया और न ही कोई जांच कराई गई। ये तो देखने में दूसरी ही बात और करने में दूसरी। अब मैं एक और मंत्री जी की बात कहूं कि उन्होंने क्या किया। वे मेरे क्षेत्र के सिराथू स्टेशन पर गये। मैं समझता हूं कि शायद वे डिप्टी मिनिस्टर साहब हैं। वहां के स्टेशन मास्टर को उन्होंने पूछा कि आपके यहां कितनी बेईमानी होती है। जब मुझे बताया गया तब मुझे आश्चर्य हुआ कि इन्हें सेन्टर और स्टेट सरकार के उत्तरदायित्वों का भी ज्ञान नहीं है। उन्हें यह भी पता नहीं कि यह उत्तर प्रदेश का विषय है या सैन्टर का। उनके साथ एक पिस्तौल और एक बन्दूक लिये था। उन्होंने कहा जानते नहीं हो कि चरण सिंह का जमाना है। मैं तब समझा कि ये प्रजातन्त्र की अर्जियां घूम घूम कर मिटा देंगे। यदि हम नियोजन मंत्री की ओर देखें तो कि कितने कुए खोदे, कितनी मशीनें लगीं तो इस बजट में वह भी सब नगण्य के बराबर है। अभी उस समय यह बात चल रही थी कि हमने कुएं साफ कराये अगर मैं पूछूं तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन कुओं में पानी सूख गया है उन कुओं को साफ करने के लिये नियोजन विभाग ने कितना पैसा उत्तर प्रदेश में खर्च किया है।

एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जो बद्रीनाथ टेम्पिल के मंत्री जी हैं वे जरूर वहां गये होंगे जो सब से ठंडा इलाका है क्योंकि जो मिनिस्टर होता है वह वहां आशीर्बाद लेने के लिए जाता है। नैनीताल की चर्चा मैं इसलिये नहीं करता कि अधिकार आ जाने के बाद लोग उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको मानते भी नहीं हैं।

शिक्षा मंत्री जी ने भी इधर हाथ दिखाये। मास्टरों को भड़का दिया कि तुम पढ़ाओ मत, मैं इम्तहानों को ही खत्म कर रहा हूं। न जाने अमेरिका की नकल की जा रही है अथवा रूस की की जा रही है। अब मास्टरों की छुट्टी है किसी को भी ५ रुपया लेकर पास कर सकते हैं। समझ में नहीं आता कि मंत्री जी उत्तर प्रदेश की जनता को किस प्रकार का शिक्षित बनाना चाहते हैं। माननीय वित्त मंत्री को यह चीजें बजट में लानी चाहिये थीं। सब से बड़ी समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। इस सरकार ने बनने से पहले १६ सूत्री कार्यक्रम तैयार किया और उसके बारे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश को शुद्ध कर देंगे। मैं प्रार्थना करूंगा कि उसको कार्यान्वित करके एवरेज मिडिल क्लास का कुछ भला करें। लेकिन अभी तक उस बारे में कुछ भी नहीं किया गया है। मुझे मालूम है कि डाक्टर लोहिया जब आये थे तो इन मंत्रियों की ओर से सरकारी मोटरों का और बंगलों का इस्तेमाल किया गया। एक भी ऐसी मिसाल नहीं है कि सरकारी खर्चे पर पार्टी के लिये खर्च न किया गया हो (एक आवाज ---आप गलत कह रहे हैं)। आपकी बारी आये तब आप उसका जवाब दे लीजिये। मेजा करछना तक सीलों में जो खर्चा किया गया है, वह ईमानदारी से नहीं किया गया है। मैं कहूंगा कि आज जो मंत्री बने हैं वे अपनी जायदाद को डिक्लेअर करें। आज विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि जिन लोगों के चेहरे सूखे थे मंत्री हो जाने के बाद उनके चेहरे मुलायम हुये हैं, कुछ चमके हैं। मंत्रियों की ओर से कांग्रेस

शासन को कुशासन कहा गया और मेरा खयाल है कि आपका दुःशासन होगा। क्योंकि आपके शासन में मुख्य मंत्री के बंगले पर उन औरतों को मारा गया जो अपनी रोजी रोटी के लिये चिल्ला रही थीं।

इसके अतिरिक्त मंहगाई चरम सीमा पर पहुंचा दी गयी है। लोग बहुत ज्यादा परेशान है। मैं हजरतगंज की उन चन्द दूकानों की बातें नहीं कहता जहां मंत्री बैठ कर पकवान खाते हैं। बड़ी दुहाई इस बात की दी गयी कि जनतंत्र केवल वही लोग चला सकते हैं, लेकिन यह जनतंत्र की मांग है कि आपकी तादाद ज्यादा हो तो आप गवर्नमेंट को चलायें और हमारे आदमी ज्यादा हों हम चलाये लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आपको खतरा नहीं था तो जनतंत्र के खिलाफ प्रातःकाल यह नंगा नाच क्यों दिखाया गया। खुल कर वोटिंग होने देते। अध्यक्ष महोदय, अब मैं और अधिक न कह कर अपने मित्रों का ध्यान दिलाऊंगा कि जो लोग पशुओं के मेले में लगवाते है और चार चार काम करते है और जो सेल्स टैक्स और सुपरटैक्स कुछ नहीं देते और सारा मुनाफा खा जाते हैं उनसे कर वसूल किया जाय और टैक्स लगाया जाय। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी इस बजट को वापस लें और अपने सब दलों को बुला कर इस पर पुनः विचार करें और देखे कि बजट में कौन रंग चढ़ा हुआ है और जनता का इससे भला होता है या नहीं। तभी जनता का कल्याण हो सकता है। मेरा अन्त में अनुरोध है कि यह सरकार इस बजट को वापस ले।

*श्री चन्द्रशेखर (जिला वाराणसी)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता विरोधी दल ने अपने २० साल के कांग्रेसी कुकर्मी शासन की तारीफ की और ढाई मास की पवित्र संयुक्त विधायक दल की जो पवित्र कार्यवाही है उसकी निन्दा की और अपना पूरा समय इसी में लगा दिया। मैं अपने मित्रों से कहूंगा कि जो जनतन्त्र की मान्यताओं और जनतंत्र की परम्पराओं की आस्था की दुहाई देते हैं तो आप जरा उन मान्यताओं और परम्पराओं के नाम पर सुनने की भी आदत डालें। २० वर्ष का कांग्रेसी शासन जिसके आप हामी रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे कि वह केवल एक राष्ट्रीय निर्लज्जा की, व्यापक कामचोरी की, दल विशेष के कुकर्मों की एक कहानी मात्र रह जाती है। दूसरी ओर अगर आप संयुक्त विधायक दल के कार्य को देखेंगे, ढाई मास में जो इस सरकार ने किये है तो आपको ऐसा लगेगा कि २० वर्ष में जो नहीं हुआ था उससे ज्यादा इस सरकार ने ७५ दिन में कर के दिखा दिया है। आपके लिये यह शर्म की बात होनी चाहिये थी। हम ने सबसे पहले आपके पोषक अन्धेरी मेजिस्ट्रेटों को खत्म किया जो यहां अन्धेर मचाये हुये थे। जो यहां व्यापक रूप से घूसखोरी और भ्रष्टाचार का राज चल रहा था उसको खत्म किया। भूमि भवन कर जिसको माफ करने की बात पर आप कहते थे कि माफ कर देंगे तो सरकार चलाने के लिये पैसा कहां से आयेगा, उस को हमने माफ किया। तीसरे हमने दस करोड़ रुपया मंहगाई भत्ते का राज्य कर्मचारियों को दिया जिन्होंने बराबर आपके शासन के सामने मांग रखी लेकिन कभी एक पैसा भी आप ने उनको नहीं दिया, हमने तो दस करोड़ दे भी दिया। माननीय नेता विरोधी दल में थोड़ा सा दर्द है और उसका कारण यह है कि सरकार ने अपने १९ सूत्री कार्यक्रम को लागू नहीं किया। मैं उनको बताना चाहता हूं कि उस कार्यक्रम के लिये हम संकल्पबद्ध हैं और उसे हम अवश्य लागू करेंगे और ढाई मास में हम उस दिशा में प्रगति के पथ पर बराबर बढ़े हैं। इससे आपको तकलीफ होती है जबकि कांग्रेस की सरकार २० साल में प्रदेश को ढकेल कर पीछे ले गई। मैं अपने लायक मित्रों से कहूंगा कि वह जरा अपनी आत्मा को टटोलें, दिल के बन्द दरवाजे को खोलें, अगर वह उसको बन्द रखेंगे तो जनतंत्र की स्वस्थ मर्यादाओं के साथ धोखा होगा। हमने दस करोड़ रुपया राज्य कर्मचारियों को दिया, यह जरूर है कि तीसरी चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को अधिक देना चाहिये था और प्रथम व दूसरी श्रेणी के लोगों को कुछ कम यह थोड़ी सी जरूर उसमें गड़बड़ी रही लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं दिया उनके मुकाबले में हम कहीं अच्छे साबित हुये थे। आप तो अपने बुरे कारनामों पर मिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्र शेखर]

मिट्ठू बनते हैं हम तो अपने अच्छे कृत्यों पर गर्वित हो रहे हैं तो इससे आप को तकलीफ क्यों है। नेता विरोधी दल ने शिकायत की और कहा कि ढाई मास के अपने कार्य काल में क्या किया ढाई महीने के हमारे कार्यकाल से उनको शिकायत रही कि १६ सूत्री कार्यक्रम लागू नहीं किया गया। मुझे भी एक शिकायत है कि जो ६४-६५ लाख की थैली नेता विरोधी दल को मिली उसके ऊपर इनक्वायरी क्यों नहीं बैठायी गयी। हम तो वह लोग हैं जो अपना से शिकायतें करते हैं लेकिन आप असत्य को छिपाने के लिये सत्य पर परदा डालते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो व्यापक कामचोरी की आदत आपने फैलायी, जो राष्ट्रीय लज्जा का सि सिला आपने शुरू किया, जो राष्ट्रीय अपमान की कहानी आपने शुरू की वह सिलसिला ढाई महीने में खत्म नहीं होगा, कुछ दिन लगेंगे। हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं ?

नेता विरोधी दल ने आरोप लगाया कि हमने कृषि को प्राथमिकता दी। मुझे शिकायत है कि सारी बातों के बाद मैं इधर के बैठने वाले लोगों से कहता कि आपको क्षमा कर दें, अगर आपने अन्न की समस्या को हल कर दिया होता। लेकिन जब रोटी का सवाल उठा तो कभी आपने गमले में पौधा उगाने की बात की, कभी आपने हफ्ते में एक वक्त न खाने की सलाह दी, कभी आपने कहा कि सप्ताह में एक दिन चावल न खाये। और माननीय गेंदा सिंह ने तो चूहे खाने की सलाह दी कि इससे समस्या अन्न की हल हो जायगी। अगर अन्न समस्या को हल करने के लिये यही सलाह कोई दूसरा दिये होता तो आप कहते कि उसको रांची भेजो। लेकिन चूंकि आपके एक बड़े आदमी ने कहा कि हफ्ते में एक वक्त खाना न खाओ इससे अन्न की समस्या हल होगी, इसको आप सही समझने लगे। कल को अगर कपड़े की कमी है और दिल्ली की सरकार कहे कि हफ्ते में एक दिन कपड़ा न पहनो तो उसको भी आप उचित ठहरायें। समस्याओं के साथ मजाक, पेट के साथ जो आपकी मजाक करने की आदत पड़ी हुई है वह करते चले जा रहे हैं। आपने कहा कि कृषि को प्राथमिकता क्यों दी। मैं कहता हूं कि कृषि भारत की रीढ़ है, आत्मा है। बिना खेती के इस प्रदेश तथा देश को बनाया नहीं जा सकता। आपने अनाज के मामले में जो २० वर्ष तक दिलचस्पी नहीं दिखाई उसके कारण हमारे आत्म-सम्मान को ठेस लगी। हम देश के सम्मान को बचाने के लिये किसानों को पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं ताकि देश की इज्जत और शान रहे।

दूसरा आरोप नेता विरोधी दल ने यह लगाया कि यह कई दलों की सरकार है। वह उन के लिये खुद सोचने की विषय है कि आप तो एक दल में रहते हुए लड़ते रहे और हम, कई एक दल में रह कर अपने प्रदेश का शासन सूत्र सम्हाल कर इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिये तत्पर हैं।

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को हमने भड़काया। पानदरीबा में बैठ कर के सरकारी कर्मचारियों के नेता को बुला करके खिलाना और सुचेता की अपनी सरकार को हटाने के लिये पापी कार्यवाही करना किसी भी जनतंत्र में खुद अपने लिये क्या शोभा की बात है ? यह काम नेता विरोधी दल ने किया, जिस की समस्त प्रदेश को जानकारी है।

(इस समय ४ बज कर ४ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

लेकिन आज वह कहते हैं कि हम कर्मचारियों को भड़काते है। हम तो कर्मचारियों को उनकी मांग देना चाहते हैं, उनकी मान्यता वापस देना चाहते हैं दूसरे उनका कहना था कि हम उन कर्मचारियों की कृपा से यहां बैठे हैं और आज उनकी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत धीरज के साथ कहना चाहता हूं कि आपने केवल ३२ प्रतिशत वोट पाये थे और १८ दिन तक तिकड़म व जाल बट्टा करके इधर बैठ गये थे। लेकिन ६८ प्रतिशत वोटों के हम प्रतिनिधि है और जनता चाहती थी कि हम इधर बैठें। आपकी तिकड़म व नगर सेठों की थैली ने जरूर हमको १८ दन उधर रखा लेकिन जनता के विश्वास ने हमको उधर से इधर ला दिया।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण दो तीन मिनट में समाप्त कर दें। इसके बाद मुझे और कुछ कार्य करना है।

श्री चन्द्र शेखर—

शिकायतें हैं कि जगह-जगह छापे मारे जाते हैं: जिन ब्लैक मार्केटियर्स से इस पार्टी को पैसा मिलता था आज उन पर छापे मारे जाते है तो दर्द होता है। आप तो आदी हैं उनके दर्द में शामिल हो जाइये। इस प्रदेश की जनता चाहती है कि ब्लैक मार्केटियर्स पर छापे मारे जायं और इस प्रदेश की जनता को वरद हस्त इधर के लोगों को प्राप्त है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

साहू जैन ने १ लाख रुपया डाक्टर लोहिया को दिया है और प्रभु नारायण सिंह ने दिलवाये हैं।

श्री चन्द्र शेखर—

सी० आई० ए० ने आपको कितना पैसा दिया है जिसकी अखबारों में चर्चा है। आप अपने गिरहबान में मुह डाल कर देखिये और अच्छा हो कि इस बात पर खुल कर बहस हो जाय ताकि बात साफ हो जाय।

श्री बनारसीदास—

डाक्टर लोहिया तथा जनसंघ को सी० आई० ए० ने तथा कम्युनिस्ट पार्टी को रूस तथा चीन ने पैसा दिया था।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला मिर्जापुर)—

टाटा और बिरला ने आपको कितना रुपया दिया है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात साफ कर दूं कि पार्लियामेंटरी पद्धति में इंटरप्शंस पर्मिटेड हैं हालांकि वे सीमित होने चाहिये लेकिन इंटरप्शंस का जबाव दूसरे लोग न दें और माननीय वक्ता जो बोल रहे हों उन्हीं के लिये वह होते हैं।

श्री अश्वनीकुमार चतुर्वेबेदी 'राकेश'—

यह बात माननीय बनारसी दास जी को भी समझा दीजिये क्योंकि वे पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं।

श्री अध्यक्ष—

आपको भी समझने की उतनी ही जरूरत है जितनी बनारसीदास जी को है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

लोक सभा में आपके प्रधान मंत्री पर आरोप लगाया गया कि हीरे के हार से ७ दाने चुरा लिये थे।

श्री चन्द्रशेखर—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज अपने प्रदेश की सरकार ने ९ लाख एकड़ जमीन को पानी देने का संकल्प इस साल किया है। एक तो होता है धन शक्ति के माध्यम से पानी देना और दूसरी तरफ मानव शक्ति के बल पर पानी की योजनाओं को ठीक से कार्यान्वित करना। और हमारा यह आरोप रहा है कि पिछली जो सरकार रही है उसकी कोई दिशा नहीं रही वह दिशा विहीन रही जिसके कारण किसी योजना को ठीक से कार्यावित्त नहीं कर सकी। हम लोग ९ लाख एकड़ जमीन को इस बजट के माध्यम से पानी देना चाहते है और फिर ८ करोड़

[श्री चन्द्रशेखर]

मानव की जो ताकत है उसको लगा कर सात वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश की समस्त जमीन को पानी देने का हमारा संकल्प है। पानी देने का हमने फैसला किया है, लेकिन इनको शिकायत है, बहुत सी अच्छी बातों की भी शिकायत है। हमारे एक मित्र बोलने खड़े हुये तो कालागढ़ का सवाल उठाया। कालागढ़ के अन्दर मजदूर लाठी लेकर खड़े थे और जब यह डर हुआ कि रामगंगा परियोजना को क्षति पहुंचाई जा सकती है तब पुलिस लाठी लेकर खड़ी हो गयी। आप जब तक लाठी के जबाव में गोली चलाते रहे तो वह आपके के लिये बहुत अच्छा था लेकिन लाठी के जबाब में हमारे निश्चित आदेश थे कि गोली न चलायी जाय और जितना कम से कम बल प्रयोग हो सका वह किया। और जो दूसरा तर्क दिया गया कि वहां बलत्कार की घटनायें घटी, तो बलात्कार कभी भीड़ में नहीं हुआ करता, वह अकेले में हुआ करता है, लेकिन शायद आपको भीड़ में करने की आदत है, मुझे मालूम नहीं। इसलिये माननीय सदस्य जो बात कहें वह जरा अपनी तरफ देख कर कहें।

अन्त में मैं मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि मालगुजारी माफ करने का जो हमारे १६ सूत्री प्रोग्राम में है उसको वरीयता दे कर मालगुजारी माफ करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं वाद विवाद को रोकते हुये आइटम ११ कार्य-स्थगन प्रस्ताव और आइटम १२ लूंगा।

प्रदेश की विषम खाद्य स्थिति तथा बढ़ती हुई कीमतों के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष—

मेरे पास एक कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय नेकराम शर्मा जी द्वारा आया है जो उत्तर प्रदेश में खाद्य स्थिति एवं बढ़ती हुई कीमतों के विषय में है। इस समय बजट पर वाद विवाद चल रहा है इसलिये मैंने इसको अस्वीकृत किया।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो आपकी रूलिंग होती है और आपका निर्णय होता है उसके प्रति पूर्ण आदर और सम्मान व्यक्त करते हुये भी मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आपने परसों भी एक निर्णय दिया था और आज भी आप निर्णय दे रहे है कि जब बजट सेशन हो रहा हो तो आप कार्य स्थगन प्रस्ताव या नियम ५१, ५२ के प्रस्ताव स्वीकार नहीं करना चाहते। इस बात को लेते हुये कि बजट के जनरल डिस्कशन में ये सब चीजे आ जायंगी, ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रूलिंग न तो आपके प्रोसीजर में है और न संविधान में है। यदि आप पार्लियामेंट को भी देखे तो वहां आजकल बजट सेशन चल रहा है लेकिन वहां रोज कार्य-स्थगन और ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ऐसे विषयों पर मन्जूर किये जा रहे हैं। जो विषय इतना नजदीक हो उसके बारे में कार्यवाही करना इतना आवश्यक हो जाता है कि पूरे बजट के डिस्कशन तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। माननीय नेक राम शर्मा जी का कार्य-स्थगन प्रस्ताव सुनने को तो नहीं मिला लेकिन अगर कहीं भुख-मरी हो, १००—५० आदमी खाने के बिना मर रहे हों या किसी खास विषय की तरफ सम्बन्धित माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना हो तो बजट के नाम पर सारे कार्य स्थगन प्रस्ताव को या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को आप समाप्त कर देंगे तो आपकी रूलिंग के प्रति आदर का भाव रखते हुए भी मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि इस बात को सोचने की प्रयास कीजिये वरना हम लोगों प्रति और आम जनता के प्रति बड़ा भारी अन्याय होगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने कहा कि जब बजट पर डिस्कशन होता है तो मेम्बरों को छूट होती है कि उस मौके पर जो चाहें कह दें यह बात सही है लेकिन जब कोई स्पष्ट विषय हम सदन के सामने लाते है तो उसका मतलब यह होता है कि सम्बन्धित मंत्री का ध्यान उधर आकृष्ट

करें और उनकी तरफ से उसका जवाब तुरन्त मिल जाय। मान्यवर, आप स्वयं जानते हैं कि जनरल बजट के मौके पर हर बात का जवाब देना मंत्री के लिये लाजिमी नहीं है, उसके लिये कोई पाबन्दी नहीं है कि वह हर बात का जवाब दे। इसलिये मैं समझता हूं कि इससे हर बात का समाधान नहीं होता, इसलिये मैं आपसे चाहता हूं कि जो आवश्यक विषय हो उसे आप अवश्य ले लिया करें। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, २२ तारीख को संसद की बैठक शुरू हुई और उस दिन मैं वहीं पर मौजूद था और मैंने देखा कि उसी दिन वहां पर कार्य–स्थगन प्रस्ताव पर बहस हुई। हमारे प्रदेश की खाद्य समस्या का जहां तक सम्बन्ध है वह दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आपने कहा परसों के दिन जबकि बजट पेश हुआ आपने भी काम रोको प्रस्ताव की आज्ञा दी। तो आज बाजार में चीनी ५ रूपये किलो मिल रही है और हर चीज की प्राइस दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनकी सीमा की तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि क्या हालत है। ऐसी हालत में अगर बजट डिबेट तक आप इस पर बहस का मौका नहीं देंगे तो इस तरह से इस सरकार को इतने दिनों की लाइफ दे देंगे। जो महत्वपूर्ण तथा अर्जेन्ट और समय के अनुकूल प्रश्न हैं उसके लिये आपको बहस करने का समय देना चाहिये क्योंकि यह सम्भव हो सकता है कि जो सदस्य किसी खास प्रश्न को सदन के सामने लावे उसे बजट के डिस्कशन में बोलने का मौका ही न मिल पावे। इसलिये जो एसेंशियल कार्य-स्थगन का प्रस्ताव हो उसको स्वीकार करके बहस का मौका सदन को दे देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

माननीय नवल किशोर जी व माननीय नेकराम शर्मा जी ने अभी जो बात कही उसका अपनी जगह पर महत्व और औचित्य दोनों हो सकता है। यह तो मैंने नहीं कहा कि मैं किसी भी दशा में बजट के दिनों में किसी ५१–५२ या नियम ५६ के प्रश्नों की इजाजत नहीं दूंगा। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है—आपको लोक सभा तक जाने की आवश्यकता नहीं है—जैसा कि माननीय नेकराम शर्मा जी ने स्वयं कहा कि जिस रोज हमारे बजट का सत्र प्रारम्भ हुआ उसी दिन मैंने कार्य–स्थगन प्रस्ताव की अनुज्ञा दी। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि माननीय सदस्य कृपया पिछले २० साल की अपनी प्रोसीडिंग्स को देखने का कष्ट करें तो इस बात को पायेंगे कि इस विधान सभा में यह होता रहा है कि बजट डिस्कशन के समय अध्यक्ष ने इस तरह की अनुमति नहीं दी। मैं भी अगर कोई ऐसा विषय आयेगा जिसे समझूंगा कि वह सम्बन्धित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने के लिये आवश्यक है तो उस पर अवश्य ही विचार करूंगा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, खाद्यान्न का मामला ऐसा है जिसका आम जनता से सम्बन्ध है। आज हमारे यहां अनाज का भाव दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। आज चीनी पांच रूपये सेर मिलती है। इसके लिये और कहीं छापा मारने की जरूरत नहीं है। हजरतगंज में बिना छापे मारे हुये आपको मालूम होगा कि चीनी किस भाव पर मिलती है। मेरी प्रार्थना है कि ऐ जर्नमेंट मोशन को आप यदि अस्वीकृत कर दें तो नियम ५२ में मंजूर कर लें ताकि सम्बन्धित मंत्री का ध्यान उधर आकर्षित किया जा सके। दफा ५१ तथा ५२ में किस तरह से खाद्य मन्त्री जी से, वैसे राजनीतिक विचारधारा में हमारा उनका मतभेद हो सकता है, सूचना दिलवा दें। मुझे आशा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, छिपाने की कोई बात नहीं है। जो माननीय नेकराम जी ने प्रश्न उठाया है उसका खाद्य मन्त्री जी जवाब देने के लिए तैयार हों तो दे दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह देखते हुए कि कई माननीय सदस्यों ने इच्छा प्रगट की है, मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि यदि वे सम्भव समझते हों तो थोड़ा सा समय किसी दिन, जब सुविधा हो, नियत कर दें, या सदन को आवश्यक सूचना दे दें। २६ और २७ में से कौन-सी तारीख ठीक रहेगी?

खाद्य मन्त्री (श्री झारखण्डेराय)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। जो तारीख आप तय कर रहे हैं उस तारीख को मैं वक्तव्य पेश कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है २६ जून को दे दें।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

श्रीमन्, २२ तारीख को करा दें।

श्री अध्यक्ष—

२२ तारीख को छुट्टी है इसलिए २६ तारीख ठीक है। यदि २१ तारीख को हो जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री झारखण्डेराय—

जी हां, हो जायगा।

श्री अध्यक्ष—

२१ जून को खाद्य मन्त्री जी का वक्तव्य होगा।

कार्य-स्थगन तथा नियम ५१ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद माननीय नेकराम जी का मिला है उसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। स्वास्थ्य मन्त्री जी ने वक्तव्य दिया था और उन्होंने बताया था कि लिपू लेक के समीप चीन ने चार डिवीजन भेजे हैं जिससे हमारे देश की सुरक्षा को खतरा है। मैं इसको माननीय गृह मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने अभी कहा कि माननीय नेकराम जी ने जो प्रश्न उठाया है उसको आप गृह मन्त्री जी के पास भेज रहे हैं इसमें यह कठिनाई पैदा हो गई है कि स्वास्थ्य मन्त्री जी कहते हैं कि चीन की चार डिवीजन हमारे यहां घुसी चली आ रही हैं और गृह मन्त्री जी या मुख्य मन्त्री जी का कहना है कि कोई चीनी फौज नहीं घुस रही है। तो दोनों मन्त्रियों के बयानों में इतना बड़ा कन्ट्राडिक्शन है। इसलिए सदन और प्रदेश की जनता भ्रम में पड़ गई है कि किस मन्त्री का वक्तव्य सही है और श्रीमन्, उनके ही पास आप इसको भेज रहे हैं। ज्यादा अच्छा होता यदि स्वास्थ्य मन्त्री जी से वक्तव्य दिलवा देते। गृह मन्त्री जी न्याय नहीं कर पायगे।

श्री अध्यक्ष—

माननीय कृष्णानन्द राय जी, मैं इसको उचित नहीं समझता हूं कि जिस विषय का सीधा सम्बन्ध विधान सभा या इस सरकार से न हो उसके लिए विवाद आमंत्रित करूं। मैं केवल आवश्यक कार्यवाही और जानकारी के लिए भेज रहा हूं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा (जिला इलाहाबाद)—

अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा शिरोधार्य होते हुए भी यह मामला ऐसा है कि अगर माननीय प्रतापसिंह जो हेल्थ मिनिस्टर न भी होते और एम० एल० ए० भी न होते तो भी उन्होंने एक जबर्दस्त सूचना कहीं से प्राप्त की है उस सूचना को बदकिस्मती से अखबारों में उन्होंने दे दिया। वह बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह बैठें हैं। इस सदन को सौभाग्य प्राप्त न हो उनकी जानकारी से फायदा उठा सके और इस प्रदेश को आगाह कर सके तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। कम से कम स्पष्टीकरण के नाम पर उनको मौका दें। माननीय प्रतापसिंह बोलना चाहते थे उनके साथी बिठा रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप उनको इजाजत दे दें बोलने की।

श्री अध्यक्ष—

माननीय बहुगुणा जी को सुनने के बाद भी मैं यह उचित नहीं समझता कि जिस बिषय का सीधा सम्बन्ध इस विधान सभा और सरकार से नहीं है उस पर यहां चर्चा हो। माननीय प्रतापसिंह नीचे को चले गए हैं (अपनी कुर्सी में)। इससे मालूम होता है कि वे उत्सुक नहीं हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

माननीय बहुगुणा जी चाहते हैं कि माननीय प्रतापसिंह कहें और आपने आदेश दिया कि गृह मन्त्री देखेंगे कि और उचित कार्यवाही करेंगे। मैं सुझाव देता हूं कि बहुगुणा जी का जो सुरक्षा का विषय है दिल्ली की सरकार के अधीन है यह चौहान साहब के पास हमारी भावनाओं को भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

इसके बाद एक और मेरे पास आया है श्री मधुकर दिघे और श्री प्यारेलाल और दूसरे माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर इसमें हैं। शिक्षा परिषद् के सम्बन्ध में हैं। वह आटोनामस बाडी है। उसके बारे में प्रश्नों से सूचना ले सकते हैं। उसको अस्वीकार कर दिया है।

इसके अतिरिक्त एक सूचना दफा ५२ के अन्तर्गत आयी है जो माननीय हेमवतीनन्दन बहुगुणा और महमूद अली खां ने दी है। इसको मैंने सम्बन्धित मन्त्री को जरूरी कार्यवाही के लिए प्रेषित कर दिया है। इसमें कुछ घटनाओं का उल्लेख किया गया है। इस पर प्रश्न हो सकते हैं।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

मान्यवर, डेगची का एक चावल देखा जाता है। मैंने लिखा है कि किसानों में बड़ा भ्रम और परेशानियां पैदा हो रही हैं। प्रोक्योरमेंट में जिस तरह से लोगों को पकड़ कर तहसील में बन्द किया जा रहा है इस कानून में नहीं हो सकता है। मार पीट हो रही है। एक एम० एल० ए० जो १९४६–५२ तक रहे उनको एक लेखपाल ऐसा खत लिखता है कि अगर कल तक तुम गल्ला नहीं दोगे तो तुम्हारी इज्जत खतरे में है। किस तरह से सरकार कहती है कि इसमें जबरदस्ती करने की नीति नहीं है, माननीय झारखंडे राय ने आश्वस्त किया। इसलिए बड़ा अन्याय होगा अगर माननीय राजस्व मन्त्री इस पर बयान नहीं देंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रोक्योरमेंट सरकार की नीति का आधारभूत प्रश्न है। इस पर विवाद में जितना चाहें चर्चा की जा सकती है।

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा—

तब तक हजारों आदमी इन के जुल्म का शिकार हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो भी हो। उसको तो मैं रोक नहीं पाऊंगा।

१६६७-६८ के आय-व्ययक पर सामान्य विवाद

श्री अध्यक्ष—

अब चूंकि समय बाकी है, १६६७-६८ के आय-व्ययक पर जो चर्चा चल रही थी वह जारी रहेगी।

मैं माननीय सदस्यों से इसमें और परामर्श लूंगा कि एक माननीय सदस्य कितनी देर बोले। पिछले समय में १५ मिनट का समय मिलता रहा है, किन्तु व्यक्तिगत रूप से मेरी धारणा है कि यह समय बहुत कम है इसलिए सीमित समय को देखते हुए यदि १५ मिनट का समय बढ़ाकर २० मिनट कर दिया जाय, यदि आप उचित समझें, तो २० मिनट का समय प्रत्येक वक्ता को बोलने के लिए दे दूं।

("ठीक है, ठीक है" की आवाजें)

श्री अध्यक्ष—

अच्छा यही रहा।

श्री उग्रसेन (जि ा दे रिया)—

जो आपने अपनी राय जाहिर की। मैं समझता हूं कि चूंकि इधर बहुत सी पार्टियों के लोग हैं और सबके सदस्य बोलना चाहेंगे, इस तरह से बोलने वाले अधिक होंगे, इसे देखते हुए यह समय १५ मिनट का ही रहने दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, इस समय यही जो हो चुका है, उसे रहने दीजिए। फिर परिवर्तन कर लीजिएगा।

*श्री कमलाप्रसाद (जिला जौनपुर)—

अध्यक्ष जी मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि माननीय वित्त मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उस पर अपनी राय जाहिर करूं। मैंने बजट को पढ़ा और उस पर गौर किया। मेरे देखने में जो आया, पहली अप्रैल सन् ६७ को माननीय मुख्य मन्त्री चौधरी चरण सिंह ने यहां पर खड़े होकर कहा था कि गैर कांग्रेसी प्रदेशों में जो सरकारें बनी हैं, वहां गल्ले के भाव गिरे हैं, इसलिए मैं जन-कांग्रेस बनाऊंगा और आज से कांग्रेस से सम्बन्ध तोड़ रहा हूं और उन्होंने सम्बन्ध विच्छेद भी किया और अपनी सरकार बनायी। मुझे आशा थी कि चौधरी साहब जो इतने दिनों तक सरकार में रहे हैं और जिनका एक राजनैतिक जीवन रहा है वह इस काम को करने में कुछ कोशिश करेंगे और सफल होंगे। इतना ही नहीं दूसरे दिन उन्होंने पब्लिक मीटिंग में भी कहा था कि अब स्लिप्स (slips) पर काम नहीं होंगे और मिनिस्टर के बेटों में और दूसरों के बेटों में कोई फर्क नहीं होगा। उसको भी मैंने अखबारों में पढ़ा। मैं समझता था कि वह उसको कार्यान्वित करेंगे लेकिन इस सरकार को जो समय मिला है उसमें मैंने देखा कि उसके विपरीत उनके कारनामें हैं। जनरल एलेक्शन के समय इन लोगों ने नारा दिया था कि डेढ़ पाव का राशन है, बड़ा निकम्मा शासन है, किन्तु अब उस मात्रा से बढ़ना तो दूर रहा ३ छंटाक का राशन हो गया है। उनकी हालत इतनी खराब है कि लोगों की इज्जत भी चली जा रही है। चीनी मिल नहीं रही है, लेकिन ब्लैक मार्केट में ४ रुपए और ५ रुपए के भाव में मनमाने तादाद में चीनी बेची जा रही है। यह शासन जब से आया बड़े जोर से कहा गया कि किसानों की हुकूमत होगी लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस शासन में शासन ने किसानों के लिए क्या किया? कांग्रेस सरकार ने तो १८-२० दिनों के अल्प शासन काल में किसानों का चौथाई आपातिक लगान माफ कर दिया था और यह किसानों के हित का उस सरकार ने काम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किया था। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो यह किया कि गल्ले की वसूली जोरों से जारी की। इन्होंने यह नहीं देखा कि जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, गोरखपुर और बस्ती आदि के पूर्वी जिलों में जहां भुखमरी है और जो सूखा ग्रस्त इलाके हैं, जहां लोग खाने बिना मर रहे हैं, वहां भी गल्ला वसूली उसी तरह से शुरू कर दी गयी जैसे कि अन्य जगह। पन्त जी के समय में भी इस प्रदेश की कांग्रेसी सरकार ने गल्ला वसूली की योजना शुरू की थी तो भी उस योजना में पूर्वी जिलों को इस व्यवस्था से एक्जेम्प्ट कर दिया गया था। इस लिए कि वह अभाव ग्रस्त इलाके हैं। वहां पर अगर दोनों फसलें पूरी हों तब भी वहां पश्चिमी जिलों की मंडियों से गल्ला आता है तब जाकर वहां की आवश्यकता पूरी हो पाती है। तीन चार साल से जब से सूखा पड़ा खानेका ठिकाना नहीं है। नवम्बर के महीने में संयोग से पानी बरसा था तो कुछ खेत बोए गए थे लेकिन आपने रबी की बोआई पर वसूली शुरू कर दी।

इस पर ध्यान नहीं दिया कि कितना बोया गया और कितना पैदा हुआ। जो नियम बने हैं इतना दोष है कि जो संशोधन आप करते भी हैं वह न आप समझते हैं न आपके अधिकारी समझते हैं। मसलन आपने एक्जेम्प्ट किया तीन सही एक बटा आठ एकड़। जिसको अधिकारियों ने इन शेयर और इंडिजुअल पर कैपिटा लगा दिया। उन्होंने तुम्हारा हिस्सा चाहे कितना भी क्यों न हो, चाहे कितने हिस्सेदार क्यों न हों उन पर लेवी लगा दिया। अब एक वसूली का तरीका जौनपुर जिले का सुनिए। मुगरा बादशाहपुर में वहां के व्यापारियों ने कहा कि हमें चीनी दे दो हम गल्ला दे देंगे अपने स्टाक से और वे उस चीनी को ब्लैक में करके दे रहे हैं। इतना ही नहीं, वह अंधेर इस सरकार ने चलाया है कि जहां चकबन्दी हो रही है वहां सी० ओ० और ए० सी० ओ० कहते हैं कि तुम हमें गल्ला दे दो तो हम चक ठीक कर देंगे नहीं तो नहीं करेंगे और चाहे यह बात लेवी योजना में आती हो या नहीं। इसके अलावा यह भी चल रहा है कि इधर से भाव ८५ रुपया क्विंटल है तो कहा जाता है कि बाजार में १३२ और १२२ रुपए का भाव है। मार्जिन में हमें दे दो तो हम हिसाब बैठाल देंगे। फिर आपकी लेवी में सरप्लस और डेफिसिट डिस्ट्रिक्ट्स में दोनों में एक ही तरीका है। यह भी बहुत गलत है। इसके साथ ही मैं निवेदन कर दूं कि वाराणसी और गोरखपुर डिवीजनों में जो सुविधा है वह जौनपुर जिले में नहीं है। वहां एक उपनिर्वाचन हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। हमारी सारी सरकारी मशीनरी ने कोशिश की और उसके बावजूद सरकार हार गयी और हारने से इतना दुख हुआ कि पूर्वी जिलों में ८ एकड़ से १२ एकड़ की सीमा कर दी लेकिन उस १२ एकड़ की बात को जौनपुर में नहीं रखा क्योंकि वहां हार गए। उस चुनाव में बिहार के सहकारिता मन्त्री श्री महतो साहब आए। उन्होंने गगर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा कि हम जौनपुर जायेंगे और सहकारिता का कार्यक्रम देखेंगे। गवर्नमेंट आफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट को लिखा। वह पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के पास गए। वह सरकारी खर्चे पर जौनपुर आए और सरकारी जीप पर टूर किया और सरकारी खर्चे पर इंस्पेक्शन हाउस में ठहरे। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो यही मित्र आलोचनायें तरह-तरह की किया करते थे कि सरकारी कारों का दुरुपयोग हो रहा है। आलोचना करते थे कि गलत टी० ए० बनाए जा रहे हैं और आज मैं देखता हूं कि छुट्टी के दिनों में दौरे पर जाते हैं और सरकारी खर्चे पर इंस्पेक्शन करते हैं। तो यह आपकी प्रोक्योरमेंट की योजना है और इसी चीप पापुलरिटी के आधार पर यह बजट पेश किया गया है कि इससे चीप पापुलरिटी गेन की जाय।

मैं भ्रष्टाचार के बारे में क्या निवेदन करूं। मैंने खुद कचहरी के अन्दर एक सरकारी कर्मचारी को यह कहते सुना है कि आज चरणसिंह जी की सरकार है तो ७ रुपया तो रिश्वत का और २ रुपए रिस्क के हम लेंगे। इस तरह से अब वह रुपया लेते हैं। यह भ्रष्टाचार आपका घटने के बजाय बढ़ रहा है। सरकार कह रही है और उसके सारे मन्त्री कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं। अब रिस्क लेने के लिए २ रुपया और बढ़ा दिया गया है। आप विजिलेन्स कमीशन में केस लेने की बात कहते हैं तो आप उन मन्त्रियों के खिलाफ भी विजिलेन्स कमीशन में मामला ले जायें जो भ्रष्टाचार करते हैं। जो आपके अधिकारी गबन करते हैं और जिनके खिलाफ गबन की रिपोर्ट है उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही

[श्री कमलाप्रसाद]

होनी चाहिए। मैं एक बात यह भी निवेदन करना चाहता हूं सरकार का एक यही काम नहीं है कि खर्चा बचाया जाय। सरकार का काम इम्प्लायमेंट देना भी है। सरकार का यह काम है कि बेकार लोगों को काम पर लगाना लेकिन मैं देख रहा हूं कि जो २० साल से परमानेन्ट कैडर में काम कर रहे हैं और जिनके जीवन स्तर का एक ढर्रा बन गया है इतने दिनों में और जिनके लड़के लड़कियां विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, किराए के मकान में रहते हैं आप उन लोगों की सर्विस टरमिनेट कर रहे हैं। अब वह बेचारे कहां पर रहेंगे? कैसे उनका पारिवारिक जीवन चलेगा? अब यह भ्रष्टाचार इस कार्यवाही से मिटेगा या बढ़ेगा? इससे भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलेगा। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि एक जगह मैंने देखा कि मन्त्री की गाड़ी में दूसरे लोग घूम रहे हैं। एक जगह तो कार्यकर्ताओं ने उस गाड़ी को घेर लिया था जहां पर राजनारायण जी प्रभुनारायण सिंह जी की गाड़ी में दूसरे जिले को जा रहे थे। तो क्या यह सही नहीं है कि माननीय मन्त्री की गाड़ी पर राजनारायण जी जा रहे थे?

एक सदस्य—

यह झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

किसी सदस्य से यह कहना कि वह झूठ कह रहे हैं यह असंसदीय है।

श्री कमलाप्रसाद—

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमारे साथी कुछ बातों को सुनने का माद्दा अपने अन्दर रखें। वही गलती न करें जिन गलतियों के लिए दूसरों से कहा करते थे। क्या माननीय मन्त्री की गाड़ी पर राजनाराण जी नहीं घूमते हैं?

श्री रामायणराय—

क्या रोज राजना ायण जी प्रभुनारायण सिंह जी की गाड़ी पर दाखलशफा नहीं जाते हैं?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य यह देख चुके हैं कि दोनों तरफ से माननीय सदस्य व्यवधान करने को सक्षम हैं। तो अच्छा है कि व्यवधान न इधर से और न उधर से हो। विवाद चल रहा है कृपया उसे सुनें।

श्री कमलाप्रसाद—

श्रीमन्, खेती के उत्थान के लिए ट्यूबवेल को प्रोत्साहन देने की बात कही गई कि उनको इनरजाइज करके अतिरिक्त सिंचाई का साधन उत्पन्न किया जायगा। उन नलकूपों की संख्या ११२ बताई गई है। अगर आप नए ट्यूबवेल इतने बनायेंगे तो ५४ जिलों में किस तरह से उसका बटवारा होगा कितने ट्यबवेल एक जिले को मिलेंगे। आप गांव में जाइए। वहां पर लोग बहुत संख्या में नलकूप चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमने बजट में कृषि की सिंचाई के लिए इतनी बड़ी सुविधा कर दी है। तो क्या इस सुविधा से बड़ा लाभ होगा? सिंचाई की हालत यह है कि अगर कोई नलकूप लगाने की हिम्मत करता है तो आपका हाईडल विभाग कहता है कि कुओं की बोरिंग कर लो तब हम इनरजाइज करेंगे और बिजली के तार लगायेंगे। और प्लानिंग का विभाग कहता है कि आप पहले खम्भे गड़वा लीजिए, बिजली लगवा लीजिए तब हम अपना काम करेंगे। साथ ही एक हजार सरकार को कर्ज दी दीजिये। तो यह आप का प्रोत्साहन है। मार्च से अब तक हरिजन, सिंचाई अथवा विद्युत विभाग का जितना पैसा है वह जमा है, कोई पैसा रिलीज नहीं किया गया। हर काम ठप्प है और आप का आगे का बजट देखने में सरप्लस है लेकिन उस में करने को कुछ नहीं है। अगर

हम किसी को खाना और नौकरी नहीं देंगे तो बचत होगी ही। इसमें खूबी क्या है। इस बजट से जो मन्त्रीगण सम्बन्धित हैं उन्होंने लैंड रेवेन्यू समाप्त करने का वायदा किया था। कांग्रेस ने यहां आते ही चार आना लगान माफ कर दिया, आगे भी वह और लगान माफ करती, लेकिन आप ने १९ सूत्री कार्यक्रम रख कर भी अपने बजट में उसे अमली सूरत नहीं दी। डाक्टर लोहिया और दूसरे अपोजीशन के लीडर बराबर कहते थे कि कांग्रेस की सरकार की कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन आपने अभी तक सेल्स टैक्स में छूट नहीं दी, किसान को कोई छूट नहीं दी तो आपको क्या कहा जाय। यह किसान विरोधी बजट है, इस में आप ने किसान के अहित की बात की है। और इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको पास न होने दें और इसको रद्द कर दें।

खाद्य मन्त्री (श्री झारखंडेराय)—

मान्यवर, हमारा देश आज एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, जब कांग्रेसी हुकूमत के बाद कांग्रेस का एक छत्र शासन देश के आठ सूबों में धराशायी हो गया और आठ सूबों में कांग्रेस की हुकूमत बनी हुई है, लेकिन उसकी शक्ति पहले के मुकाबले बहुत कम है। केन्द्र आज भी कांग्रेस के हाथ में है, लेकिन उसकी शक्ति पहले के मुकाबले बहुत ही कम हो चुकी है। एक विशेष प्रकार की परिस्थिति, हमारे देश की सियासी तस्वीर इस चुनाव के बाद हम को मिली है और आने वाले बहुत दिनों तक कोई भी एक पार्टी, चाहे वह हम हों, अथवा माननीय गुप्ता जी, हिन्दुस्तान में इस योग्य न होगी कि जिस की पार्टी हिन्दुस्तान पर शासन कर सके और मिली जुली सरकारें ही इस आधुनिक युग की एक विशेषता होंगी जिसको हमें स्वीकार कर के ही चलना होगा।

मान्यवर, जब हम विरोध पक्ष में थे और गुप्ता जी, पन्त जी सम्पूर्णानन्द जी अथवा सुचेता जी की सरकार पर हमला करते थे तो कम से कम मेरे दिमाग में यह बात बहुत साफ थी कि सारे हिन्दुस्तान में एक छत्र शासन कांग्रेस का है, केन्द्र में भी और सूबों में भी। हम सूबे की सरकार को एक दम अलग कर के केन्द्र से नहीं देख सकते थे, न हम वैसे सोचते ही थे। लेकिन आज वह परिस्थिति नहीं है। आज सूबों की गैर कांग्रेसी सरकारें स्वायत्त शासन सम्पन्न सरकारें नहीं हैं। यह खुद मुख्तार रियासतें नहीं हैं। यह केन्द्र के मातहत सरकारें हैं इस वास्तविकता को हम को नहीं भूलना चाहिए। जब यहां कांग्रेस सरकार थी उस समय की और आज की परिस्थिति में आमूल परिवर्तन हो चुका है। बहुत सी बातें हम करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि केन्द्र में कांग्रेसी सरकार है आज भी बनी है। इसलिए सियासत की इस बदलती हुई तसस्वीर को, इस चक्के को, धुरे को हमें कम्पलीट करना है, मुरत्तब करना है, परिपूर्ण करना है और वह तभी होगा जब बाकी ८ सूबों में भी कांग्रेसी सरकार धराशयी हो जायं और केन्द्र में भी एक मिली-जुली सरकार कायम हो और तभी बहुत से काम जो करोड़ों जनता चाहती है वह हो पायेंगे अन्यथा उनका होना असम्भव है।

मान्यवर, गलत नियोजन की बात वित्त मन्त्री जी ने कही है, मैं इसको सर्वथा सही समझता हूं। गलत नियोजन केन्द्र से हुआ है और सही माने में इस प्रकार नियोजन किया गया कि आज हिन्दुस्तान के मुट्ठी भर लोगों के हाथ में अपार सम्पत्ति इकट्ठी हो गयी है। ७५ पूंजीपति खानदानों में देश की एक तिहाई पूंजी इकट्ठी हो गयी है, यह गलत नियोजन नहीं है तो क्या है? तीन पूंजीपतियों के हाथ में जो सबसे बड़े आदमखोर हैं—टाटा, बिरला और मार्टिनबर्न, १/९ धन का इकट्ठा हो जाना अगर रांग प्लानिंग नहीं है तो क्या है? गरीब का गरीब हो जाना, अमीर का अमीर हो जाना, गरीब और अमीर के बीच का अन्तर बढ़ते जाना, छोटी और बड़ी आमदनी में भेद का बढ़ते जाना, छोटी और बड़ी तनख्वाहों के बीच का अन्तर बढ़ते जाना—यह दर्दनाक कहानी जो २० सालों की है यह क्या बतलाती है? क्या यह प्लानिंग सही था? प्लानिंग का मतलब यह था कि हर व्यक्ति महसूस करता कि पहले से कुछ बेहतरी आ रही है। हिन्दुस्तान का हर परिवार महसूस करता कि आने वाला कल आज सेबेहतर होगा। लेकिन

[श्री झारखण्डेराय]

आज वह बात पूरी नहीं हुई है। आज महंगाई की बात कही जाती है, टैक्स बढ़ाने की बात कही जाती है, यह २० साल की कांग्रेसी पूंजीवादी नीतियों का फल है, इस बात को हमारे भूतपूर्व शासन को भूलना नहीं चाहिए।

गुप्ता जी के भाषण के लिए मैं उनको बधाई दूंगा। मैं समझता था कि विरोधी पक्ष बहुगुणा जी और उनके कुछ साथियों के पथ पर चलेगा। मैं ४ दिन से निराशा में डूबा जा रहा था, लेकिन उनका भाषण सुनकर मुझे आशा हुई कि विरोधी पक्ष अपने कार्य-भार को संजीदगी के साथ अदा करेगा, लेकिन बहुगुणा जी और उनके साथियों के रोल पर मुझे बहुत निराशा हुई। अभी तो ढाई महीने का समय भी नहीं पूरा हुआ। इसके पहले २० साल तक कांग्रेस का शासन था। हमको बहुत संजीदगी क साथ सोचना होगा। ढाई महीने से कैबिनेट में बैठने के बाद मैं इस परिणाम पर पहुंच चुका हूं कि एक सूबे में समाजवाद तो क्या उसकी पूंछ भी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं जबतक कि केन्द्र में ऐसी सरकार न बने जो समाजवाद में विश्वास करने वाली हो और जो तेजी से मुल्क को समाजवाद की ओर ले चले। इसलिए समाजवाद की बात करना और २० साल के कामों को भूल जाना, यह उचित नहीं है।

मान्यवर, आज की बात से हमने यह महसूस किया है कि आज का यह परिवर्तन 'ब्लेसिंग इन डिस्गाइज" अर्थात कांग्रेस के लिए भी वरदान सिद्ध हुआ है, मुझे उनमें नया जीवन दिखाई देता है। हिन्दुस्तान की स्वस्थ जनवादी परम्पराओं के लिए इस प्रकार का जीवन उचित है, मैं इसका स्वागत करता हूं और प्रशंसा करता हूं। यह अवश्य है कि कांग्रेस को हिन्दुस्तन की जनता ने फायनली रिजेक्ट कर दिया है। अगर हम निकम्मे और नालायक सिद्ध हो जायेंगे इन बुनियादी आधारों पर जिनको जनता चाहती है, जो उसकी आकांक्षा है तो हम भी रिजेक्ट हो जायेंगे। और हमसे बेहतर एलायन्स और एलाइनमेंट की सरकार बनेगी। इसी प्रकार यह संघर्ष आगे बढ़ेगा और एक दिन निकट भविष्य में समाजवाद स्थापित करने वाली मजदूर व किसानोंकी सच्ची सरकार बनेगी। परिवर्तन पीछे की ओर नहीं आगे की ओर होगा। कोई तीसरा संगठन पैदा होगा, यह २० साल का निकम्मा कांग्रेस शासन नहीं आ सकता।

दौरों की बहुत बात कही गयी। हमने नैनीताल की ठंडी हवाओं में दौरा नहीं किया। सूबे की जनता में घोर निराशा उत्पन्न हो चुकी थी, उनकी निराशा को आशा में बदलना था, उनमें परिवर्तन लाना था और वह काम हमने दौरा करके किया जेठ की लू लपट और गर्मी में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये भी हमने दौरा किया। हमने लोगों को पकड़ा भी। कहा गया कि मंत्रियों का यह काम नहीं है, लेकिन मंत्री अगर नमूना पेश कर सकते हैं, कोई सूचना अगर उनको मिलती है और वे जाकर पकड़ते हैं, तो वह कोई बुरा काम नहीं है। मैंने, जब माननीय गुप्ता जी यहां थे, और उन्होंने छोटी कार का निर्णय लिया था, स्वागत किया था। उन्होंने एकोनामी की पालिसी को अपनाया था, उसका भी मैंने स्वागत किया था और अच्छी बात का स्वागत करना ही एक अच्छी जनवादी परम्परा को जन्म देना है। तो अगर गरमी के दिनों में गल्ला वसूली योजना को पूरा करने के लिये हमने दौरा किया है तो उसकी सराहना करना चाहिये थी। गल्ला वसूल करने की योजना कांग्रेस सरकार द्वारा ही बनायी गयी थी। हमने भी सोचा कि इसके अलावा और कोई धारा है ही नहीं। केवल एक ही धारा था कि हम अमेरिका के आगे या जानसन के आगे हाथ फैलाये रहते। इस योजना में गलतियां हो सकती हैं, समय-समय पर जो भी सुझाव आये उसके अनुसार हमने कई बार परिवर्तन भी किये और इस योजना को लिबरल से लिबरल बनाने की कोशिश की। जो ३–४ बार हमने परिवर्तन किये उससे यह स्पष्ट है कि हम आपके सुझाव का सदैव आदर करते थे, किसी भी चीज को हमने ब्रह्म वाक्य नहीं माना। कोई अन्तिम रेखा नहीं माना। जब आवश्यक हुआ परिवर्तन किया। अगर गल्ला हम वसूल न करते तो हमारे सामने आगे आने वाले ३–४ महीने के लिये एक समस्या उठ खड़ी होती। भारत सरकार से हम २ लाख टन गल्ला मांगते हैं, मगर सवा लाख टन ही का वादा

[श्री शारखण्डे राय]

मुश्किल से मिल पाता है। भारत सरकार की मजबूरी कहिये या जो कुछ भी कहिये, गल्ला आज हमको पूरा नहीं मिल पा रहा है। इसलिये हमने इस गल्ला खरीद योजना को कार्यान्वित किया।

हमने गल्ला खरीदने के लिये जो दाम निश्चित किये वे भी हिन्दुस्तान के किसी भी प्रदेश से अधिक रखे हैं। भारत सरकार से हमने इन्हीं दामों के लिये आग्रह किया। उसने हमारी मांग को स्वीकार किया। पंजाब तक से हमारे यहां दाम ज्यादा हैं। क्या यह किसान विरोधी स्कीम है ? केवल ७-८ फीसदी किसानों से ही गल्ला वसूल किया जा रहा है। मैं २०-२२ जिलों में घूमा हूं, मैंने लोगों से हाथ उठवाये हैं इससे सुधार कैसे हो सकता था...

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी, संभवतः आगे भी आप बोलना चाहेंगे, इसलिये, अब हम उठते हैं और कल फिर दिन के ११ बजे मिलेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
१६ जून, १९६७

नत्थी 'क'

[देखये नियम २९ (४) के अन्तर्गत [ता० प्र० सं० २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर]

लखनऊ नगर महापालिका मे वर्ष १९६६–६७ तथा वर्ष १९६७–६८ के लिये वाहनों पर कर की निर्धारित दरों की सूची

क्रम-ख्या	वाहनों का विवरण	वर्ष १९६६–६७ में वार्षिक कर की धनराशि		वर्ष १९६७–६८ के लिये वार्षिक कर की धनराशि					
		प्रशासक के आदेश दिनांक १२–२–१९६७ के द्वारा निर्धारित		प्रशासन के विशेष आदेश दिनांक २३–३–१९६७ के द्वारा कमी होने पर		शासकीय आदेश दिनांक २९–४–६७ द्वारा कमी होने के बाद			
		न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	बिना न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	बिना न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	बिना न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये	बिना न्यूमेटिक टायर वाली गाड़ियों के लिये
		रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
१	साइकिल या ट्राइसाइकिल—								
	क—किराये के लिये	५	..	५	..	५	..	५	..
	ख— निजी प्रयोग के लिये	१	..	२	..	२	..	१	..
२	इक्का अथवा तांगा—								
	क—किराये केलिये	६	६	१६	२०	१०	१०	१०	१०
	ख—निजी प्रयोग के लिये	६	६	१२	१५	८	८	८	८
३	रिक्शा—								
	क—किराये के लिये	२५	..	५०	..	४०	..	३०	..
						(समय से ३०–४–६७ तक कर यदि ३०–६–६७ तक भुगतान का भुगतान करने पर ५ रु० कर दिया जाय तो, अन्यथा की छूट।)		४० रु०।)	

ख—निजी प्रयोग के लिये	२०	..	३०	..	२५	..	२५	..
४—ठेला गाड़ियां—								
क—पशुओं द्वारा खींची जाने वाली ४ पहियों की	४०	५०	४०	५०	४०	५०	४०	५०
ख—पशुओं द्वारा खींची जाने वाली २ पहियों की	१५	२०	३०	४०	३०	४०	३०	४०
●—मनुष्यों द्वारा खींची जाने वाली (२ पहियों की)	१५	२०	१५	२०	१५	२०	१५	२०
घ—एक व्यक्ति द्वारा खींची जाने वाली (२ पहिये की) (जिसकी लम्बाई ५ फीट से अधिक न हो)।	६	१०	६	१०	६	१०	६	१०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'ख'

[देखिये नियम २९ (४) के अन्तर्गत ता० प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ११० पर]

श्री युवराज आनन्द, अध्यक्ष, रिक्शा ओनर्स एसोसियेशन (रजिस्टर्ड) बाला कदररोड, लखनऊ द्वारा प्रशासक, नगर महापालिका, लखनऊ को प्रेषित पत्र दिनांक मार्च १, १९६७ की प्रतिलिपि ।

आपकी सेवा में यह निवेदन करते हुये दुख हो रहा है कि रिक्शा मालिकान की ओर से कई बार लाइसेंसिंग आफिसर तथा विशेष अधिकारी महोदय का ध्यान नगर महापालिका की सीमा में चलने वाले रिक्शा चालक तथा उन रिक्शों के मालिकों को जो घोर कठिनाइयां व असुविधायें उठानी पड़ रही हैं की ओर ध्यान दिलाया गया तथा प्रार्थना-पत्र प्रेषित किये गए पर उनका उक्त अधिकारियों ने कोई उत्तर तक देना उचित नहीं समझा।

इन दोनों अधिकारियों ने आपस में कोई सांठ-गांठ कर रक्खी है कि जितना भी सम्भव हो जनता को परेशान किया जावे, इस समय इन दोनों अधिकारियों के कारण लाइसेंसिंग कार्यालय में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी तथा अनेक प्रकार की अनियमिततायें अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हैं। जैसा कि इससे पूर्व कभी भी देखने में नहीं आया था। लाइसेंसिंग अधिकारी खुले आम यह कहता है कि विशेष अधिकारी का हाथ उनके सर पर है जो मेरे मन में आयेगा वही किया जावेगा और किसी की उचित से उचित बात भी नहीं सुनी जावेगी। सारे कार्यालय में कार्य प्रणाली में एकदम उथल पुथल कर दी है जिसके कारण रिक्शा मालिकान तथा दूसरे लोगों को बहुत कठिनाइयों व असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

लाइसेंसिंग अफसर ने विशेष अधिकारी से मिल कर ऊट पटांग के आदेश प्राप्त करने की छूट ले रक्खी है। रिक्शा चालक को अब तक अपने लाइसेंस का डुप्लीकेट प्राप्त करने के लिए केवल २५ पैसे शुल्क देने पड़ते थे। जब कि वर्तमान लाइसेंसिंग अफसर ने पिछली परम्परा को तोड़ कर बिना रिक्शा मालिकान व रिक्शा मजदूर यूनियन से सलाह लिए मनमाने ढंग से डेढ़ रुपया (एक रुपया पचास पैसा कर दिया। इसी प्रकार रिक्शा मिलकियत की तबादली की प्रणाली में भी पिछली सभी परम्पराओं को तोड़कर नए ढंग से तबदीली का आदेश जारी कर दिया है।

रिक्शा पास करने में यदि फ्रेम बदल दिया गया हो उसके टूट जाने के कारण तो रिक्शा पास नहीं किया जाता है, जब कि इससे पूर्व रिक्शा फ्रेम अथवा वाडी को बदलने के लिए केवल प्रार्थना-पत्र द्वारा सूचना देकर बनाने का आदेश तुरन्त मिल जाया करता था।

एक इन्सपेक्टर द्वारा रिक्शे पास करने का कार्य चलाया जा रहा है जो बिना साहब का हुक्म लिए रिक्शा पास नहीं करता है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए हम आपसे यह अनुरोध करते हैं कि कृपया शीघ्र ही किसी सी० आई० डी० के उच्च अधिकारी द्वारा या स्वयं आप कृपा करके लाइसेंसिंग कार्यालय में आकर इन सब अर्जी की जांच करके सुधारने का कष्ट करें तथा आप से यह मांग करते हैं कि हमारी निम्न मांगों पर तुरन्त विचार करके उन्हें पूरा करने के आदेश से हमें सूचित करने की कृपा करें।

१—यह कि रिक्शा का टैक्स २५ रुपया से घटा कर १५ रु० कर दिया जाये। क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है रिक्शे का सामान आठ गुना दस गुना महंगा हो गया है रिक्शा चालकों की मजदूरी पहले जैसी नहीं होती वह भी महंगाई से पीड़ित है पूरा किराया उनसे नहीं मिल पाता रिक्शे के किराए में दिन प्रतिदिन कमी होती चली जा रही है किसी भी प्रकार एक रिक्शा मालिकान को एक रिक्शे पर महीने में १० रु० से अधिक नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार टैक्स में कमी अनिवार्य है।

२--रिक्शा चालकों की डुप्लीकेट लाइसेंस की फीस केवल २५ पैसे ही रक्खी जावे जैसा कि दो माह पूर्व था।

३--रिक्शा बिना ड्राइवरी के बन्द न किया जावे तथा बिना पास रिक्शों को पकड़ कर लाइन में बन्द किया जावे और उनसे केवल एक रुपया प्रति दिन के हिसाब से ही डिटेन्शन फीस ली जावे।

४--रिक्शा के ऊपर से समय में पास न करने पर जो १५ रुपये अधिक लिए जाते हैं वह घटा कर केवल पांच रुपया किए जावें।

५--रिक्शा चालक को एक ड्राइवरी पर कोई भी रिक्शा चलाने की सुविधा जैसे अब तक है प्राप्त रहे इसमें कोई परिवर्तन न किया जावे।

६--लाइसेंसिंग कार्यालय के डाक्टर को जिसको महापालिका से काफी रुपया वेतन मिलता है और कोई विशेष काम नहीं करना पड़ता उसको हटा कर नगर महापालिका तीन चार सौ पया महीना बचा सकती है। इसके अतिरिक्त रिक्शा चालकों को दूसरी सुविधाएं भी दी जावें और डाक्टर को जगह समाप्त कर दिया जाये।

७--लाइसेंसिंग आफिसर श्री बी० पी० श्रीवास्तव का तुरन्त तबादला किया जावे जनता तथा उनके अपने ही कार्यालय के लोगों से उनका व्यवहार असभ्य है। जिसके कारण आये दिन झगड़ा फसाद होता रहता है और रिक्शा मालिकों को बहुत असुविधा व कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं।

हमें आशा है कि आप हमारी इन बातों पर विशेष रूप से ध्यान देंगे तथा उच्च अधिकारियों की भांति हमारे इस पत्र को रद्दी कागज की डोकरी में न डालकर हमें तीन दिन के भीतर इस बात की सूचना देंगे इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है, हम लोग तथा हमारी एसोशियेशन की हमेशा यह परम्परा रही है कि बातचीत द्वारा ही मामलों को सुलझा लिया जावे पर इन दोनों अधिकारियों ने हम लोगों को संघर्ष का रास्ता अपनाने के लिए बाध्य कर दिया है। हम लोगों ने मजबर होकर रिक्शा मजदूर यूनियन लखनऊ के संस्थापक समाजवादी नेता डा० सलीम, संसोपा विधायक मंडल दल के उपनेता श्री उग्रसेन एम० एल० ए० तथा श्री चन्द्र बली सिंह एम० एल० ए० के संरक्षण में एक संघर्ष समिति का निर्माण कर लिया है जिसने यह निर्णय लिया है कि आगामी ६ मार्च को नगर में रिक्शा का पूर्ण हड़ताल कर के नगर महापालिका तथा राज्यपाल महोदय के सम्मुख राजभवन के सामने अपनी मांगों की पूर्ति के लिए प्रदर्शन किया जावे।

अतः आपसे पूर्व इसके कि हम कोई संघर्ष का रास्ता अपनायें बातचीत द्वारा समस्या को सुलझा लिया जावे, नम्रता के साथ एक बार पुनः निवेदन करता हूं कि हमारी मांगों को शीघ्र पूरा कर के लखनऊ के हजारों पीड़ित रिक्शा मालिक व रिक्शा मजदूरों को राहत पहुंचायें।

धन्यवाद।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न सं० ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

कर्मचारियों की सूची जिनके मामले में निर्णय नहीं हुआ है।

१—श्री एस० पी० जैन, नगर अभियन्ता।
२—श्री अनवारुल हसन, ओवरसियर।
३—श्री प्रकाश नारायण, उद्यान अधीक्षक।
४—श्री सीताराम, स० अभियन्ता (जलकल)
५—श्री बिरेश चन्द्र सक्सेना, लिपिक।
६—श्री लियाकत अली, मिकैनिक।
७—श्री शम्भू दयाल, स्टोर कीपर।
८—श्री मूलचन्द्र, चौकीदार।
९—श्री मुहम्मद अयूब, अमीन।
१०—श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव, कर निरीक्षक।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३१ पर)

बांदा जिले के विकास क्षेत्र मानिकपुर, रामनगर तथा मऊ के विभिन्न ग्रामोंके सरकारी सस्ते गल्ले के दुकानदारों को माह जनवरी व फरवरी १९६७ में दिये गल्ले की मात्रा आदि का विवरण

क्रम-संख्या	दूकानदार का नाम	दूकान का स्थान	मोटा अनाज जो दिया गया (मात्रा क्विंटल में)		आटा जो दिया गया (मात्रा बोरों में)		अन्य विवरण
			जनवरी में	फरवरी में	जनवरी में	फरवरी में	
१	२	३	४	५	६	७	८
		क—विकास क्षेत्र मानिकपुर					
१	सर्वश्री राम-चन्द्र गुप्ता	मानिकपुर	३०	..	१५	..	फरवरी में दूकान कैंसिल हो गई
२	रामानुज समातलाल	किहुनिया	११४	..	..	..	,,
३	भगवानदास मुकुन्दीलाल	मानिकपुर	११०	..	..	..	,,
४	इन्द्रजीत सिंह	गढ़चमा	८०	..	..	..	,,
५	सिद्धगोपाल	किहुनिया	९५	८०	..	२०	
६	महेन्द्रप्रसाद	मानिकपुर	६०	..	६५	..	दूकानदार ने फरवरी में त्यागपत्र दे दिया।
७	रामअवतार श्याम सुन्दर	,,	३६	..	४०	..	फरवरी में दूकान कैंसिल हो गई।
८	ब्रह्म प्रसाद	खरौंध	८०	३६	..	१८	
९	वृन्दावन	बभिया	१२०	११२	..	५६	
१०	बहादुर सिंह	ऊंचाडीह	७०	८०	..	..	
११	कोआरेटिव सोसाइटी	ऐचरारा	१००	११५	..	३६	
१२	द्विगपाल राजधर	चन्द्रमारा	१३८	५०	..	२५	

१	२	३	४	५	६	७	८
१३	सल्दी राम सूरजदीन	मानिकपुर रामपुर	१०६	६०	९६	६४	
१४	हीरालाल गुप्ता	कल्यानगढ़ मानिकपुर	९५	९३	..	३०	
१५	लक्ष्मीसिंह	रानीपुर	६०	११०	..	३८	
१६	हनुमानप्रसाद	मानिकपुर	१२०	८४	..	८२	
१७	राजबहादुर	बराहमाफी	६०	९०	..	२०	
१८	रामबहादुर मिश्र	मारकुंडी	३३	२९	..	१३	
१९	रामआसरे	जोरामाफी	१००	६५	..	१६	
२०	सिद्धेलाल	डोंडा माफी	८०	६६	..	१३	
२१	ब्रजभवण	टिकरिया	६५	३६	..	१८	
२२	रामस्वरूप गुप्ता	सैरइया	२००	१३५	..	१०	
२३	रामकृपाल	हनुवा	९०	९९	..	२७	
२४	कोदूराम मातावदल	सैरइया	२००	११५	..	६१	
२५	रामदास गुप्ता	बदरी माफी	७०	८४	..	२७	
२६	मातादीन गुप्ता	मडैयन	८०	८६	..	१८	
२७	बाबूलाल	बहिलपुरवा	१५	३५	..	२५	
२८	छोटेलाल सोनी	मानिकपुर	..	१३०	..	१२७	दूकान फरवरी में खोली गई।
२९	रामजियावन	चर	..	१२२	..	२६	,,
३०	द्वारकाप्रसाद	कैलहा	..	६५	..	१०	,,

ख—विकास क्षेत्र रामनगर

१	जगदीशप्रसाद	रामनगर	..	१००	..	२०	दूकान फरवरी में खोली गई।
२	वीरेन्द्र कुमार	,,	..	८८	..	१६	,,
३	सुन्दरलाल	ईटवा	१५०	११०	..	३०	
४	रामस्वरूप	बांधी	..	५६	..	२८	दूकान फरवरी में खोली गई।
५	इन्द्रकुमार सिंह	नादिन कुर्मियान	१५०	१३२	..	४१	
६	रामकृपाल	राजापुर (ग्रामीण क्षेत्र)	३२०	१५०	..	६०	
७	सन्तोषकुमार	राजापुर (शहरी क्षेत्र)	९०	..	..	३२	

१	२	३	४	५	६	७	८
८	घनश्यामदास	राजापुर (शहरी क्षेत्र)	४०	२५	..	३३	
९	दुर्गा प्रसाद	हन्ना बिनेका	८०	१००	..	२४	
१०	रामराज सिंह	बरुआ	२०	११०	..	३०	
११	चौबेलाल	पिपरौंद	१२०	११०	..	३०	
१२	कैदारनाथ	सुहेल	१७०	१३०	..	२५	
१३	उमादत्त द्विवेदी	छिवों	८०	२४०	..	२०	
१४	रामबहादुर	रुपौली	..	९०	..	३०	दूकान फरबरी में खोली गई।

ग—विकास क्षेत्र मऊ

१	शिवप्रसाद	मनकाधितानी	..	७०	..	..	दूकान फरवरी में खोली गई।
२	बाब लाल	खंडेहा	७३	४६	..	२३	
३	राम लाल	,,	५०	२१	..	११	
४	राजबहादुर	देवरा	..	१०६	..	२३	,,
५	रामस्वरूप	जाफरपुर	..	६०	..	१०	,,
६	महेशचन्द्र	जुरवारा	..	१००	..	२०	,,
७	लक्ष्मी सिंह	अर्जुनपुर	..	९३	..	१७	,,
८	प्रेम चन्द्र	कलछिया	७	६६	..	..	
९	भैरों प्रसाद	बरगढ़	२६०	१३३	..	७०	
१०	बाबू लाल	,,	३३२	१५०	..	..	
११	आनन्दी प्रसाद	मुर्का	..	५०	..	२५	दूकान फरवरी में खोली गई।
१२	भैयालाल	तिलोली	..	१००	..	२०	,,
१३	राम लषन	कोटराखाना	..	८०	..	३०	,,
१४	सहकारी संघ	बियावल	८४	५०	..	२०	
१५	सियाराम	चकौर	१९५	१०५	..	१५	
१६	राम रस्तोगी	मऊ (शहरी क्षेत्र)	२१०	८५	२०	..	
१७	भगवानदास	,,	२०५	२०	२०	२५	
१८	अनूपकुमार रामस्वरूप	मऊ (ग्रामीण क्षेत्र)	१५०	१०८	..	२०	
१९	मूलचन्द राज नारायण	,,	३१०	१४०	..	२५	
२०	शरदवीर सिंह	मंडोर	८०	७०	..	२५	
२१	रामप्रताप	खपरिहा	..	१२०	..	२५	दूकान फरवरी में खोली गई।
२२	रामकृपाल	छिउललेहा	..	९६	..	१८	,,

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३२ पर)

१--धोहल बुजुर्ग--

इस गांव में दो कुएं हैं। गांव वालों ने इनकी सफाई स्वयं कराई है। सफाई करने से कुओं में इतना पानी आ गया है जिस से गांव वालों को पानी सुलभ हो रहा है।

२--महराजपुर--

एक छोटी बस्ती है। गांव में एक पुराना कुआं है जिसमें पानी नहीं है। यहां के लोग पास के रहेटिया नामक गांव से पानी लाते हैं।

३--बंजरा--

इस गांव से एक फर्लांग की दूरी पर ६ कच्चे कुयें बने हैं जिनसे यहां के लोगों को पानी मिल रहा है।

४--छेड़ी बेनी--

इस गांव में कुआं है। पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं है।

५--कटेहरी--

यह गांव वर्मा नदी के किनारे आबाद है। यहां पानी की कमी नहीं है।

६--इस गांव के एक कुंये में ३० फीट बोरिंग करने के बाद कुयें में सख्त कंकड़ का चट्टा निकल आया जिसके कारण बोरिंग का कार्य बन्द करना पड़ा परन्तु जितनी भी बोरिंग की गई उस से कुयें में १८ फीट पानी निकल आया है जिस से गांव वालों का काम चल रहा है।

७--बोलपुर }
८--गहुली } इन गांवों में पीने के पानी की कमी नहीं है।

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३८ पर)

क्रम संख्या	नाम विकास खंड	क्रम संख्या	नाम सड़क	अनुमानित लागत	३१ मार्च, १९६ तक खर्च हुई धनराशि	खर्च के लिये बाकी धनराशि	कार्य कराने वाले विभाग का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
१	धानापुर ..	१	चमोली--मुहजी	४,०३,०००	१९,७६३	३,८३,२३७	जिला परिषद्
		२	धानापुर--चहनियां (पुराना भाग)	१,१०,०००	३८,८४१	७१,१५९	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		३	धानापुर--चहनियां (नया भाग)	३,८९,०००	१,३२,७६०	२,५६,२४०	सार्वजनिक निर्माण विभाग
२	चहनियां ..	४	धानापुर--चहनियां (पुराना भाग)	९०,०००	६४,२६६	२५,७३४	,, ,,
		५	धानापुर--चहनियां (नया भाग)	२,००,०००	६३,५१३	१,३६,४८७	,, ,,
३	सकलडीह ..	६	सकलडीहा--सकलडीहा स्टेशन	२,४१,०००	२,५७३	२,३८,४२७	जिला परिषद्
		७	सकलडीहा--सैयद राजा	५,००,०००	..†	५,००,०००	जिला परिषद्
		८	सकलडीहा--अलीनगर (पुराना भाग)	१,२५,०००	७७,८९६	४७,१०४	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		९	सकलडीहा--अलीनगर (नया भाग)	४,७३,०००	९२,३४४	३,८०,६५६	,, ,,
४	नियामताबाद ..	१०	सकलडीहा--अलीनगर (पुराना भाग)	११,९४,०००	१,२०,३७९	७३,६२१	,, ,,
		११	सकलडीहा--अलीनगर (नया भाग)	३३,३००	७,८८६	२५,४१४	,, ,,
५	चन्दौसी	१२	चन्दौली--थरौली	६,३९,०००	१९,११४	६,१९,८८६	जिला परिषद्
		१३	चन्दौली शहर से ग्रांड ट्रंक रोड को मिलाने हेतु ७ मी० सड़क का पक्का किया जाना।	२,२५,०००	१,८६,०००	शून्य (समस्त कार्य पूरा हो गया।)	सिंचाई विभाग

क्रम संख्या	नाम विकास खंड	क्रम संख्या	नाम सड़क	अनुमानित लागत	३१ मार्च, १९६७ तक खर्च हुई धनराशि	खर्च के लिये बाकी धनराशि	काम कराने वाले विभाग का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
		१४	बसन्तपुर रजवहा की ६ मील ४ फ० सड़क का पक्का किया जाना।	१,७९,५५०	१,७९,२३६	..	सिंचाई विभाग
६	चकिया	१५	लेवा--इलिया (पुराना भाग) ..	१,५२,०००	२३,२७१	१,२८,७२९	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		१६	लेवा--इलिया (नया भाग)	२,३७,०००	..†	२,३७,०००	जिला परिषद्
		१७	लतीफशाह वियर की ४ मील सड़क को पक्का करवाना।	८५,१८८	७६,३८९	शून्य (समस्त कार्य पूरा हो गया)।	सिंचाई विभाग
		१८	वाई कर्मनाशा नहर पर ४ मील सड़क का पक्का किया जाना।	८८,०२२	८७,०९४	,,	सिंचाई विभाग
७	साहबगंज	१९	लेवा--इलिया	३,४८,०००	२,५८६	३,४५,४१४	जिला परिषद्
		२०	वेन--कुशहा	९,४०,०००	..†	९,४०,०००	जिला परिषद्
		२१	दार्पी कर्मनाशा नहर व ग विन्दपुरी रजवाहा की सर्विस रोड का रिमेंटलिंग।	१,१७,७८९	१,१६,४४९	शून्य (समस्त कार्य पूरा हो गया)	सिंचाई विभाग
८	औराई	२२	कटका--बड़ागांव	१,८०,०००	७२	१,७९,९२८	जिला परिषद्
		२३	घासिया --सिउर	४०,०००	..†	४०,०००	जिला परिषद्
		२४	महराजगंज घमहापुर	२,४६,०००	५२,४७३	१,९३,५२७	जिला परिषद्
९	भदौही	२५	घमहापुर--परसीपुर	४,३७,०००	१६,३१६	४,२०,६८४	जिला परिषद्
		२६	भदौही--मोढ़	२,२७,०००	१४,४५६	२,१२,५४४	जिला परिषद्
१०	सुरियांवा	२७	मोढ़--दुर्गागंज	८,१०,०००	..†		जिला परिषद्

		२८	गिराई--दानुपुर	१,०६,०००	७२क	१,०८,६२८	जिला परिषद्
		२६	सरापतहा--मोढ़ (पुराना भाग)	६०,०००	१,६६५	८८,३३५	जिला परिषद्
		३०	सरपतहा--मोढ़ (नया भाग)	७२,५००	७१क	७२,४२८	जिला परिषद्
		३१	पाली सुरियावां	२,२१,२००	५०,१४६	१,७१,०५४	जिला परिषद्
		३२	ज्ञानपुर--दुर्गागंज (पुराना भाग)	४,५०,०००	२,६५,६२५	१,८४,३७५	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		३३	ज्ञानपुर--दुर्गागंज (नया भाग)	८०,०००	..	८०,०००	सार्वजनिक निर्माण विभाग
११	ज्ञानपुर	३४	ज्ञानपुर--दुर्गागंज (पुराना भाग)	४,५०,०००	३,०४,६६४	१,४५,०३६	सार्वजनिक निर्माण मंत्री
		३५	ज्ञानपुर--दुर्गागंज (नया भाग)	८०,०००	..	८०,०००	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		३६	सरपतहा--मोढ़ (पुराना भाग)	१,७७,०००	६०,६७६	१,१६,०२४	जिला परिषद्
		३७	सरपतहा--मोढ़ (नया भाग)	७५,५००	१,२६५	७४,२३५	जिला परिषद्
		३८	पाली--सुरियांवा	३,१६,०००	..	३,१६,०००	जिला परिषद्
		३६	कारीगांव --रोही	४,०५,०००	..	४,०५,०००	जिला परिषद्
		४०	लक्ष्मण पट्टी--अजयपुर	२,७०,०००	४४४क	२,६६,५५६	जिला परिषद्
		४१	गिराई व दानपुर (पुराना भाग)	३,५३,५२६	१,००,२६४	२,५३,२३२	जिला परिषद्
		४२	गिराई--दानपुर (नया भाग)	१,०६,०००	.क	१,०६,०००	जिला परिषद्
१२	डोघ	४३	कीराई--दानुपुर	६८,४८६	..	६८,४८६	जिला परिषद्
		४४	नेवाजो--सेमराध	२,६६,८००	५२,३२४	२,४४,४७६	जिला परिषद्
		४५	कलंजरा--एनच	५,३५,०००	३५क	५,३४,६६५	जिला परिषद्
		४६	कौलापुर--सेमराध	६,३०,०००	..	६,३०,०००	जिला परिषद्
		४७	तुलसी--धनतुलसीघाट	७५,०००	..क	७५,०००	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		४८	जी० टी० रोड से तिलंगा गांव तक की सड़क का पक्का किया जाना।	६६,०६६	५,७७०	६०,२६६	सिंचाई विभाग
		४६	गंगा पट्टी से बिरवा पहाड़पुर तक की सड़क का पक्का किया जाना।	६७,६६२	७१,५५५	२६,४०७	सिंचाई विभाग
१३	सेवापुरी	५०	बड़ागांव--कछुआ (पुराना भाग)	४,८०,०००	६२,७४६	३,८७,२५१	सार्वजनिक निर्माण विभाग
		५१	बड़ागांव--कछुआ (नया भाग)	३,००,०००	..	३,००,०००	सार्वजनिक निर्माण विभाग
१४	चोलापुर	५२	घरसोना--नियार (पुराना भाग)	३,६२,०००	१,४८,६६७	२,४३,३३३	जिला परिषद्

क्रम संख्या	नाम विकास खंड	क्रम-संख्या	नाम सड़क	अनुमानित लागत	३१ मार्च, १९६७ तक खर्च हुयी धनराशि	खर्च के लिये बाकी धनराशि	कार्य करने वाले विभाग का नाम
१	२	३	४	५	६	७	८
		५३	धरसोना---नियार (नया भाग)	३,०१,०००	५७७	३,००,४२३	जिला परिषद्
१५	पिंडरा	५४	पिंडरा---कठिरांव	२,३४,४००	१,४६,३५०	८८,०५०	जिला परिषद्
१६	बड़नी	५५	घरेतपुर माइनर को २ मील २ फ० सर्विस रोड का पक्का किया जाना।	९०,०००	७९,५८२	१०,४१८	सिंचाई विभाग
१७	नोगढ़	५६	चकिया नाला से प्रारम्भ हो कर नोगढ़ बांध तक ५ मील सड़क का पक्का किया जाना।	१,५०,०००	२९,१६५	१,२०,८३५	सिंचाई विभाग

नोट---१ जिन सड़कों पर कार्य चल रहा है उनकी अनुमानित लागत वा व्यय धनराशि लिखी गई है जिसके लिये प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त है। जिन सड़कों का सर्वे कार्य तथा प्राविधिक स्वीकृति अवशेष है उनकी अनुमानित लागत शासकीय आदेश में अंकित धनराशि लिखी गई है।

२---चिन्हित सड़कों का सर्वे कार्य पूर्व कर प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य आरम्भ किया जायगा।

३---चिन्हित सड़कों पर प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर अभी हाल में कार्य आरम्भ किया जा चुका है।

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ३९ एल० ए०---१९६७-८४६।